सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

'सेतु भारतम्' का शुभारंभ

okf"kd fjiksVl

2016-17

सत्यमेव जयते

Hkkjr ljdkj

lMd ifjogu vkj jktekxl e=ky;

ubl fnYyh

रास्ता दीजिए
Give Way

इस चिन्ह का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

This sign is used at roundabouts where a specific lane discipline is to be followed. This sign directs the traffic to give way to the fellow traffic on your right side.

fo"k;&lwph

क्रम संख्या	अध्यासय	पृष्ठ सं.
I	परिचय	7
II	वर्ष एक नजर में	9
III	सड़क विकास	23
IV	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	37
V	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	47
VI	अनुसंधान और विकास	51
VII	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचएआइडीसीएल)	57
VIII	प्रशासन और वित्त	63
IX	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	79
X	अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	81
XI	परिवहन अनुसंधान	83
XII	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	87
XIII	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहल	89
	ifjf'k"V	
परिशिष्ट 1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय	90
परिशिष्ट 2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना	92
परिशिष्ट 3	देश में राज्य–वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	93
परिशिष्ट 4	2016–17 तक सौंपी गई परियोजनाओं का ब्यौरा	96
परिशिष्ट 5	केंद्रीय सड़क निधि के अंर्तगत आवंटन और निधियाँ जारी करना	98
परिशिष्ट 6	वित्तीय प्रगति 2016 –17, एनएचएआइडीसीएल	99
परिशिष्ट 7	अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या (तकनीकी और गैर–तकनीकी)	100
परिशिष्ट 8	राष्ट्रीय परमिट शुल्क के राज्यवार संवितरण का विवरण	101
परिशिष्ट 9	मुख्य शीर्षवार व्यय	103
परिशिष्ट 10	पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय लेन–देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार प्राप्तियों का ब्यौरा	104
परिशिष्ट 11	पिछले तीन वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियों का शीर्षवार ब्यौरा	105
परिशिष्ट 12	लेखों के मुख्य बिंदु	106
परिशिष्ट 13	अशक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों की स्थिति	107
परिशिष्ट 14	भारत में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या : 2003 से 2015	108
परिशिष्ट 15	सड़क दुर्घटनाओं में घायल और मारे गये व्यक्तियों की संख्या : 2003 से 2015	109
परिशिष्ट 16	श्रेणीवार सड़क नेटवर्क : 1951 से 2015	110
परिशिष्ट 17	2016 की रिपोर्ट संख्या 15 के लंबित सीएंडजी पैरा संख्या 2.1, 2.2 और 2.3 की स्थिति	110

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

चौड़ाई सीमा
Width Limit

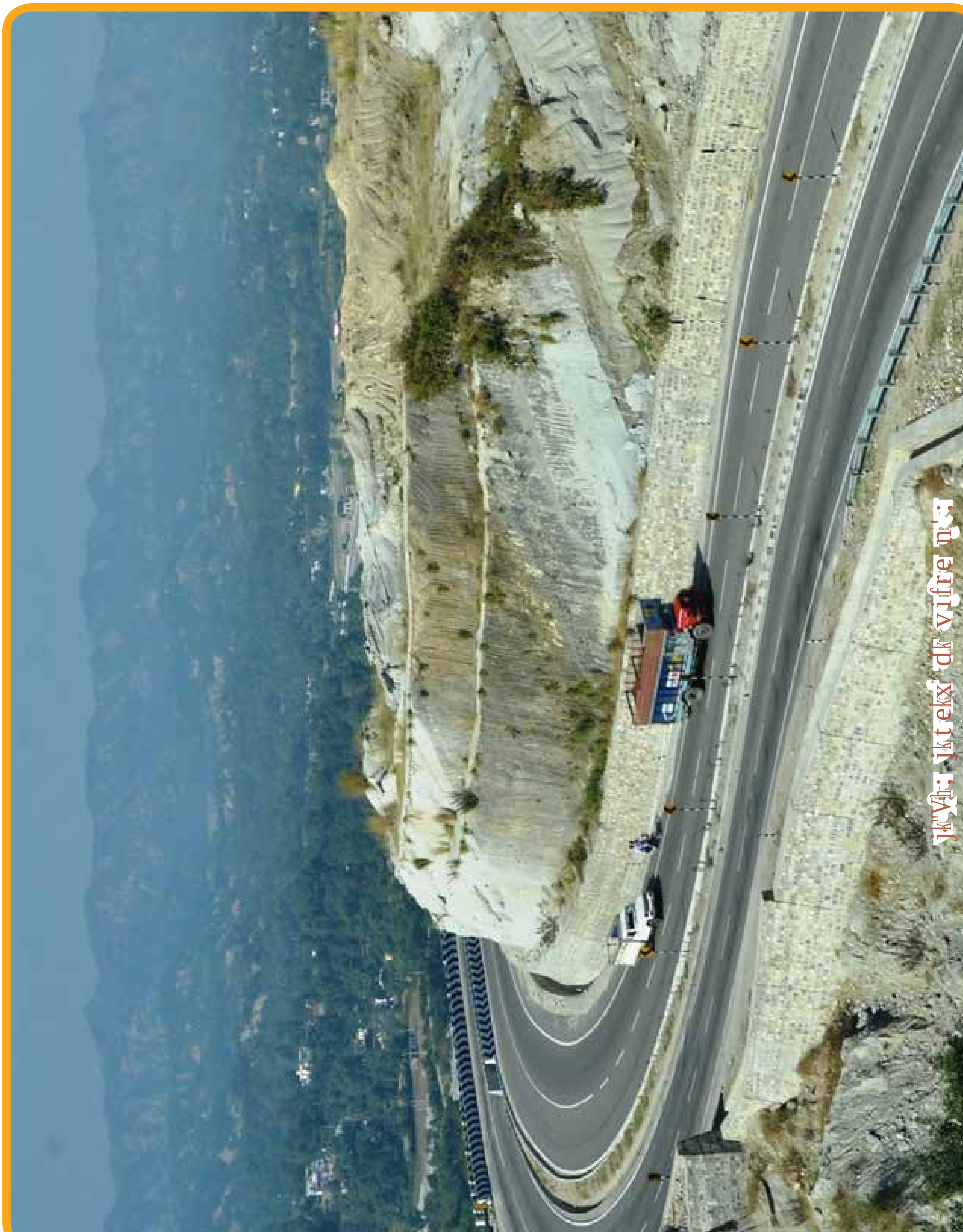

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

सभी मोटर वाहनों का आना मना है

All Motor Vehicles Prohibited

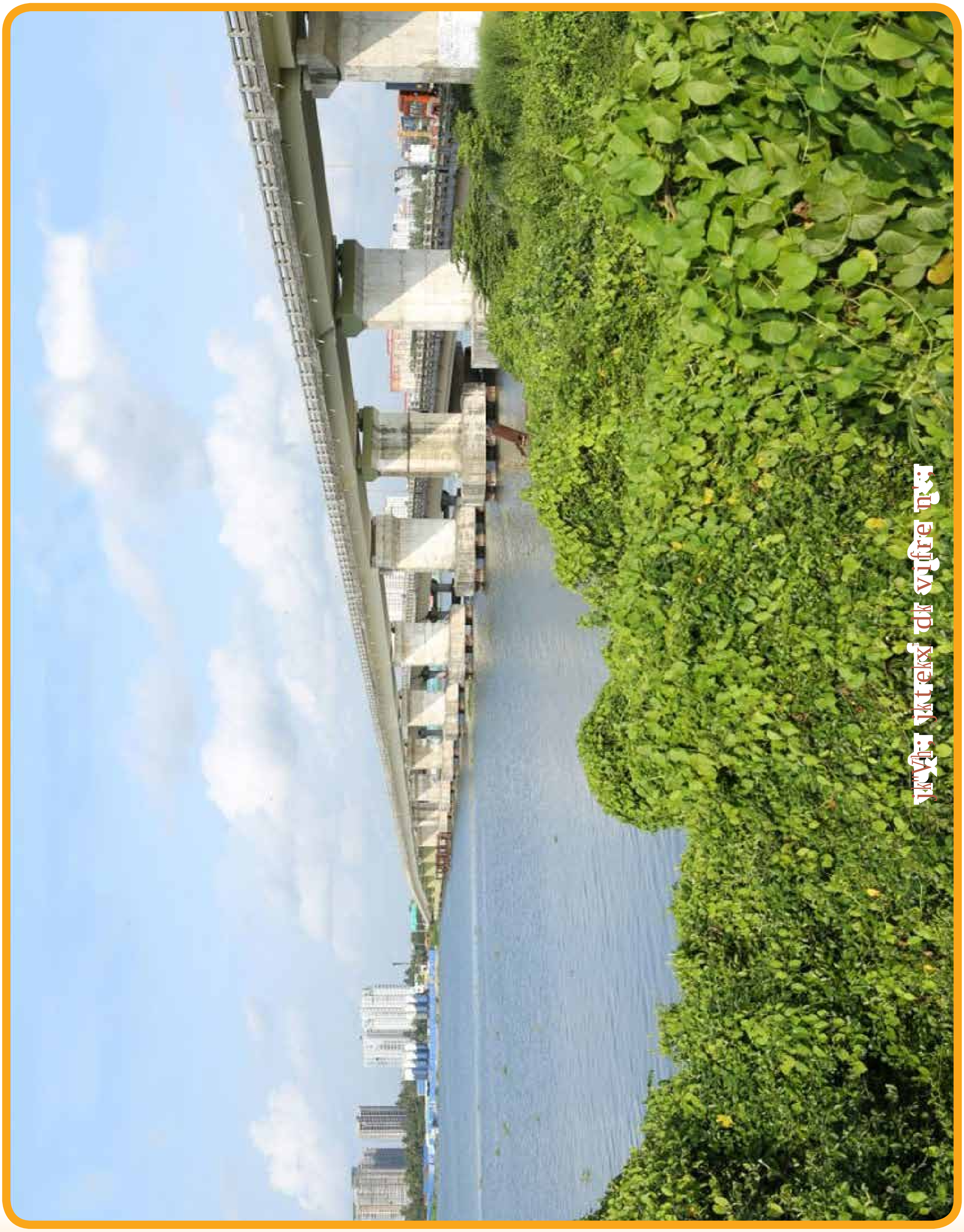

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़–भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

^lM+d lqj{kk bathfu;fjax ds mik;* fo"k; ij dk;Z'kkyk dk mn~?kkVu

Hkkjrh; lM+d dkaxsl ifj"kn dh cSBd dk mn~?kkVu

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

v/;k;&I

çLrkouk

1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन वर्ष 2009 में पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था।

1.2 देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक जटिल अवसंरचना है। यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण और अनुरक्षण, मोटर यान अधिनियम, 1988 और मोटर यान नियमावली, 1989, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 को प्रशासित करने, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों इत्यादि से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने का कार्य करता है।

1.3 यातायात (यात्री और कारगो) को संभालने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता को औद्योगिक विकास की वृद्धिशील अपेक्षाओं की गति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत का एक बड़ा सड़क नेटवर्क है जोकि 54.72 लाख किमी से अधिक है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई इस प्रकार है :

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	1,03,933 किमी
राज्यीय राजमार्ग	1,61,487 किमी
अन्य सड़कें	52,07,044 किमी
कुल	54,72,464 किमी

1.4 ऐतिहासिक तौर पर, परिवहन क्षेत्र में निवेश सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है। तथापि, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

dk;l

1.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवंटित विषयों को ifjf'k"V&1 में सूचीबद्ध किया गया है ।

lxBu

1.6 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना ifjf'k"V&2 में दी गई है ।

lEc) dk;ky;

1.7.1 Hkkjrh; jk"Vh; jktekxl çkf/kdj.k

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 नामक एक संसदीय

अधिनियम के माध्यम से किया गया था। यह इसको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अथवा उनके प्रांसगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण फरवरी, 1995 से प्रचालन में है ।

1.7.2 Hkkjrh; jktekxZ vfHk;ark vdkneh ¼vkb-,-,p-b-½

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आइएएचइ) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पंजीकृत संस्था है। यह केंद्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है जिसका वर्ष 1983 में गठन देश में राजमार्ग अभियंताओं के प्रवेश स्तर एवं सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था।

1.7.3 jk"Vªh; jktekxZ vkSj volajpuk fodkl fuxe fy- ¼,u-,p-vkb-Mh-lh-,y-½

मंत्रिमंडल ने 13.03.2014 को हुई अपनी बैठक में पड़ोसी देशों के साथ सतत आधार पर क्षेत्रीय सड़क सम्पर्क संवर्धित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले पड़ोसी देशों के समीपस्थ देश के भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य विशिष्ट रूप से किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कारपोरेट संस्था को स्थापित करने तथा उसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

Hkkjrh; jktekxZ vfHk;ark vdkneh ¼vkbZ,,pbZ½

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

अध्याय-II

वर्ष 2016–17 एक नजर में

(क) सड़क विकास

सड़क नेटवर्क

2.1 सड़क क्षेत्र: 31 दिसम्बर, 2016 तक विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है:

चरण	कुल लम्बाई किमी में	31.12.2016 तक पूर्ण की गई लम्बाई किमी में	1.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान पूर्ण की गई लम्बाई
एनएचडीपी–I जीक्यू, ईडब्ल्यू–एनएस कोरिडोर पत्तन संपर्क और अन्य	7,522	7,521	1
एनएचडीपी–II उत्तर–दक्षिण पूर्व–पश्चिम कोरिडोर व अन्य को 4/6 लेन का बनाना	6,647	6,004	65
एनएचडीपी–III उन्नयन, 4/6 लेन का बनाना	12,109	7,269	386
एनएचडीपी–IV पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	20,000	3,195	1,041
एनएचडीपी–V जीक्यू और उच्च सघनता कोरिडोर को 6 लेन का बनाना	6,500	2,502	127
एनएचडीपी–VI एक्सप्रेसवेज	1,000	-	-
एनएचडीपी–VII रिंग रोड़, बाईपास और फ्लाईओवर एवं अन्य अवसंरचनाएं	रिंग रोड़/बाईपास और फ्लाईओवर इत्यादि 700 किमी	22	-
एसएआरडीपी–एनइ	6,190	1,947	118
एलडब्ल्यूपइ	5,422	4,166	222
एनएचआइआइपी	1,120	4,14.6	175

गैर-एनएचडीपी राज्य (मल): मौजूदा वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2016 तक इस योजना के अंतर्गत 1,425 किमी लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। दिसम्बर, 2016 तक 3,263 किमी लंबाई सौंपी जा चुकी है।

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

2.2 e=ky; }kjk dh xbl e[; igy%

2.2.1 lMd i{k

- क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–भुगतान पद्धति का कार्यान्वयन अथवा ऑनलाइन प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया।

- खुदरा आउटलेटों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के लिए ऑनलाइन आवदेन सुविधा और ओएफसी केबल आदि के लिए अनुमति जारी करना ।

- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वेब आधारित अनुवीक्षण ।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें उनके अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो जीएडी प्रक्रिया के अनुमोदन और निर्माण के दौरान आड़े आती थीं। समझौता ज्ञापन आरओबी के जीएडी अनुमोदन को सुगम बनाएगा और इससे आरओबी के निष्पादन के दौरान निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समयबद्ध रीति से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी स्तरों के क्रॉसिंग्स को आरओबी/आरयूबी द्वारा हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आरओबी/आरयूबी परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है।

- मंत्रालय ने एचटी–3 श्रेणी तक के हाइड्रॉलिक ट्रेलरों की आवाजाही के लिए अनुमति देने हेतु एक वेब पोर्टल विकसित किया है और छः जनवरी, 2015 को इसका शुभारम्भ किया गया है। इस वेब पोर्टल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइड्रॉलिक ट्रेलरों की आवाजाही के लिए सही समय पर अनुमति प्राप्त करने में सुगमता होगी। इससे भारी उपकरणों की सूचारू और समय पर आवाजाही में आसानी होगी जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा।

2-2-2 jktekxl i{k %

टोल–प्रचालन–हस्तांतरण (टीओटी) मॉडल का प्रयोग करते हुए प्रचालनात्मक राजमार्ग परिसम्पत्तियों को पुनः तैयार करना:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक नये मॉडल का विकास किया गया है और इसे अगस्त, 2016 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। मॉडल के अनुसार पूर्व निर्धारित रियायत अवधि (30 वर्ष) के लिए सौंपी जाने वाली प्रचालनात्मक सार्वजनिक वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एकमुश्त अग्रिम राशि के भुगतान के बदले रियायतग्राही को टोल–संग्रहण का अधिकार दिया जाएगा। रियायत अवधि पूरा होने तक ऐसी परियोजनाओं के ओएंडएम का दायित्व रियायतग्राही का होगा। निजी क्षेत्र की दक्षता के माध्यम से यह माडल पहले से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ओएंडएम को दीर्घकाल तक सुकर बनाए रखता है।

साइकिलों का आना मना है

Cycle Prohibited

साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.

- यह मॉडल बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों के लिए पेंशन निधि, वेल्थ निधि इत्यादि के रूप में निवेश हेतु एक बड़ा अवसर है।
- प्रारंभ में, इस मॉडल के लिए औसतन 4,500 किमी लंबाई और लगभग 2,700 करोड़ रुपए के वार्षिक टोल राजस्व संग्रहण वाली 75 सार्वजनिक वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अभिनिर्धारण किया गया है।
- मॉडल रियायत समझौता (एमसीए) तैयार किया जा चुका है और परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया का पहला चरण निकट भविष्य में पूरा किया जाएगा।

gkbfcM ,U;qvVh e‚My ¼,p,,e½

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस मॉडल को स्वीकृति दे दी गई है। मॉडल के अनुसार निर्माण की अवधि के दौरान निजी विकास को 'निर्माण सहायता' के रूप में परियोजना लागत का 40% सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष 60% ऑपरेशन अवधि के बाद बकाया राशि का ब्याज सहित वार्षिक भुगतान के रूप में दिया जाएगा। भुगतान योग्य ब्याज की दर बाजार दरों (बैंक दर+3%) से जोड़ी गई है। सरकार द्वारा रियायतग्राही के लिए ओएंडएम भुगतान हेतु यह एक अलग प्रावधान किया गया है। प्राइवेट पार्टी को यातायात और मुद्रास्फीति जोखिमों को वहन नहीं करना है।
- यह मॉडल सड़कों और राजमार्गों के क्षेत्र में पीपीपी को पुनर्जीवित करने में सफल रहा है जैसाकि ऐसी परियोजनाओं में बाजार के रुझान से प्रतीत हो रहा है। अब तक इस मॉडल के माध्यम से औसतन लगभग 2,000 किमी लम्बाई और लगभग 32,700 करोड़ रुपए की लागत वाली 36 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं पहले ही सौंपी जा चुकी हैं। अन्य कई निविदा आदेश के अंतिम चरण में हैं।

#dh gbZ ifj;kstukvksa ls lacf/kr ekeyksa dk lek/kku%

- लगभग दो–ढ़ाई साल पहले सौंपी जा चुकी करीब 8,310 किमी औसत लम्बाई की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं रुकी पड़ी थीं। इन परियोजनाओं का अनुमानित पूंजीगत निवेश लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए था। निवेश रुका पड़ा था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस मामले में दखल देकर मामला दर मामला रियायतग्राहियों और ऋणदाताओं के साथ बातचीत की। इसके फलस्वरूप अधिकांश रूकी हुई परियोजनाएं प्रभावी रूप से पुनः पटरी पर आ चुकी हैं। 73 रुकी हुई परियोजना में से 10 परियोजनाओं से संबंधित मामलों को पहले ही सुलझा लिया गया है।

ifj;kstuk fuxjkuh lwpuk ç.kkyh ¼ih,evkbZ,l½ dk dk;kZUo;u%&

- पीएमआइएस वास्तव में इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त लाभकारी है। अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) युक्त प्रणाली का प्रयोग करके 2000 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से नियमित आधार पर निगरानी रखी जा रही है। पीएमआइएस आधारित समीक्षाओं के माध्यम से 50% से अधिक प्रमुख परियोजनाओं में प्रगति हुई है।

^y{;* dk ykdkiZ.k%&

- कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन प्रबंधन के लिए एक ऑन–लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म 'लक्ष्य' का शुभारम्भ किया गया है। यह कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन का व्यवस्थित मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

2-2-3 iFkdj çHkkx

2.2.3.1 fnO;kax O;fä ;ksa ds dY;k.k grq mik;%&

सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के प्रयोग हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए यांत्रिक वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करने से छूट दे दी है।

2-2-3-2 foeqæhdj.k ds dkj.k vlqfo/kk ls cpkus ds fy, lM+d ç;ksäkvksa dk jkgr %

बड़े मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने 9.11.2016 से 2.12.2016 (आधी रात) तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन टोल प्लाजाओं पर वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण बंद कर दिया गया था।

Vksy Iykt+kvksa ij ;krk;kr dh fuckZ/k vkokt+kgh ds fy, mBk, x, dne%&

- बाधाओं को दूर करने, यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और अधिसूचना दरों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क की वसूली करने के लिए पेसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआइडी) टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इलैक्ट्रानिक टोल संग्रहण (इटीसी) प्रणाली आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

- इ–टोलिंग का दूसरा चरण 2 दिसम्बर, 2016 (आधी रात) से क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन निगम लि. (आइएचएमसीएल) को इलैक्ट्रानिक टोल संग्रहण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय क्लीयरिंग हाऊस (सीसीएच) के रूप में कार्य करने के लिए एनपीसीआइ (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) को चुना गया था। आइएचएमसीएल ने सड़क प्रयोक्ताओं को फास्टैग जारी करने के काम में आइसीआइसीआइ–एसबीआई–एक्सिस और आईडीएफसी चार बैंकों को लगाया था। प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करने के लिए कई इलैक्ट्रानिक साधनों का प्रयोग किया गया है जैसे कि क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण हेतु पीओएस मशीनों का प्रयोग, विभिन्न प्री–पेड भुगतान के उपकरणों और फास्टैगों को सड़क प्रयोक्ताओं के बीच प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रयोक्ता फीस के भुगतान हेतु सड़क प्रयोक्ताओं द्वारा फास्टैग के सर्वाधिक 2.1 लाख यूनिट प्रयोग किये जा रहे हैं। फास्टैग के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जोकि मई, 2016 में 0.7 करोड़ रुपए से दिसम्बर, 2016 में 89.50 करोड़ रुपए हो गई और फास्टैग के माध्यम से संग्रहीत कुल प्रयोक्ता शुल्क 154 करोड़ रुपए है। दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कुल प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण, प्रतिदिन औसतन प्रायोक्ता शुल्क संग्रहण के 12% तक बढ़ गया है।

2-2-3-3 ç;kä k 'kYd dh jkf'k 5 #i, dh fudVre jkf'k rd j[kuk%&

टोल प्लाजाओं पर खुले पैसों की कमी के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने और यातायात की निर्बाध आवाजाही के लिए अन्य 33 शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क की राशि 5 रुपए की निकटतम राशि तक कर दी गई है।

QkLVVSx* dh fcØh vkj blds ek/;e ls lxzghr 'kYd dk C;kjk blds çdkj g%&

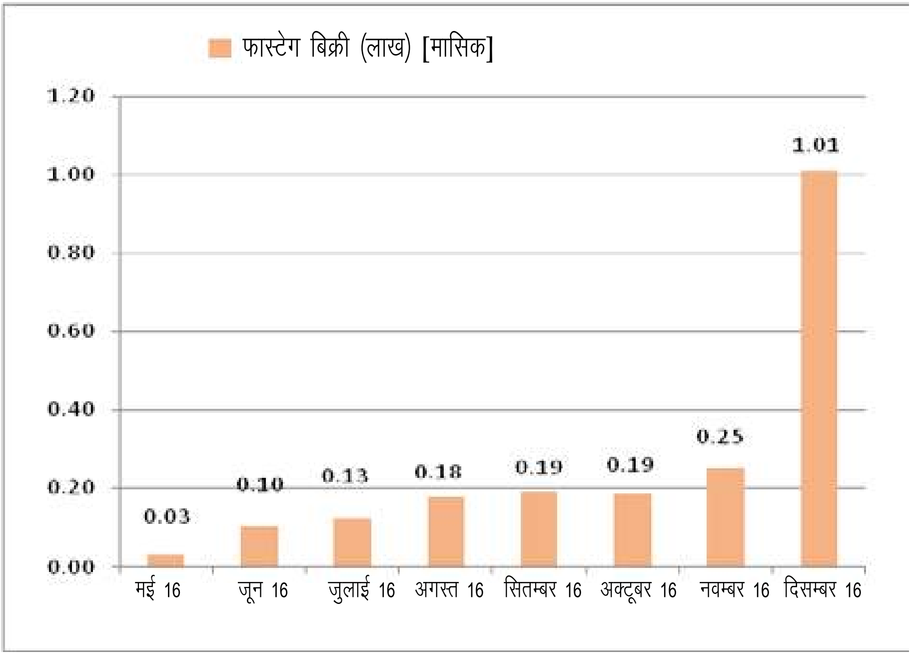

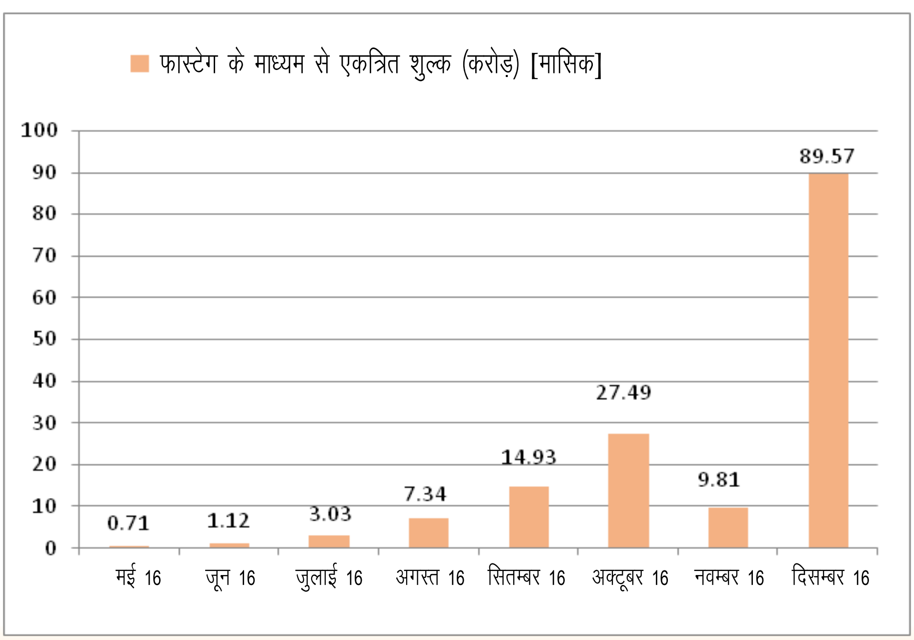

बाएं मुड़ना अनिवार्य
(दाएं यदि संकेत विपरीत है)
Compulsory Turn
Left (Right if Symbol
is Reversed)

2-2-4 Hkfe vf/kxg.k çHkkx

- आरएफसीटीएलएआरआर (संशोधन) अध्यादेशों और आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयां दूर करना) आदेश, 2015 को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए प्रथम अनुसूची के अनुसार 1.01.2015 से मुआवजा राशि निर्धारित करने के संबंध में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
- विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों पर नजर रखने और तत्काल निपटारे के लिए मंत्रालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचआइडीसीएल और उनकी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में पहलें कदम के रूप में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी को परामर्शदाता नियुक्त करके मंत्रालय में भूमि अधिग्रहण एकक का गठन किया गया है।
- भार कम करने के लिए अपर सीएएलए/मध्यस्थ की नियुक्ति और कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करने हेतु सीएएलए/टीआइएलआर/मध्यस्थ को दी जाने वाली मूल–भूत सुविधाओं के संबंध में भी अनुदेश जारी किए गए हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिग्रहण के अलावा, संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित भूमि की उपलब्धता खरीद के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। अब तक हिमाचल प्रदेश, गोवा, ओडिशा, बिहार, राजस्थायन, छत्तीसगढ़, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं लागू हो वे अपनी नीतियों का प्रयोग करते हुए भूमि उपलब्ध कराएं।
- इसके अलावा, बड़े पैमाने पर हुए भूमि अधिग्रहण से भू–चकबंदी प्रक्रिया और निकृष्ट रख–रखाव, छुटपुट तकनीकी बदलाव और सामाजिक अथवा पर्यावरण के लिहाज से छूट चुके प्लाटों को समन्वयन के माध्यम से कुल भूमि के 10% तक अपवाद के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

2-2-5 lpuk çk|kfxdh çHkkx

buke&çk& 'इनाम–प्रो' (अवसंरचना और सामग्री प्रदाताओं के लिए प्लेटफॉर्म) अवसंरचना सामग्री प्रदाताओं के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग जो अवंसरचना सामग्री प्रदाताओं अर्थात् सीमेंट कम्पनियों, स्टील कम्पनियों के अवसंरचना प्रदाताओं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा अन्य हिस्सेदारों के लिए सांझा प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। प्रारंभ में यह केंद्र/राज्य द्वारा वित्तपोषित सड़कों और राजमार्गों/पुल निर्माण परियोजनाओं के निष्पादन में लगे उन ठेकेदारों/सीमेंट क्रेताओं को सुविधा प्रदान करेगा जो परियोजना निष्पादन स्थलों के समीप प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर, पंजीकृत कम्पनियों से ऑनलाइन सीमेंट/स्टील के ऑर्डर लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मान्य दरों के अनुसार सीमेंट/स्टील कम्पनियों को अपने प्रस्तावित स्टॉक की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर देने की सुविधा प्रदान की गई है। इससे उन्हें मिलने वाले ऑर्डरों की जानकारी तत्काल उपलब्ध हो जाएगी और बिना किसी कठिनाई के अविलंब विक्रेता द्वारा अपेक्षित वस्तुओं की डिलिवरी करने में सक्षम होंगे। इससे सीमेंट/स्टीइल कम्पनियों को बेहतर ढंग से अपने वार्षिक उत्पादन और डिलिवरी समय के संबंध में पहले से ही योजना तैयार करने में भी मदद मिलेगी। सीमेंट कम्पनियों को बाजार मांग के आधार पर सीमेंट स्टॉक संबंधी प्रस्तावों को बढ़ाने और अधिक क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए मूल्यों को कम करने में भी सुविधा होगी। इसके अलावा,

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.

कम्पनियां 'इनाम–प्रो' का प्रयोग करके अधिक ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगी, और उत्पाद (ग्रेड/टाइप) शामिल कर सकेंगी, सीमेंट ऑफर शामिल कर सकेंगी, सूचीबद्ध क्रेताओं को देख सकेंगी और मंत्रालय को अपनी शिकायत/सुझाव भेज सकेंगी। इसी प्रकार क्रेता भिन्न–भिन्न कम्पनियों द्वारा दिये गये ऑर्डरों को देख तथा खोज सकेंगे और अपनी शिकायतें/सुझाव भी भेज सकेंगे। 'इनाम–प्रो' की मदद से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय क्रेता और आपूर्तिकर्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगा और दोनों पक्षों (सीमेंट आपूर्तिकर्ता/क्रेता) की अड़चनों को दूर कर सकेगा और अत्यधिक लागत प्रभावी ढंग से अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन संवर्द्धन में सहायता प्रदान करेगा। 'इनाम–प्रो' से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और क्रेताओं तथा सामग्री प्रदाताओं को स्टॉक, मूल्य और दिये गये ऑर्डरों के संबंध में सही जानकारी भी मिलेगी।

çe[k fo'k"krk,¡&

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आपूर्ति और मांग से संबंधित मूल्यों में उतार–चढ़ाव की समय पर सूचना मिलती है। इससे दोषारोपण और खुदरा मंहगाई के संबंध में झूठे दावों पर रोक लगेगी।
- परियोजना से संबद्ध कम्पनियां विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से परियोजना चक्र के प्रारंभ में ही सम्पर्क कर सकती हैं।
- आपूर्तिकर्ताओं को भावी मांग का व्यायपक आइडिया हो सकता है। इससे उन्हें भविष्य में किये जाने वाले उत्पादन हेतु योजना बनाने में सहायता मिलेगी। हिस्सेदार के रूप में सरकार की उपस्थिति से आश्वासन मिलता है कि बेईमानी पर रोक सुनिश्चित है।
- यह अवसंरचना परियोजनाओं में–खरीद के स्रोत, मूल्यो इत्यादि के संबंध में पारदर्शिता लाता है।

इन्फ्राकोनः–

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राजमार्गों के विकास और उन्नयन व अन्य अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को देखता है। इस प्रयोजनार्थ यह पारदर्शी फर्मों और राजमार्ग तथा इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, जिन्हें प्रमुख कार्मिक कहा जाता है, की सेवाएं प्राप्त करता है और उन सेवाओं का प्रयोग करता है। ये प्रमुख कार्मिक, परियोजना तैयारी और पर्यवेक्षण दोनों के लिए तैनात किये जाते हैं।
- खरीद के दौरान मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, उपभोक्ता हितैषी और पारदर्शी बनाने के लिए एनएचआइडीसीएल ने अवसंरचना संबंधी परामर्शी फर्मों और प्रमुख कार्मिकों के लिए 'इन्फ्राकोन' नाम का व्यापक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल में फर्मों और कार्मिकों के जीवन–वृत्त और परिचय की मेजबानी करने की सुविधा है और डेटा की प्रामाणिकता एवं शुद्धता के लिए आधार तथा डिजि–लॉकर से लिंकबद्धता है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुविधाओं के तहत यह पोर्टल एजेंसियों को 'इन्फ्राकोन' के माध्यंम से तकनीकी प्रस्ताहव प्राप्त करने योग्य बनाता है। ऐसा करने के लिए फर्मों और प्रमुख कार्मिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। इससे निविदा जमा कराने के दौरान होने वाली कागजी कार्रवाई में बहुत कमी आएगी और प्रक्रिया संबंधी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता भी

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

आएगी। सूचना पोर्टल पर प्राप्त की जा रही है और इनपुट फार्म इस प्रकार तैयार किये गये हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया के स्वचलन में सहायता मिलेगी और उससे तत्काल व प्रभावी निर्णय लिये जा सकेंगे।

- भविष्य में 'इन्फ्रा कोन' के सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों दोनों के लिए साझा प्लेटफार्म बनने की सम्भावना है। इससे अवसंरचना क्षेत्र में लगे हुए व्यावसायिकों को अपने अनुभवों को दिखाने और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देने का भी अवसर मिलेगा।

b&[kjhn%&

मंत्रालय ने सीपीपी पोर्टल के माध्यम से निविदा देने का कार्य आरंभ किया है। मुख्यालय में इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। बाद में इसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किया जाएगा।

2-2-6 vkb-,-,p-b-

वर्ष 2016–17 के दौरान दिसंबर, 2016 तक 1250 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

¼[k½ lM+d ifjogu {ks=

2.3.1 मंत्रालय 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाण–पत्र का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्यीय रजिस्टर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चला रहा है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) को, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रोजेक्ट के डिजाइन, विकास, कम्प्यूटरीकरण, रोल आऊट तथा अनुरक्षण का दायित्व दिया गया था। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 और राज्यीय मोटर वाहन नियमावली द्वारा अधिदिष्ट 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल उत्पाद के ग्राहकीकरण सहित कार्यक्षमताओं के संवर्धन हेतु 'वाहन' और 'सारथी' नामक दो अनुप्रयोगों की अवधारणा की गई थी।

2.3.2 ifjogu fe'ku eksM çkstsDV%& अपने फ्लैगशिप एप्लीकेशन्स 'वाहन' (वाहन पंजीकरण के लिए) और 'सारथी' (ड्राइविंग लाइसेंस के लिए) के माध्यम से देश भर में 1100+आरटीओ का लगभग 100% ऑटोमेशन हो चुका है। देश के लगभग सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एनआइसी द्वारा विकसित अनुप्रयोगों के वर्जन प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय कोष (राष्ट्रीय रजिस्टर) में 20 करोड़ वाहन रिकॉर्ड तथा 10 करोड़ लाइसेंस रिकार्ड उपलब्ध हैं। राज्यीय और राष्ट्रीय पंजीकरण में समेकित डेटा बड़ी संख्या में ऑनलाइन नागरिक–केंद्रित अनुप्रयोगों और सूचना सेवाओं के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नीति के अनुसार, समेकित परिवहन डेटाबेसों (एनआर और एलआर) के संबंध में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां (असीमित, निःनिशुल्क प्राप्ति), बैंक, इंश्योलरेंस कंपनियां (भुगतान करने पर प्राप्ति), अन्य एजेंसियां (भुगतान करने पर, सीमित डेटा प्राप्ति), राज्य सरकार के अनुप्रयोग (वेब–सेवा के माध्यम से डेटा प्राप्ति) और नागरिक (सीमित सूचना–पोर्टल, एसएमएस के माध्यिम से) सूचना का प्रयोग कर रहे हैं।

मुख्य आरटीओ केंद्रित अनुप्रयोगों के अलावा, वाहन और सारथी प्लेटफार्मों के माध्यम से बड़ी संख्या में ऑनलाइन नागरिक केंद्रित और व्यापार केंद्रित सेवाओं की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, फेंसी नम्बर ऑक्शन स्कीम, ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग/लर्नर लाइसेंस विद् एडवांस्ड अप्वाइंटमेंट माड्यूल, मौजूदा आरसी/डीएल में ऑनलाइन संशोधन संबंधी आवेदन कुछ अनुप्रयोग हैं जो विभिन्न राज्यों में आरंभ किए गए हैं। इन अनुप्रयोगों में मल्टी–आप्शन पेमेंट गेटवे सिस्टम, बायोमेट्रिक ऑथेंटीकेशन, ओपन एपीआइ इत्यादि विशेषताओं को क्रियान्वयन किया गया है। राज्यों में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु व्यापक प्रवर्तन समाधान के लिए मोबाइल एप्प सह वेब एप्लीकेशन को विकसित किया गया है।

आवंटित किए जा चुके वाहन और सारथी वर्जन के स्थान पर नई केंद्रीकृत, वेबयुक्त एप्लीकेशन को विकसित किया गया है जिसमें आरटीओ संचालन और नागरिक/व्यापार केंद्रित सेवाओं से संबंधित समस्त पहलू शामिल हैं। सभी आधुनिक विशेषताओं और कार्यात्मकताओं सहित 'वाहन' और 'सारथी' के इस नए वर्जन को एनआइसी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उपलब्ध करा दिया गया है और इसे सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए खोल दिया गया है। पहले वर्जन से नए प्लेटफार्म पर डेटा अंतरण का कार्य भी पूर्णतया प्रगति पर है। 12 राज्यों में 67 सड़क परिवहन कार्यालयों में पहले ही नया वर्जन 4 रोल आउट हो चुका है। 16 राज्यों में लगभग 212 सड़क परिवहन कार्यालयों में सारथी वर्जन 4 क्रियान्वित किया गया है। देश भर के सभी परिवहन कार्यालयों में इस वर्ष के अंत तक डेटा अंतरण का कार्य चलेगा।

2.3.2 okgu 4-0 dh fLFkfr%& दिल्ली के 14 सड़क परिवहन कार्यालय, उत्तराखंड के 14 आरटीओ, जम्मू और कश्मीर के 19, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 2, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र और असम के 4 और मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम के एक–एक सड़क परिवहन कार्यालय में केंद्रीकृत वाहन 4.0 एप्लीकेशन अंतरित किया गया है।

2.3.3 lkjFkh 4-0 dh fLFkfr%& हिमाचल प्रदेश में 71 आरटीओ, राजस्थान में 26, हरियाणा में 43, झारखंड में 24, गुजरात में 5, कर्नाटक में 10, तमिलनाडु में 13, ओडिशा में 6, पुदुच्चेरी, महाराष्ट्र और असम में 2, जम्मू और कश्मीर में 5 तथा चंडीगढ, उत्तराखंड, मेघालय तथा उत्तर प्रदेश में एक–एक सड़क परिवहन कार्यालय हैं।

2-3-4 b&pkyku%

इस व्यापक प्रवर्तन समाधान को एन्ड्रॉयड प्लेटफार्म पर विकसित किया गया है और इसे वेब अनुप्रयोग द्वारा जोड़ा गया है। इसके मुख्य उपभोक्ता परिवहन प्रवर्त्तन अधिकारी और यातायात पुलिसकर्मी हैं। इस एप्प के माध्यम से किसी भी प्रकार से यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए उसी घटना स्थल पर चालान जारी किया जा सकता है और उसे अनुवर्ती कार्यवाही के विभिन्न स्तरों में प्रयोग किया जा सकता है। यह एप्प बहुत ही उपभोक्ता–हितैषी है जिसमें असंख्य उन्नत किस्म के फीचर और राज्य–स्तरीय ग्राहकीकरण, जियो–टैगिंग, गूगल मैपों के साथ समन्वय, ऑन स्पॉट फोटोग्राफ, ऑनलाइन–ऑफलाइन विकल्प, इ–भुगतान के साथ समन्वय, बैक–एंड वाहन–सारथी डेटाबेस और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यह प्रणाली पहले ही 24 सड़क परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित की जा चुकी है। दूसरे कई राज्यों (परिवहन और यातायात पुलिस विभागों में) में भी इसका गहन परीक्षण, ग्राहकीकरण किया गया है और वे क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। आशा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक कम से कम 6–7 राज्य इस एप्प को अपना लेंगे।

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

2.3.5 **,e ifjogu %&** यह एप्प मुख्यतः आम नागरिक और परिवहन ऑपरेटरों के लिए तैयार किया गया है जो इससे सड़क–कर का भुगतान, विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन, आरटीओ के साथ समयादेश लेना, दस्तावेज अपलोड करना इत्यादि जैसी परिवहन संबंधी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप परिवहन के राष्ट्रीय रजिस्टर से बैक–एंड कनेक्टिविटी के माध्यम से गोपनीय क्यूआर कोड और आधार पर आधारित प्रमाणन वाला अद्वितीय विशेषता वाला असली ड्राइविंग लाइसेंस और सही रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र उपलब्ध होगा जिससे मौजूदा भौतिक दस्तावेजों/कार्डों के स्थान पर सुरक्षित, प्रवर्तनीय, डिजिटल पहचान वाला विकल्प प्राप्त हो पायेगा। इस एप्प में अन्य जानकारीपूर्ण विशेषताएं, दुर्घटना सूचना माड्यूल, नियम उल्लंघन संबंधी सूचना माड्यूल और इत्यादि उपलब्ध होंगे। जनवरी, 2017 तक उत्पादन संस्करण जारी होने की आशा है।

2.3.6 **'okgu cM+s d vk/kfudhdj.k l lcf/kr dk;Øe*** अधिकतम वाहन प्रदूषण बढ़ाने वाले पुराने, भारी और मध्यम स्तर के व्यावसायिक वाहनों को हटाने के लिए 'वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यक्रम' की अवधारणा संबंधी टिप्पणी को सूचनार्थ और संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया था। इन नीति में प्रस्तावित है कि पुराने वाहनों को निम्निलिखित वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे– मूल उपकरण निर्याताओं (ओइएम) से स्क्रैप मूल्य व प्रोत्साहन और सरकार की ओर से भी प्रोत्सारहन प्राप्त होंगे। इस मामले को सचिवों की समिति के विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया गया है।

2.3.7 **,Vh y,d cfdx flLVe %** इस मंत्रालय के सा. का. नि. 52 (अ), दिनांकित 23.01.2015 के तहत अनिवार्य कर दिया गया है कि निम्ननलिखित श्रेणी के वाहनों में आइएसः11852:2003 (भाग 9) के अनुरूप एंटी–लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होना चाहिए–

- खतरनाक वस्तुओं और तरल पैट्रोलियम गैस को ले जाने के लिए 1 अक्टूबर, 2006 अथवा इसके पश्चाात् निर्मित–ट्रैक्टतर संयोजन के अलावा एन–3 श्रेणियों के वाहनय
- 1 अक्टूबर, 2007 अथवा इसके पश्चात निर्मित डबल डैक वाले एन–3 श्रेणियों के वाहनय
- 1 अक्टूबर, 2007 अथवा इसके पश्चात निर्मित एन–3 श्रेणियों के वाहन जो ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
- 1 अक्टूबर, 2007 अथवा इसके पश्चात निर्मित एम–3 श्रेणी की बसें जो अखिल भारतीय पर्यटन परमिट पर चलती हैं।

इसके अलावा, सा. का. नि. के तहत यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी दुपहिया वाहनों में एंटी–लॉक ब्रेकिंग सिस्ट्म लगा हो और (सा. का. नि. 310 (अ) दिनांकित 16.03.2016 के अंतर्गत भी सभी दुपहिया वाहनों में एंटी–लॉक ब्रेकिंग सिस्टम फिट करना अधिदिष्ट है। इस मंत्रालय ने एम. 1 और एम 2 श्रेणी के वाहनों में एबीएस के फिटमेंट को अनिवार्य करने के संबंध में पहले ही दिनांक 29.08.2016 की ड्राफ्ट अधिसूचना सं. सा. का. नि. 830 (अ) स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जारी कर दी है।

2.3.8 मंत्रालय ने चार पहिया, तीन पहिया और दुपहिया वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 2020 से भारत मानक–VI (बीएस–VI) के उत्सर्जन मानकों का क्रियान्वयन अनिवार्य करते हुए अधिसूचना जारी की है। देश में वाहन प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

2.3.9 ¶yDl&bZa/ku vkVkseksckby ds fy, rS;kj Hkkjr% भारत ने ईथानोलयुक्त पेट्रोल जैसे फ्लैक्स–ईंधन के प्रयोग हेतु सभी अपेक्षित विनियम बना लिए हैं।

2.3.10 okgu fuekZrkvksa dks çR;sd fufeZr okgu ds mRltZu vkSj /ofu Lrjksa dk C;kSjk nsuk gksxk&सभी प्रकार के मोटर वाहनों और ई–रिक्शा व ई–कार्ट के निर्माताओं को 1 अप्रैल, 2017 से उनके द्वारा निर्मित वाहनों के उत्सीर्जन स्तरों की विस्तृत घोषणा करनी होगी।

2.3.11 bFkkuksy&bZa/ku;qä cl–फ्लैक्सी–ईंधन ईथानोल ई–85 और ईडी–95 के बड़े पैमाने पर उत्सरर्जन मानकों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना से वाहन निर्माता बायो–ईथानोल ई–85 और ईडी–95 पर चलने वाले वाहन बना सकेंगे। नागपुर में पहले ही एक बायो–ईथानोल बस परीक्षणाधीन है।

2.3.12 ck;ks&lh,uth vkSj ck;ks&Mhty–बायो–सीएनजी पर चलने वाहनों के परीक्षण और निकास उत्सर्जन हेतु बायो–सीएनजी के प्रयोग से संबंधित मानदडों के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस अधिसूचना से वाहन निर्माता देश में बायो–सीएनजी ईंधन वाले वाहनों का निर्माण, बिक्री और प्रयोग कर सकते हैं। बायो–डीजल (बी 100) ईंधनयुक्त वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों के संबंध में भी प्रारूप अधिसूचना तैयार की गई थी।

2.4. ekyokgd okguksa ds fy, jk"Vªh; ijfeV ç.kkyh%&सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 मई, 2010 से मालवाहक वाहनों के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली आरंभ की है। नई व्यवस्था के अनुसार देश भर में वाहन चलाने के लिए 16,500 रुपए प्रति वर्ष प्रति मालवाहक वाहन समेकित शुल्क का भुगतान करने पर परमिट धारक को प्राधिकृत करते हुए गृह राज्य द्वारा राष्ट्रीय परमिट जारी किए जा सकते हैं। पहली बार परमिट धारक को 1,000 रुपए के गृह प्राधिकरण शुल्क का भुगतान भी करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को 15.09.2010 से राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) द्वारा विकसित http://vahan.nic.in/npermit/ नामक वेब पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली सभी भागीदार राज्यों में सफलतापूर्वक काम कर रही है और सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा इसका स्वागत किया गया है।

2.5 lkoZtfud ifjogu ç.kkyh dks l–<+ djuk%&मंत्रालय ने देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 15.3.2010 से एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)/मोबाइल कम्यूनिकेशन हेतु ग्लोबल सिस्टम (जीएसएम) आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, इलैक्ट्रॉनिक टिकट वेंडिंग मशीनों इत्यादि जैसी सूचना प्रौद्योगिकी आरंभ करने हेतु सहायता देने की परिकल्पना है। इस स्कीम के तहत वर्ष 2010–11 से 2016–17 के दौरान कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, केरल, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, गोवा और जम्मू और कश्मीर नामक 17 राज्यों में ग्रामीण/मुफस्सिल क्षेत्रों सहित सड़क परिवहन सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आधुनिकतम फीचरों को शामिल करने हेतु 23 परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2017–18 के दौरान एसआरटीयू की एक अथवा दो और परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा सकती है क्योंकि वे विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

2.6 chvksVh vk/kkj ij cl VfeZuyksa vkSj eYVh ekWMy VªkaftV VfeZuy dk fodkl%&सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीओटी आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े बस टर्मिनलों के विकास हेतु परियोजना विकास परामर्शदाताओं का पैनल तैयार करने की योजना को अंतिम

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

रूप दिया था। निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े बस टर्मिनलों के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना विकास परामर्शदाता लागत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र व सफल निविदाकर्ता द्वारा 75% और 25% के अनुपात में वहन की जाएगी। 75% की परियोजना लागत में 80% भाग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का होगा और राज्य सरकार/संघ राज्य का भाग 20% होगा, पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्य के लिए यह क्रमशः 90% और 10% होगा। योजना के कार्यक्षेत्र के संबंध में कार्यान्वयन हेतु परियोजना संदर्भ दस्तावेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा तैयार किये जाएंगे। मानक परियोजना संदर्भ दस्ता वेज तैयार करने के लिए डीआइएमटीएस लि. को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगस्त, 2016 में डीआइएमटीएस लि. के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

2.7 **lkoZtfud lM+d ifjogu esa efgykvksa dh lqj{kk ds fy, ;kstuk%&**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांकित 28.11.2016 के साकानि सं. 1095 (अ) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है जिसमें केंद्र सरकार ने 1, अप्रैल, 2018 से सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन अवस्थिति उपकरण और एक अथवा इससे अधिक पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

2.8 **ifjogu@;krk;kr foHkkx deZpkfj;ksa ds fy, çf'k{k.k dk;ZØe%&** यह मंत्रालय परिवहन क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास हेतु राज्यों/संघ राज्य सरकारों और नगर निगमों के परिवहन/यातायात विभाग के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रहा है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआइआरटी) पुणे, ऑटोमेटिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआइ) पुणे, इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (इएससीआइ) हैदराबाद, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान (आईआरटीइ) फरीदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली और इंडियन इंस्टीरट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (आइआइपी) देहरादून नामक सात प्रमुख संस्थानों के माध्यम से राज्य परिवहन/परिवहन विभाग कर्मियों के लिए 59 प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्वीकृत किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किये जाते हैं कि सहभागियों को सड़क परिवहन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की जानकारी दी जा सके और वे उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें।

2.9 **VSDlh uhfr ls lacaf/kr fn'kk&funsZ'k%&**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टैक्सी परमिटों से संबंधित मामलों की समीक्षा करने और शहरी यातायात के संवर्द्धन हेतु टैक्सी नीति के लिए दिशा–निर्देशों के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सिफारिश की है कि शहरी टैक्सियों को एप्प आधारित प्लेटफार्मो पर चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। नीति से संबंधित सिफारिशों में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े एग्रीगेटर्स पारंपरिक टैक्सियों को नहीं हटाते हैं। इस समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि, चार राज्यों के परिवहन आयुक्त और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, दिल्ली पुलिस, महिला और बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग और इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। इस नीति में मुख्य रूप से आम जनता के लिए सुरक्षित और सस्ती यात्रा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है ताकि शहरों में भीड़भाड़ और प्रदूषण कम किया जा सके। इस नीति में यह भी संस्तुति की गई है कि इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी की ओर से एग्रीगेट्रों द्वारा प्रयोग किये जा रहे एप्प की सत्यनिष्ठा की पुष्टि होती है। आशा की जाती है कि यह नीति टैक्सी उद्योग के स्वस्थ विकास में सहायक होगी। नीति अपने आप में संस्तुतिपरक है और यह व्यापक विनियम बनाने के लिए राज्यों को विशेष प्रकार का तंत्र उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

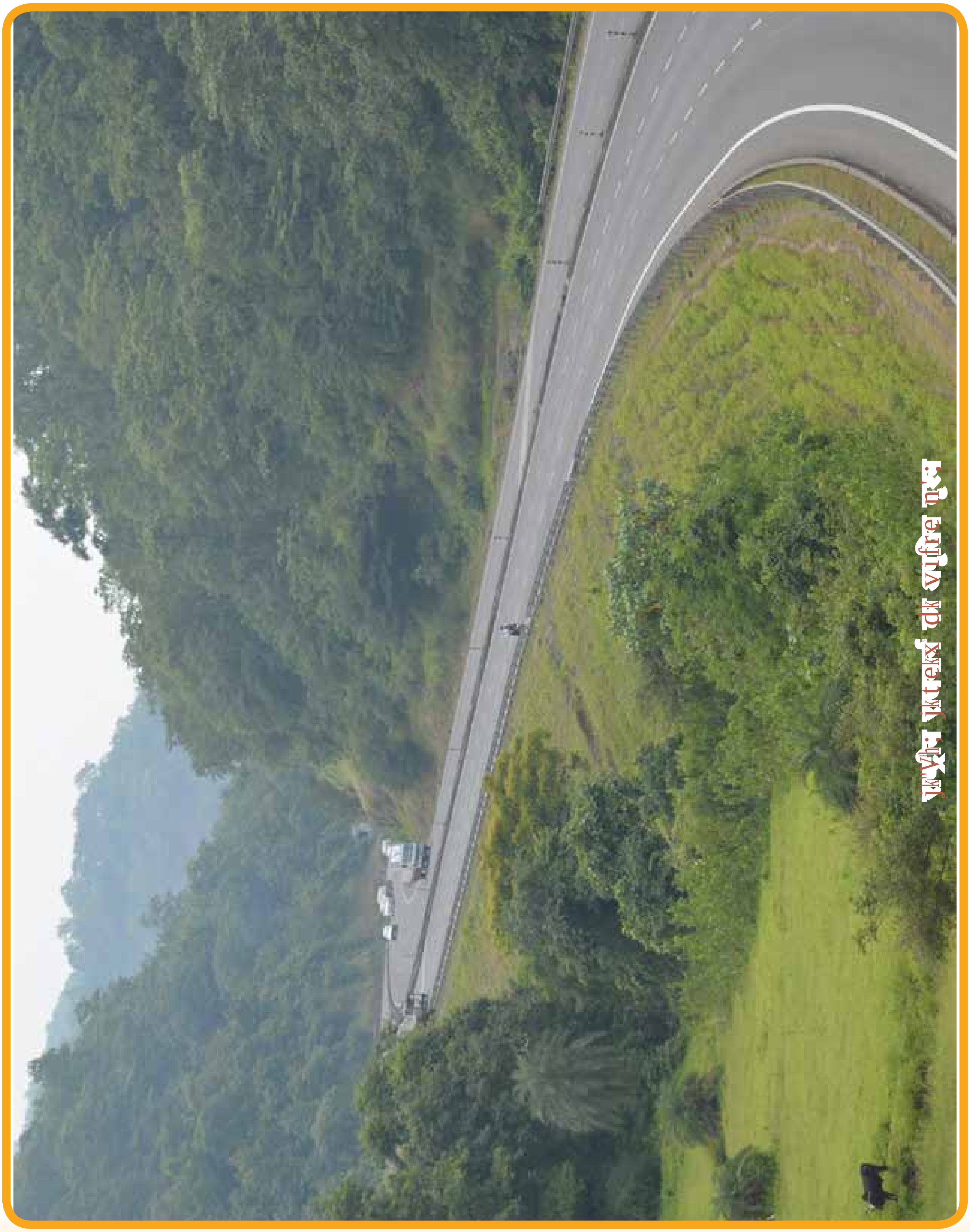

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

v/;k;&III

lM+d fodkl

3.1 इस मंत्रालय को सामान्यतः सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास तथा विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर राज्यों में सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य सरकारों को राज्यीय सड़कों के विकास में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सड़क निधि, सीआरएफ और अंतर राज्यीय सम्पर्कता तथा आथिक महत्व (आइएससीएंडइआइ) योजना से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर सम्पर्कता सुधार कार्यक्रम (एनएचआइआइपी) की अतिरिक्त मंत्रालय एसएआरडीपी–एनइ और एलडब्यूइ योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय सड़कें शामिल हैं। मंत्रालय सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना के संग्रहालय के लिए कार्य करने के अतिरिक्त देश में सड़कों और पुलों के मानकों और विनिर्देशनों के निर्धारण के लिए भी उतरदायी है।

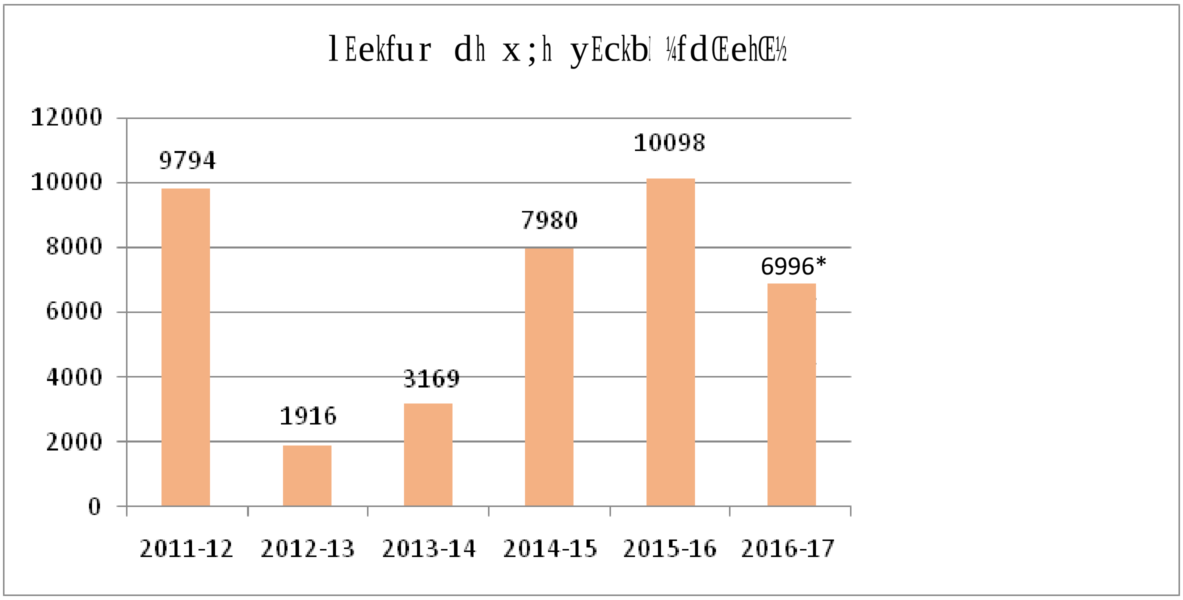

* दिसम्बर 2016 तक

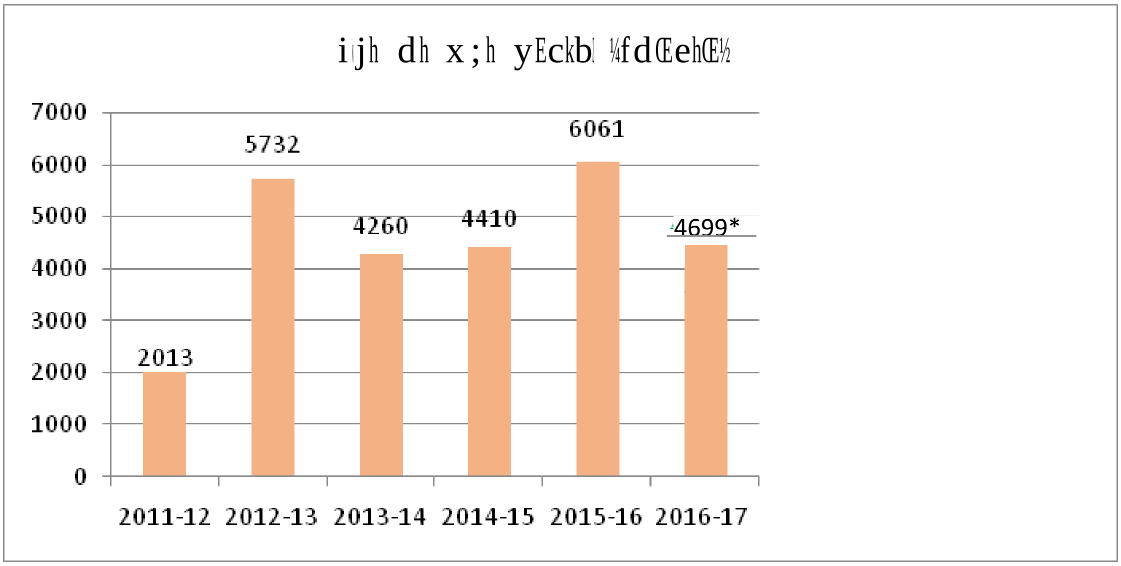

* दिसम्बर 2016 तक

3.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 1,03,933 किमी है जिसके लिए भारत सरकार संवैधानिक रूप से उतरदायी है। राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची ifjf'k"V&3 में दी गई है।

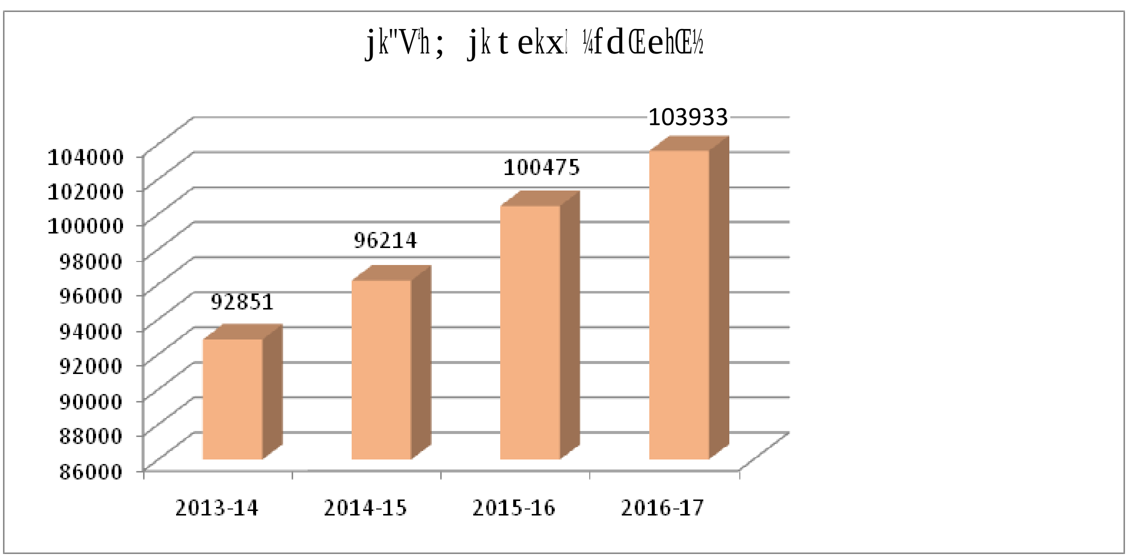

3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता दबाव, अपर्याप्त पेवमेंन्ट क्रस्ट, घटिया ज्यामिती और सुरक्षा कारकों के अभाव जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर, कार्यों को प्राथमिकताबद्ध करके विद्यमान राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। हालांकि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन प्रदान कर रही है और उच्च सघनता वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त निधियां

आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। सड़क विकास के लिए अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3-4 jk"Vh; jktekxkl dk fodkl vkj vuj{k.k

सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में वर्ष 2000 से शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

3-5 jk"Vh; jktekxl fodkl ifj;ktuk

भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 6,00,000 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों में फैली एक विशाल अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है।

3-6 jk"Vh; jktekxl fodkl ifj;ktukvk dk foÙk&ik"k.k%

वर्ष 2016–17 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 97,803 करोड़ रुपए (सं.अ. 99,972 करोड़ रुपए) के व्यय का अनुमान लगाया है जिसमें से 71,911 करोड़ रुपए (सं.अ. 80,511 करोड़ रुपए) {(वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्यक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 12,415 करोड़ रुपए (सं.अ. 11500 करोड़ रुपए)) सहित} भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बोर्ड से व्यय किये जाएंगे और 25,892 करोड़ रुपए (सं.अ. 19461 करोड़ रुपए) निजी क्षेत्र द्वारा व्यय किये जाने की संभावना है। दिसम्बर, 2016 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निजी क्षेत्र दोनों ने संयुक्त रूप से 45,077.67 करोड़ रुपए व्यय किये। (ब.अ. 2016–17 का 46 प्रतिशत, जिसमें 4,660.69 करोड़ रुपए वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्यक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए शामिल है) जिसमें से 34,260.05 करोड़ रुपए सरकारी निधि से व्यय किये गये हैं और 10,817.62 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र द्वारा व्यय किये गये हैं।

3.7 वित्त वर्ष 2016–17 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपकर के लिए 24,107.35 करोड़ रुपए (सं. अ. 21,753 करोड़ रुपए) और 7,475 करोड़ रुपए (सं. अ. 7,500 करोड़ रुपए) पथकर संग्रहण, राजस्व भाग, ऋणात्मक अनुदान और प्रीमियम के एवज में भारत की समेकित निधि में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्लो बैक निधि के रूप में जमा कराए गए हैं। एसएआरडीपी–एनइ और जम्मू और कश्मीर परियोजनाओं के लिए 1,140 करोड़ रुपए (सं. अ. 1,381 करोड़ रुपए) पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के लिए 1,326 करोड़ रुपए (सं. अ. 1,326 करोड़ रुपए) और राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 1,128 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान 1,443 करोड़ रुपए) की अतिरिक्ति बजटीय सहायता दी गई है।

3.8 बजट प्राक्कलन 2016–17 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 54ईसी बांड और कर मुक्त बांड के माध्यम से 59,279 करोड़ रुपए जुटाने थे। दिसम्बर, 2016 तक 54ईसी बांड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3,892.76 करोड़ रुपए और कर योग्य बांडों के रूप में 15,020 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

3-9 jk"Vh; jktekxl fodkl ifj;ktuk ¼,u,pMhih½ pj.k&I vkj II½

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–। और चरण–।। में निम्नलिखित मार्गों का 4/6 लेन के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास करना शामिल है:–

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) जो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली – मुम्बई – चेन्नै – कोलकाता को आपस में जोड़ता है।

(ख) उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग (एनएसईडब्ल्यू) जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सेलम से कोचीन से निकलते हुए सिलचर को पोरबन्दर से जोड़ते हैं।

(ग) देश के महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क संपर्क प्रदान करना।

3-10 vU; jk"Vªh; jktekxZ [kaM%

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I को, 30,300 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2000 में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीइए) द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,846 कि.मी., उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्गों के 981 कि.मी., पत्तन संपर्क के 356 कि.मी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 315 कि.मी. को मिलाकर कुल 7,522 कि.मी. शामिल हैं।

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II को 34,339 करोड़ रुपए (2002 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2003 में अनुमोदित किया गया था जिसमें मुख्यतः, उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्ग (6,161 कि.मी.) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 486 कि.मी. को मिलाकर कुल 6,647 कि.मी. लंबाई शामिल है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2016 तक 65 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया ।

3-11 jk"Vªh; jktekxZ fodkl ifj;kstuk pj.k&III

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत 22,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च, 2005 में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 4,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया है। बाद में, सरकार ने उन्नयन के लिए कार्यान्वयन हेतु 27.10.2006 और 12.04.2007 को 12,109 किमी की कुल लंबाई के अतिरिक्त खंडों को अनुमोदित किया जिसके लिए 12,230 किमी की लंबाई अभिनिर्धारित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर 12,109 कि.मी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंडों का अभिनिर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया गया है:–

- चरण I और II में शामिल न किए गए उच्च घनत्व वाले यातायात कॉरीडोर।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण–I और II) के साथ राज्य राजधानियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना।
- पर्यटन केन्द्रों और आर्थिक महत्व के स्थानों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना।

दिसम्बर, 2016 तक 12,109 कि.मी. के लक्ष्य के मुकाबले में 7,269 कि.मी. लंबाई में 2/4 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा लिया गया है और 2,861 कि.मी. लंबाई में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2016 तक 386 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

3-12 jk"Vªh; jktekxZ fodkl ifj;kstuk pj.k&IV

इस चरण में, सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर 78,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 20,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। यह चरण जुलाई, 2008 माह में अनुमोदित किया गया था। इसमें से लगभग 13,203 कि.मी. की

लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। 31 दिसम्बर, 2016 तक 3,195 कि.मी. लंबाई को पहले ही 2/4 लेन का बनाया जा चुका है और शेष 6,169 कि.मी. लंबाई का कार्य कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2016 तक 1,041 किमी का कार्य पूरा कर लिया गया है।

3-13 jk"Vh; jktekxl fodkl ifj;ktuk pj.k&V

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत (डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन आधार पर) मौजूदा 4 लेन वाले 6,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 41,210 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से 6 लेन बनाए जाने के कार्य को अक्टूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। 6 लेन बनाए जाने वाले 6,500 कि.मी. में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,700 कि.मी. और अन्य खंडों के 800 कि.मी. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,500 कि.मी. लंबाई में से 31 दिसम्बर, 2016 तक 2,502 कि.मी. लंबाई में 6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 1,060 किमी. में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2016 तक लगभग 127 किमी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

3-14 jk"Vh; jktekxl fodkl ifj;ktuk pj.k&VI

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– VI में डिजाइन–निर्माण–वित्त –प्रचालन पद्धति का अनुसरण करके सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 1,000 कि.मी. लंबे पूर्णतः पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों के विकास की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–VI को 16,680 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर नवंबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस चरण के लिए कुल 16,680 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से प्राप्त होंगे और साध्यता वित्त पोषण अंतर को पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, परामर्शी सेवाओं आदि की लागत को पूरा करने के लिए शेष 7,680 करोड़ रुपए सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे।

405 किमी लंबाई की कुल आठ परियोजनाएं अभी चल रही हैं।

3-15 jk"Vh; jktekxl fodkl ifj;ktuk pj.k&VII

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत बीओटी (पथकर) विधि से 16,680 करोड़ रुपए (2007 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से दिसम्बर, 2007 में स्वतंत्र रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटरों, फ्लाइओवरों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, सड़क उपरि पुलों, अंडरपासों, सर्विस रोडों आदि के निर्माण को अनुमोदित किया है। एनएचडीपी चरण–VII के अंतर्गत निम्नलिखित खंड अभिनिर्धारित किए गए हैं:–

- पीपीपीएसी द्वारा 04.08.2008 को 1,485 करोड़ रू. की लागत पर तमिलनाडु राज्य में चैन्नई पत्तन से मदुरावोयल तक चार लेन उत्थापित सड़क के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। परियोजना का कार्य 06.01.2009 को सौंपा गया था।
- बंगलुरु में रारा 7 के हब्बल फ्लाईओवर से नवीन हवाई पत्तन तक (22 किमी) 680 करोड़ रू. की लागत पर उन्नयन का प्रस्ताव। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।
- नागपुर रिंग रोड़/नागपुर सिटी के लिए बाइपास (पैकेज। और।।) के 61.53 किमी लंबाई के चार लेन मार्ग का प्रस्ताव है। परियोजना लागत 1,138 करोड़ रुपए है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 95 पर 17.04 किमी की लंबाई के चार लेन लाडोवाल बाइपास के निर्माण हेतु प्रस्ताव है। परियोजना लागत 392 करोड़ रुपए हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

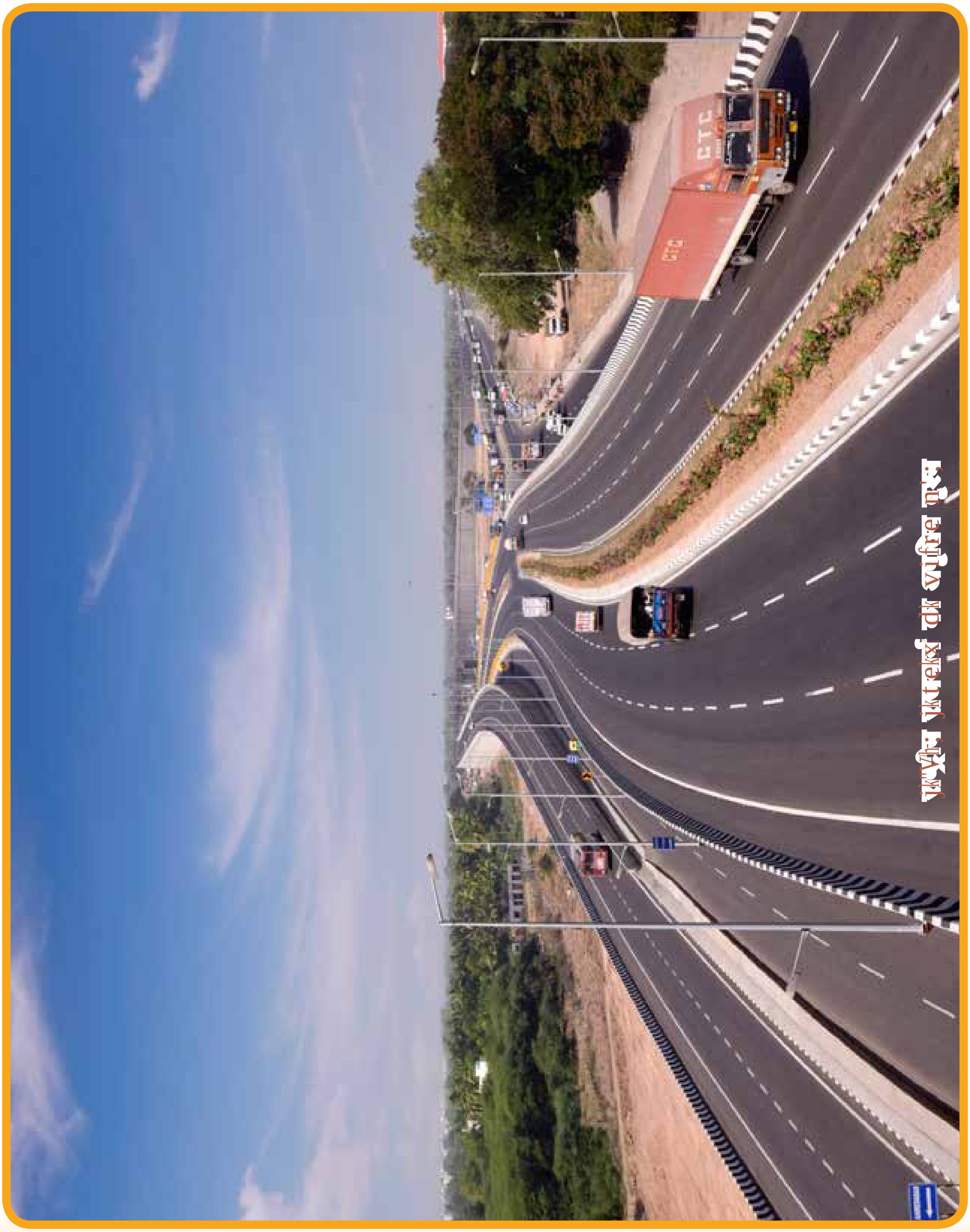

यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.

आगे चलना या
दाएं मुड़ना अनिवार्य
Compulsory Ahead
or Turn Right

3-16 jkT; ykd fuek.k foHkkx vkj lhek lMd lxBu

- मौजूदा वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 13,776 करोड़ रुपए और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए शून्य रुपए की राशि आवंटित की गई है। 13,776 करोड़ रुपए के अलावा राज्य लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि में से 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

- वर्ष 2016–17 के दौरान, राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए सीमा सड़क संगठन को आवंटित 100 करोड़ रुपए सहित 2,834 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

- वर्ष 2016–17 (नवम्बर, 2016 तक) के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा ifjf'k"V&4 में दिया गया है।

3-17 iokÙkj {k= d fy, fo'k"k Rofjr lMd fodkl dk;Øe ¼,l,vkjMhih&,ub½

- पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी–एनइ) का उद्देश्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर–दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क में सुधार करना है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 7,530 किमी की लंबाई में 2/4 लेनिंग तथा राज्यीय सड़कों की लगभग 2,611 किमी की लंबाई में 2 लेनिंग/सुधार कार्य शामिल है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में 88 जिला मुख्यालयों का निकटस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग से कम से कम 2 लेन सड़क द्वारा सम्पर्क सुनिश्चित हो जाएगा। इस कार्यक्रम को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा गया है:–

pj.k ^d* %

- इस चरण में 21,769 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,085 किमी की राज्यीय सड़कों और 3,014 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 4,099 किमी की सड़कों का सुधार कार्य शामिल है। 4,099 किमी में से सीमा सड़क संगठन, राज्यीय लोक निर्माण विभाग और एनएचएआइडीसीएल को 12,821 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3,213 किमी सड़कों के विकास का कार्य सौंपा गया है। शेष 886 किमी लम्बाई में से 112 किमी का कार्यान्वयन बीओटी (वार्षिकी) आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा 20 किमी का अरूणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा और 752 किमी का एनएचआइडीसीएल द्वारा किया जाना है। उपरोक्त 3,213 किमी में से दिसम्बर, 2016 तक 14,810 करोड़ रुपए की लागत पर 2,611 किमी की स्वकृति दे दी गई है। इसके अलावा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित 886 किमी लंबाई में से सरकार द्वारा 10,783 करोड़ रुपए की लागत पर कुल मिलाकर 505 किमी लंबाई की परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अनुमोदन दे दिया गया है। यह कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है और लगभग 1,676 किमी में कार्य पूरा हो चुका है। चरण 'क' के पूरा किये जाने की सम्भावित तारीख मार्च, 2021 है।

pj.k ^[k* %

- एसएआरडीपी–एनइ चरण 'ख' के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों, जीएस सड़कों और सामरिक सड़कों इत्यादि जैसे विभिन्न श्रेणियों के औसतन 3,723 किमी लम्बाई के 35 सड़क खंडों का सुधार कार्य शामिल किया गया है। सरकार द्वारा चरण 'ख' को केवल डीपीआर तैयार करने हेतु ही अनुमोदित किया गया है।

- वर्ष 2016–17 के दौरान एसएआरडीपी–एनइ के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इसमें से 30.11.2016 तक 2,884 करोड़ रुपए व्यय हुए। दो–लेन मानकों की कुल 81 किमी सड़कें पूरी की गई और एसएआरडीपी–एनइ के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित 6,418 किमी की तुलना में चरण 'क' और एसएआरडीपी–एनइ के अरूणाचल प्रदेश सड़क तथा राजमार्ग पैकेज के तहत पिछले वर्ष तक पूरी की गई सड़कों सहित अब तक 2,068 किमी की सड़कें बनाई जा चुकी हैं।

सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरूणाचल प्रदेश पैकेजः

अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज, जिसमें 2,319 किमी (2,205 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग और 114 किमी राज्य/जीएस सड़कें) लम्बे सड़क खंड शामिल हैं, को सरकार द्वारा 9.1.2009 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसमें से 776 किमी में कार्य को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 1,543 किमी के लिए कार्य को ईपीसी आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। दिसम्बर, 2016 तक 16,653 करोड़ रुपए की लागत से 1,769 किमी लम्बाई के कार्य सौंप दिए गए हैं। शेष 644 किमी के लिए प्राक्कलनों की जांच की जा रही है। डीपीआर की तैयारी/जाँच की जा रही है। अब तक 429 किमी में कार्य पूरा हो चुका है।

3-18 okeiFkh mxokn ls çHkkfor {k=ksa esa lMdksa dk fodkl ¼,l,vkjMhih&,ub½

- सरकार ने 26.02.2009 को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में इनके समग्र विकास के लिए 7,300 करोड़ रुपए की लागत से 1,126 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों और 4,351 किमी राज्यीय सड़कों (कुल 5,477 कि. मी.) को 2 लेन में विकसित किए जाने के लिए सड़क आवश्यकता प्लान (आरआरपी) को अनुमोदित किया था। देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास का दायित्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपा गया है।

- मंत्रालय ने उक्त कार्यक्रम संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से संस्वीकृत और कार्यान्वित कराए जाने के लिए मुख्य अभियंताओं के अधीन एलडब्ल्यूई प्रभाग गठित किया है। 30 नवम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार 8,585 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 5,422 कि.मी. लंबाई के लिए विस्तृत प्राक्कलनो की संस्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 8,497 करोड़ रुपए की लागत पर 5,406 कि.मी. लंबाई के निर्माण का कार्य सौंपा जा चुका है। 4,153 किमी में विकास कार्य नवम्बर, 2016 तक पूरा हो चुका है और अब तक किया गया संचयी व्यय 5,964 करोड़ रुपए है।

3-19 fot;okMk jkph ekxZ dk fodkl

- 1,622 कि.मी. लंबे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित विजयवाड़ा रांची मार्ग में से किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य स्कीम में शामिल नहीं की गई ओडिशा (549 किमी के नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग और 45 कि.मी. के राज्यीय राजमार्ग) में 600 कि.मी. (निवल लंबाई 594 कि.मी.) राज्यीय सड़कों के विकास को सरकार द्वारा 4 नवम्बर, 2010 को 1,200 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया है।
- अब तक, 1,126 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत के कुल 593 कि.मी. लंबाई के सभी 9 पैकेजों के लिए विस्तृत प्राक्कलन संस्वीकृत किए जा चुके हैं और सौंप दिए गए हैं। नवम्बर, 2016 तक 682 करोड़ रुपए के संचित व्यय पर 310 कि.मी. लंबाई का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है।

3-20 jk"Vªh; jktekxZ varj&laidZ lq/kkj ifj;kstuk ¼,u,pvkbvkbih½

राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर–संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआइआइपी) के चरण–। के अंतर्गत विश्व बैंक की ऋण सहायता से बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल/मध्यम लेन से 2 लेन/पेव्ड शोल्डर संरेखण सहित 2 लेन मे पुनर्वास और उन्नयन तथा खंडों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इस कार्यक्रम में 1,120 किमी की कुल लंबाई के 15 सिविल कार्य ठेकों सहित 11 खंड शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 18.04.2013 को 5,193 करोड़ रुपए (विश्व बैंक की हिस्सेदारी– 500 मिलियन डॉलर) की लागत के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया। सीसीइए के 24.08.2016 के अनुमोदन के अनुसार परियोजना लागत को संशोधित करके 6,461 करोड़ रुपए कर दिया गया है। परियोजना को मार्च, 2024 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

ifj;kstuk ?kVd%

?kVd d% lM+d lq/kkj vkSj vuqj{k.k

- राष्ट्रीय राजमार्ग खंड़ की 1,120 किमी लम्बाई का 2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।
- निर्माण के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए परिसंपत्तियों का निष्पादन आधारित अनुरक्षण।

?kVd [k% laLFkkxr fodkl ?kVd

- उद्यम संसाधन योजना प्रारम्भ करना।
- मानक प्रचालन नियमों का विकास।
- दर विश्लेषण के लिए 'लागत डाटा बेस' (राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के लिए) और 'डाटा पुस्तिका' सहित विभिन्न' मानक संदर्भ सामग्री को अद्यतन बनाना।
- आईटी आधारित सड़क सूचना पद्धति।
- व्यापक परिसंपत्ति प्रबंधन पद्धति–जिसमें 3 परियोजना राज्यों में सभी गैर–एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।

?kVd x% lM+d lqj{kk ?kVd

- सड़क सुरक्षा मानकों और प्रक्रिया संहिताओं की समीक्षा और उनको अद्यतन करना।
- परियोजना राज्यों में सड़क दुर्घटना डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- केन्द्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना लागत 6,461 करोड़ रुपए (सिविल निर्माण कार्य 4,554.26 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनःस्थापन– 610.24 करोड़ रुपए, पर्यावरण शमन– 50.84 करोड़ रुपए, जनउपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण–161.16 करोड़ रुपए, निष्पादन आधारित अनुरक्षण–432.65 करोड़ रुपए, भौतिक आकस्मिकताएं– 127.52 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को एजेंसी प्रभार–149.62 करोड़ रुपए, पर्यवेक्षण एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं–149.62 करोड़ रुपए, संस्थागत विकास और सड़क सुरक्षा–225 करोड़ रुपए)।

_.k fooj.k

- घटक कः सड़क सुधार और अनुरक्षण घटक– 468.05 मि. अमरीकी डालर
- घटक खः संस्थागत विकास घटक– 16.7 मि. अमरीकी डालर

- घटक गः सड़क सुरक्षा– 14 मि. अमरीकी डालर
- फ्रंट एंड फीस– 1.25 मि. अमरीकी डालर
- 5 वर्ष की छूट अवधि सहित ऋण को 18 वर्षों में चुकाना

dk;kUo;u çc/k

- ईएपी जोन को परियोजना के सभी पहलुओं के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेना होगा जिनमें शामिल हैं न्यायिक, प्रापण, ठेका अनुवीक्षण, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
- परियोजना कार्यान्वयन के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहित संबंधित राज्य मुख्य अभियंता एनएच के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में परियोजना समन्वय यूनिट।
- ठेकों के कार्यान्वयन का दिन पर्यवेक्षण किए जाने के लिए प्रत्येक उप–परियोजना सड़क के लिए कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन यूनिट।

foÙkh; çxfr %

- 2016–17 के लिए आवंटन : समकक्ष निधि के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए और बाहरी सहायता प्राप्त 6 परियोजना निधि से 213 करोड़ रुपए।
- अक्टूबर 2016 तक संचयी व्यय : 2,018.40 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर), वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अक्टूबर 2016 तक : 645.63 करोड़ रुपए।
- अक्टूबर 2016 तक संवितरण के लिए पात्र सकल व्यय : 1,397.33 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर), वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अक्टूबर 2016 तक : 458.29 करोड़ रुपए।
- अक्टूबर 2016 तक विश्व बैंक से प्राप्त सकल संविवरण योग्य हिस्सा : 695.01 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर), वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अक्टूबर 2016 तक : 228.41 करोड़ रुपए।
- विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति : 608.45 करोड़ रुपए (आरंभ से लेकर) अगस्त 2016 तक।

okLrfod çxfr %

चरण	कुल लम्बाई किमी में	30 नवम्बर, 2016 तक पूरी की गई लम्बाई किमी में	01.04.2016 से 30.11.2016 के दौरान पूरी की गई लम्बाई
एनएचआइआइपी चरण–I	1,120	481.12	149.92

3-21 x|.koÙkk lfu'p;u%

lkexh ,o f'kYidkjh dh x|.koÙkk

संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण, सामग्री व शिल्पकारी करार में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं, विनिर्देशनों व मानकों तथा श्रेष्ठ औद्योगिक पद्धति के अनुरूप हो।

x|.koÙkk fu;=.k ç.kkyh

संविदाकार इस करार ('गुणवत्ता सुनिश्चयन योजना') के प्रावधानों के अनुपालन का सुनिश्चयन करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की स्थापना करेगा।

ijh{k.k

इस बात का निर्धारण करने के लिए कि कार्य विनिर्देशनों व मानकों के अनुरूप हों, प्राधिकरण का अभियंता संविदाकार से यह अपेक्षा करेगा कि वह गुणवत्ता सुनिश्चयन हेतु इस करार में यथा–विनिर्दिष्टि समय व अंतराल पर तथा यथा–विनिर्दिष्ट तरीके में और श्रेष्ठ औद्योगिक पद्धति के अनुसार परीक्षण करेगा या कराएगा। प्राधिकरण की परीक्षण–जांचों में संविदाकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रक के लिए प्रत्येक श्रेणी या प्रकार के परीक्षण हेतु निर्धारित मात्रा या परीक्षणों की संख्या के कम से कम 20 (बीस) प्रतिशत परीक्षण शामिल होंगे।

यदि ईपीसी संविदा करार के खंड 11.10 के अंतर्गत संचालित किसी परीक्षण के परिणामों से कार्यों में कोई दोष या कमी पाई जाती है, तो संविदाकार सुधारात्मक उपाय करेगा और इस संबंध में प्राधिकरण के अभियंता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण का अभियंता संविदाकार से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस बात का निर्धारण करने के लिए परीक्षण करेगा या करवाएगा कि ऐसे सुधारात्मक उपायों से उक्त कार्य विनिर्देशनों व मानकों के अनुरूप हो गए हैं, तथा इस कार्य–विधि की तब तक पुनरावृत्ति की जाती रहेगी जब तक कि ऐसे कार्य विनिर्देशनों व मानकों के अनुरूप न हो जाएं। इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसे परीक्षणों और उनके अनुसरण में सुधारात्मक उपायों की लागत पूरी तरह से संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

dkS'ky fodkl %

राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में कामगारों के कौशल विकास/उन्नयन का कार्य संबंधित परियोजना को देख रहे परियोजना प्रदान/कार्यपालक अभियंता द्वारा डीजीटी के प्राधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा परियोजना साइट के समीप स्थित संस्थानों को वरीयता दी जाएगी। सिविल कार्य की कुल अनुमानित लागत की 0.05 प्रतिशत की दर पर आकस्मिक निधि के प्रावधान से प्रशिक्षण लागत को वहन किया जाएगा।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को होने वाली वेतन की हानि को पूरा करने के लिए न्यूनतम वेतन के आधार पर (15,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) वजीफा दिया जाएगा। जिसे प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु आवंटित केंद्रीय सड़क निधि से वहन किया जाएगा। कामगारों का प्रशिक्षण एनएसक्यूएफ के अनुसार होगा।

3-22 dsUæh; lM+d fuf/k

- मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के लिए 38,209 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(करोड़ रु. में)

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यीय सड़कों के लिए अनुदान	7,175
अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	805
राष्ट्रीय राजमार्ग	30,229
जोड़	38,209

- केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के आबंटन के लिए नियत की गई निधियां, विभिन्न राज्यों को, ईंधन की खपत के आधार पर 30% मान देते हुए और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 70% मान देते हुए आबंटित की जाती हैं ।

- वर्ष 2000–01 से 2016–17 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण ifjf'k"V&5 में दिया गया है।

3-23 dUæh; lMd fuf/k d vrxr jkT;h; lMdk d fy, vuekn%

वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक) के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 5,693 करोड़ रुपए की लागत वाले 409 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित कार्य शामिल नहीं हैं।

3-24 vrjkT;h; lMd lid vkj vkfFkd egRo ¼vkb,lh ,M bA½ dh ;ktuk,%

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन से पहले ही विद्यमान थीं। उस समय, केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल मामूली धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्वीकृत किए जाते थे। अब इस योजना को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित कर दिया गया है।

3-25 vrjkT;h; lMd lid vkj vkfFkd egRo dh ;ktukvk d vrxr lLoh—fr

वर्ष 2016–17 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 886.33 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

3-26 Hkkjrh; jktekx vfHk;rk vdkneh ¼vkb,,pb½ %

0;kid dk;dyki %

- भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचइ), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है। देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी।
- यह संस्थान पिछले 33 वर्षों से कार्य कर रहा है और अब 10 एकड़ में विकसित अपने स्वयं के परिसर, ए–5, सांस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर–62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में दिनांक 01.10.2001 से अपना कार्य कर रहा है।
- भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के कार्यों में मौटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:–
    - नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।
    - वरिष्ठ और मध्यस्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
    - वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं और प्रशासकों के लिए सड़क विकास में शामिल अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना।
    - राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास।

- पीपीपी और ईपीसी इत्यादि के आधार पर अल्पकालिक कोर्स/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजन करना, देश में सड़कों और राजमार्गों की आयोजना/डिजायन/निर्माण और प्रबंधन में सामूहिक अनुसंधान आयोजित करना तथा सड़क सुरक्षा जैसे विभिन्नो क्षेत्रों में विशेषज्ञ विकसित करना।

3.27 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी ने अपने प्रारंभ से 31 दिसम्बर 2016 तक 1,249 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सड़क विकास के कार्य में लगे 29,161 राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआइ/आरएनआरडीए, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र से होते हैं।

o"k d nkjku vk;kftr çf'k{k.k dk;Øe %

3.28 वर्ष 2016–17 के दौरान (31 दिसम्बर, 2016 तक), अकादमी ने 49 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 1,250 अभियंताओं ने और पेशेवरों ने भाग लिया।

3-29 lMd vkj iy dk;k e ;kf=dhdj.k rFkk vk/kfud midj.kk dk ç;kx %

सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यंत्रीकरण से गुणवत्ता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, उच्च उत्पादकता, कम लागत, श्रम को कम करने, कम से कम यातायात बाधकता इत्यादि के रूप में परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे मैनुअल तरीकों की तुलना में कार्यों के निष्पादन में तेजी आई है। सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यंत्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

- उपकरण गुणत्ता की मॉनीटरिंग : नीति के अनुसार पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य में निर्माण कार्यों के लिए मंत्रालय और राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से राजमार्ग उपकरण के मानकों और कार्य निष्पादन की जांच की गई।

- वर्तमान आइआरसी मानकों की तैयारी/पुनरीक्षण : हॉट मिक्स प्लांट, कंक्रीट बिछाने वाले उपकरण, संघनन उपकरण इत्यादि के संबंध में मौजूदा आइआरसी मानकों का उन्नयन/पुनरीक्षण और नए मानकों की तैयारी आरंभ की गई है।

- त्रिपुरा राज्य में भूस्खलन संबंधी सफाई के लिए अपेक्षित अनिवार्य मशीनरी की खरीद करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए अनुरक्षण हेतु एक बारगी उपाय के रूप में आवंटित की गई।

आगे रास्ता चौड़ा है

Road Widens Ahead

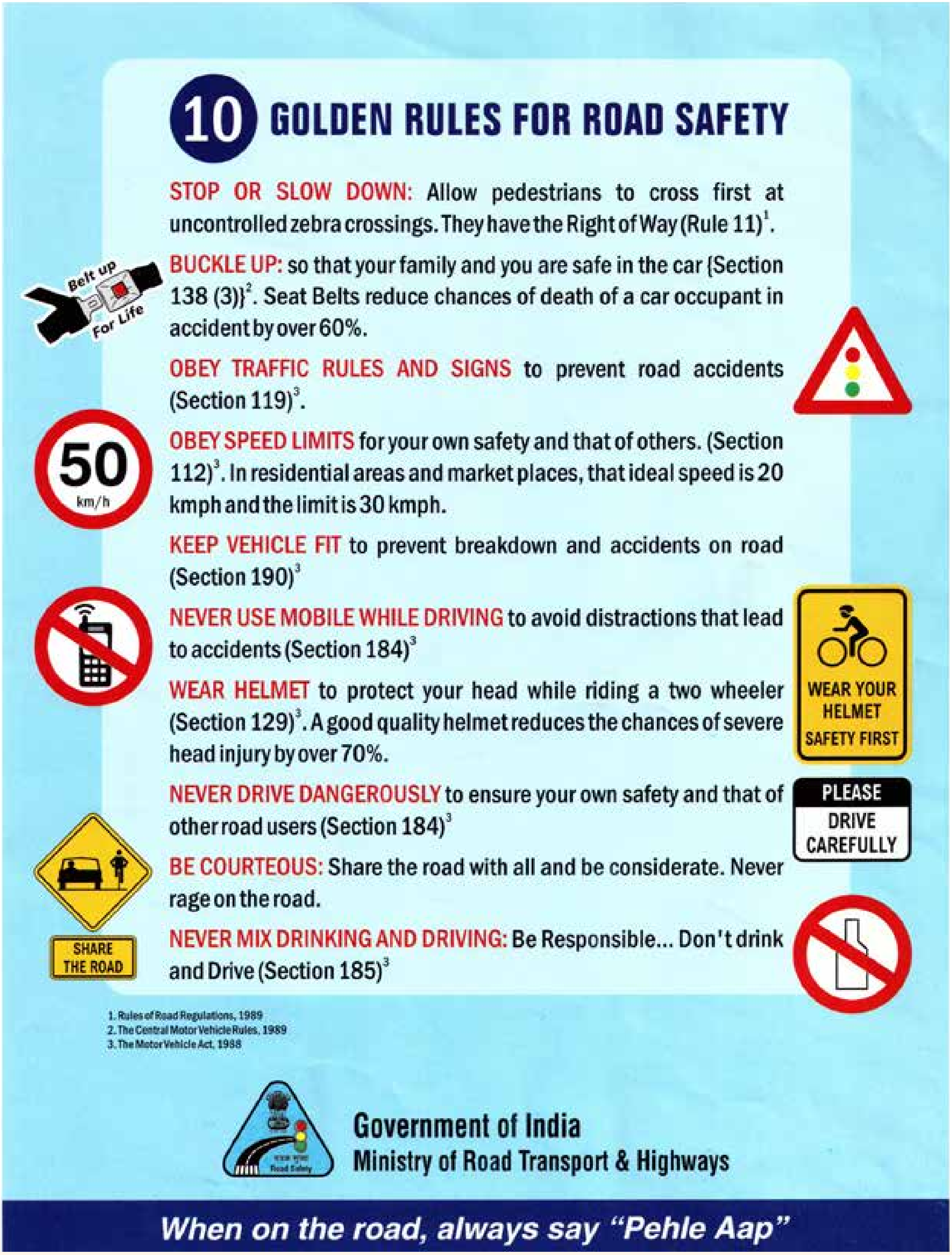

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

This sign signifies that the road ahead is wide. The width of the road widens after this sign and thus traffic should adjust accordingly.

v/;k;&IV

4. lM+d ifjogu

4.1 सड़क परिवहन भारत में यातायात और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दोनों की दृष्टि से परिवहन का प्रमुख साधन है। माल और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा, सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों में न्यायोचित रीति से सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी देश की सामाजिक और आर्थिक एकता एवं विकास में भी विशेष भूमिका है। आसान सुलभता, संचालन में लचीलापन, घर–घर तक सेवा पहुंचाने और विश्वसनीयता में सड़क परिवहन ने परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यात्री एवं माल की आवाजाही दोनों में अधिक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है।

निरंतर आर्थिक विकास और सड़क नेटवर्क में विस्तार से भारत में मोटरचालित वाहनों में तेजी से वृद्धि हुई है। कुल पंजीकृत मोटर वाहनों की 1951 में लगभग 0.3 मिलियन की संख्या 2015 में 210.0 मिलियन हो गई है। देश में कुल मोटर वाहनों की संख्या 2005 से 2015 के बीच 9.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर से बढ़ी है। यद्यपि वर्षों तक विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों की संख्या बढ़ रही थी, तथापि वृद्धि दरों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं और इसलिए उस दौरान पंजीकृत वाहनों की संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। वर्ष 1951 में जो दुपहिया 8.8 प्रतिशत थे, अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ने के कारण 2015 तक सबसे प्रमुख हो गए जोकि कुल पंजीकृत वाहनों के 73.5 प्रतिशत के हिसाब से हैं। संयुक्त रूप से कार, जीप और टैक्सी की श्रेणियों के वाहनों, मालवाहक वाहनों और बसों का हिस्सा वर्ष 1951 में कुल पंजीकृत वाहनों के 89.9 प्रतिशत से घटकर 2015 में 19 प्रतिशत रह गया है। ट्रैक्टर, ट्रेलर और तिपहिया समेत 'अन्य' श्रेणी के मोटर वाहनों की हिस्सेदारी 1951 में 1.3 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 7.5 प्रतिशत हो चुकी है।

अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से परिवहन क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 5 प्रतिशत के कुल योगदान में से सड़क परिवहन का सकल मूल्य संवर्धन में लगभग 3.3 प्रतिशत का योगदान है।

4.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने/इसकी मॉनीटरिंग करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

4.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावलियों, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति निहित है, का प्रशासन किया जाता है –

- मोटरयान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950

- वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करके सड़क द्वारा वहन अधिनियम 2007
- सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011

4.4 गंभीर सड़क सुरक्षा परिदृश्य और सड़क सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता तथा परिवहन को सुगम बनाने की दृष्टि से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में परिवहन क्षेत्र के मसलों पर विचार–विमर्श करने के लिए फरवरी, 2016 में राजस्थान सरकार के माननीय लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान की अध्यक्षता में राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह से कहा गया था कि वे सुरक्षा और आवाजाही की दृष्टि से सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच व्यवस्थाओं का पता लगाएं और कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योग्य उपाय सुझाएं। मंत्रियों के समूह की नई दिल्ली, बंगलुरु और धर्मशाला में तीन बैठकें हो चुकी हैं। उनका विचार है कि सड़क क्षेत्र में सुरक्षा और कार्यक्षमता के मुद्दों का समाधान करने के लिए लम्बित सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 में तत्काल बदलाव किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर 9 अगस्त, 2016 को लोक सभा में मोटर यान संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया गया। इस विधेयक को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित विभाग को जांच एवं रिपोर्ट हेतु भेज दिया गया है।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016 में कड़े दंड देने, इलैक्ट्रॉनिक प्रवर्तन की अनुमति देने, फिटनेस प्रमाण और लाइसेंसिंग व्यवस्था में सुधार करने, गुड समेरिटनों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान करने और सूचना प्रौद्योगिकी–क्षम प्रवर्तन प्रणालियों द्वारा सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान किया गया है। इस विधेयक से सार्वजनिक परिवहन में सुधार का मार्ग भी प्रशस्त होता है जिससे सड़क सुरक्षा में सहायता मिलेगी। बिल में दुर्घटना पीड़ितों का समय रहते उपचार कराने का भी प्रावधान है जिससे अनमोल जीवन को बचाने में सहायता मिलेगी।

4.5 राज्यों के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 08.05.2010 से एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली क्रियान्वित की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार 1,000 रुपए के गृह मंत्रालय प्राधिकरण शुल्क तथा 16,500 रुपए प्रति वर्ष प्रति ट्रक के हिसाब से परमिट धारक को देशभर में संचालन के लिए प्राधिकृत करने से संबंधित समेकित शुल्क का भुगतान करने पर गृह राज्य द्वारा राष्ट्रीय परमिट दिया जा सकता है। नई प्रणाली को दिनांक 15.09.2010 से राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) द्वारा विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से भी क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से वसूल किए गए समेकित शुल्क को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सहमत फार्मूला के आधार पर याथानुपात बांटा जा रहा है।

4.6 वर्ष 2016–17 के दौरान, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) पुणे, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया (इएससीआई) हैदराबाद, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) देहरादून, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान (आईआरटीई) फरीदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और पेट्रोलियम संरक्षण और रिसर्च एसोसिएशन (पीसीआरए) दिल्ली नामक प्रमुख ऑटोमोबाइल संस्थानों/रिसर्च एसोसिएशन और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से राज्य परिवहन/यातायात विभागों और नगर निगम के अधिकारियों के लिए इस मंत्रालय द्वारा 59

कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इसमें भाग लेने वालों के सड़क परिवहन क्षेत्र में शासन और उभरती चुनौतियों का सामना करने के सभी पहलुओं की जानकारी दी जा सके।

lM+d lqj{kk

4.7 सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में जागरूकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस स्थापित करने, सुबोध परिवहन प्रणाली लागू करने समेत सुरक्षित सड़क ढांचे को बढ़ावा देने और सुरक्षा से संबंधित नियमों को लागू करने इत्यादि जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय किये है। मंत्रालय द्वारा प्रचालित सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण योजना में सड़क सुरक्षा पर प्रचार, उपाय और जागरूकता अभियान, ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना करने की योजना, असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना और मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा स्कीम (एनएचएआरएसएस), निरीक्षण और प्रमाण केंद्र स्थापित करना और सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण, प्रशिक्षण उपकरण और कार्यक्रम कार्यान्वयन इत्यादि जैसी स्कीमें शामिल हैं।

4-8 fujh{k.k vkSj çek.ku dsUæksa dh LFkkiuk%

केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 के भाग 59 में केंद्र सरकार को वाहनों की आयु निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर) द्वारा परिवहन वाहनों और पर्यटक वाहन की आयु निर्धारित की गई है। निजी वाहनों की आयु निश्चित नहीं की गई। देश की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना है। सामान्यतः वाहन तभी तक सड़क पर रहना चाहिए जब तक कि यह सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों को पूरा करता हो। यदि वाहनों का नियमित अंतराल में फिटनेस परीक्षण होता रहे तो सुरक्षा और उत्सर्जन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। इसलिए मंत्रालय ने वाहनों के लिए उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई निरीक्षण और अनुरक्षण प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार ऑटोमेटिड निरीक्षण और प्रमाणन (आइएंडसी) केंद्र का मॉडल डिजाइन किया गया और प्रत्येक राज्य में ऐसा एक केंद्र स्थापित करने के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक–एक अर्थात कुल 10 माडल आटोमेडिट निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र पायलट आधार पर संस्वीकृत किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत भूमि संबंधित राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार के एक केंद्र को स्थापित करने की कुल लागत लगभग 1,440 लाख रू. होती है। निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र नासिक, महाराष्ट्र अक्टूबर, 2015 से प्रचालनरत है। निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र, रेलमार्ग (राजस्थान), छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश), नीलमगरा (कर्नाटक), दिल्ली और रोहतक (हरियाणा) के शीघ्र ही प्रचालनरत होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि उपलब्ध नहीं करा सकी, इसलिए वहां परियोजना आरंभ नहीं हो पायी। शेष तीन केंद्र छह माह में प्रचालनरत हो जाएंगे।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में ऐसे 10 और केंद्र संस्वीकृत करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने ओडिशा, केरल, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ और पश्चिम बंगाल प्रत्येक राज्य में एक–एक निरीक्षण और प्रमाण केंद्र खोलने के लिए कुल छह केंद्रों को स्वीकृति दी है। इन केंद्रों का सिविल निर्माण जल्द ही आरंभ हो जाएगा।

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

4-9 Mkbfoax çf'k{k.k vkj vuql/kku lLFkku ¼vkbZMhVhvkj½ %

भारतीय सड़कों पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है जिनमें एक लाख अड़तीस हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं। विगत में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययनों का कारणवाचक विश्लेषण करने पर पाया गया है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवरों की गलती के कारण होती है। वर्ष 2014 की रिपोर्ट दर्शाती है कि 78 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती के कारण हुई। केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर) ने ऐसे पर्याप्त प्रावधान हैं जो यह सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि ड्राइवरों में ड्राइविंग कौशल एवं सड़क संबंधित विनियमों के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, तथापि यह महसूस किया गया कि मौजूदा और नये आने वाले ड्राइवरों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से ड्राइविंग प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। ड्राइविंग के मानक निर्धारित करने और ड्राइविंग की मॉनिटरिंग करने तथा प्रशिक्षण कौशल की वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता भी अनुभव हुई। इस परियोजनार्थ, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) स्थापित करने की योजना बनाई।

तत्कालीन योजना आयोग की सहमति से ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) स्थापित करने के लिए योजना कार्यान्वित की जा रही है। आईडीटीआर स्थापित करने के लिए योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- सभी राज्यों में माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना।
- शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- भारी मोटर वाहनों की ड्राइविंग में इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- हल्के मोटर वाहनों की ड्राइविंग में इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- सेवारत ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या और ओरिएंटेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- औचक आवधिक मूल्यांकन सहित खतरनाक सामान की ढुलाई करने वाले ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- ड्राइवरों में अपेक्षित व्यवहार और मनोवृत्तिगत परिवर्तन संबंधी अनुसंधान करना।
- विद्यालयी छात्रों और अन्य संवेदनशील ग्रुपों के लिए सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित करना।
- आबंटित क्षेत्रों में आवधिक लेखा परीक्षा करना और आरडीटीसी को मान्यता प्रदान करना।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13 माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संस्वीकृत किए गए थे और ये सभी तैयार हो चुके हैं और कार्यरत्त हैं। 11वीं योजना के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकाघाट (हिमाचल प्रदेश), छिंदवाडा (मध्य प्रदेश), राजसमंद (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र), भिवानी (हरियाणा),

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicate that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

औरंगाबाद (बिहार), अगरतला (त्रिपुरा) और उत्तर प्रदेश (रायबरेली) में आईडीटीआर स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है। तीन आईडीटीआर अर्थात छिंदवाडा, पुणे और राजसमंद के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और ये कार्यरत्त हैं। शेष आईडीटीआर का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है और अगले वर्ष के दौरान इनके पूरा हो जाने की संभावना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में 10 और आईडीटीआर तथा 25 क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब तक मंत्रालय छत्तीगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में एक–एक आइडीटीआर तथा महाराष्ट्र में चार और पश्चिम बंगाल में एक आरटीडीसी स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति दे चुका है।

4.10 jk"Vh; jktekxl n?kVuk jkgr lok Ldhe ¼,u,p,vkj,l,l½ %

इस स्कीम में दुर्घटना के पश्चात सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समीप के चिकित्सा सहायता केंद्र तक ले जाने और दुर्घटना स्थल को निर्बाध करने के लिए राहत और बचाव उपाय करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों को क्रेन और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 10 टन की 347 क्रेनें और 106 लघु/मध्यम आकार की क्रेनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों को 509 एम्बुलेंसें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और मिजोरम राज्य में एम्बूलेंसों की खरीद के लिए 17.00 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है।

इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 140 अभिनिर्धारित राज्य सरकारी अस्पतालों में ट्रोमा केयर सुविधाओं का उन्न्यन करके राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 'ट्रामा केंद्र के एक एकीकृत नेटवर्क की स्थापना' नामक स्कीम के अंतर्गत उन्नत अभिज्ञात 140 अस्पतालों को 140 उन्न्त जीवन सहायता एम्बुलेंसें भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का नकदीरहित उपचारः ''स्वर्णिम घंटे'' के दौरान तत्काल व उपयुक्त चिकित्सा देखभाल मुहैया कराके दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने और इस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली घातकताओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने एनएचएआरएसएस नामक स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत की थीः–

- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सं.–8 का गुड़गांव – जयपुर खंड (आइसीआइसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा कार्यान्वित)
- राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–8 का वड़ोदरा – मुंबई खंड (इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित)
- राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–33 का रांची – राररगांव – महुलिया खंड (आइसीआइसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा कार्यान्विचत)

इस परियोजना में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के प्रथम 48 घंटों के दौरान दुर्घटना स्थल से अस्पताल ले जाने और जहां कहीं आवश्यक हो, उन्हें उपचार हेतु किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल ले जाने अथवा 30,000 रु. मुहैया कराने, जैसी भी स्थिति हो, का प्रावधान है ताकि ''स्वर्णिम घंटे'' के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल व उपयुक्त चिकित्सा देखभाल मुहैया कराके उनके जीवन को बचाया जा सके।

इस प्रायोगिक परियोजना से एक उचित अखिल–भारतीय स्कीम तैयार करने में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस प्रायोगिक परियोजना के निष्कर्षों के आधार पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए देश भर में नकदीरहित उपचार हेतु शुरू की जाने वाली स्कीम को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। प्रायोगिक परियोजना के दौरान प्राप्त अनुभव व आंकड़ों से निम्निलिखित मुहैया हो सकेगाः–

- (क) साधारण चोटों (ख) गंभीर चोटों के लिए संभावित–औसत उपचार लागत।
- यदि दुर्घटना पीड़ित 48 घंटे के पश्चात अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उपचार कराने व व्यय वहन करने के तौर–तरीके।
- इन तीन परियोजनाओं से लगभग 15,000 दुर्घटना पीड़ित लाभान्वित हुए हैं तथा प्रति पीड़ित औसत लागत लगभग 12,000 रु. है।
- पीड़ितों को औसतन 30–40 मिनट के भीतर अस्पताल तक पहुंचाना संभव हो पाया है।

4-11 lMd lj{kk lc/kh çpkj mik; vkj tkx:drk vfHk;ku%

आम जनता में सड़क सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार टी.वी. स्पाट/रेडियो जिंगल प्रसारित करके, सिनेमा स्लाइड प्रदर्शित करके, होर्डिंग लगाकर, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सेमिनार आयोजित करके, प्रदर्शनी लगाकर, सड़क सुरक्षा के संबंध में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करके, हेंडबिल/स्टीकर, पोस्टर आदि मुद्रित कराके, जिनमें पैदल पथ यात्री, साइकल सवार, विद्यालयी छात्र, भारी वाहन, ड्राइवर आदि जैसे विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा संदेश होते हैं, सड़क रेलिंग पर सड़क सुरक्षा थीम पेंट कराकर, सड़क सुरक्षा खेल, सड़क सुरक्षा संदेश वाले कलेंडर छपवाकर सड़क सुरक्षा का कार्य करता है। प्रचार अभियान डीएवीपी, दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों के माध्यम से चलाया जाता है। सड़क सुरक्षा को एक सामाजिक आंदोलन बनाना मंत्रालय का एक प्रयास है। यह मंत्रालय सड़क सुरक्षा को अनजाम तक पहुंचाने के लिए गैर–सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने हेतु योजना की समीक्षा करने पर भी विचार कर रहा है।

4-12 lMd lj{kk midj.k dh vkifrl

वर्ष 2015–16 के दौरान जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए ब्रेथ एनालाइजर की खरीद हेतु 1.13 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है।

4-13 lMd ifjogu vkj jktekxl e=ky; u o"kl d nkjku fuEufyf[kr dk;ldyki Hkh fd;s g%&

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइवरों तथा राजमार्ग निर्माण कार्य में लगे कामगारों के लिए अपने प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पिछले तीन महीनों में कई परिपत्र जारी किए गए हैं और संबंधित एजेंसियों तथा केंद्र व सभी राज्यों की एजेंसियों को निदेश जारी किए गए है जिनमें इस योजना के दिशा निर्देशों की रूपरेखा दी गई है।

- ड्राइवरों के मामलें में, राज्य सड़क परिवहन निगमों (एसआरटीसी) द्वारा संचालित मौजूदा ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों पर कौशल/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए प्राइवेट प्रोमोटरों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन निगम को अपने प्रशिक्षण ढांचे को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। इसी प्रकार, मंत्रालय प्रत्येक प्राइवेट प्रोमोटर को, उनकी परियोजना रिपोर्ट का विधिवत आकलन होने और एनएसडीसी अथवा मान्यता–प्राप्त वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित होने पर 1 करोड़ रुपए का अनुदान देगा।

4.14 byfDV'd clk l lcf/kr lhvkbvkjVh ik;yV çktDV%

मंत्रालय ने सीआरआईटी के सहयोग से रिट्रो–फिटमेंट समाधान के सहयोग से रिट्रो–फिटमेंट समाधान के रूप में डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परवर्तित करने के लिए एक पायलेट प्रोजेक्ट आरंभ किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एसआरटीयू की 10 बसों और माननीय सांसदों के प्रयोग हेतु 2 मिनी बसों को परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है। सीआईआरटी को 12 बसों लिए कार्यादेश दिया गया है। एक बस संसद भवन में चल रही है।

***

सभी मोटर वाहनों का आना मना है
All Motor Vehicles Prohibited

Hkkjrh; iqy çca/ku ç.kkyh dk 'kqHkkjEHk ¼vkbZchvkbZ,e,lZ½

lM+d ekxZ ls eky ifjogu dh ifjpkyu {kerk ds v/;;u ds fy, Vhlhvkbl&vkbZvkbZ,e dksydkrk dh rhljs laLdj.k dh 'kq:vkr

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़–भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

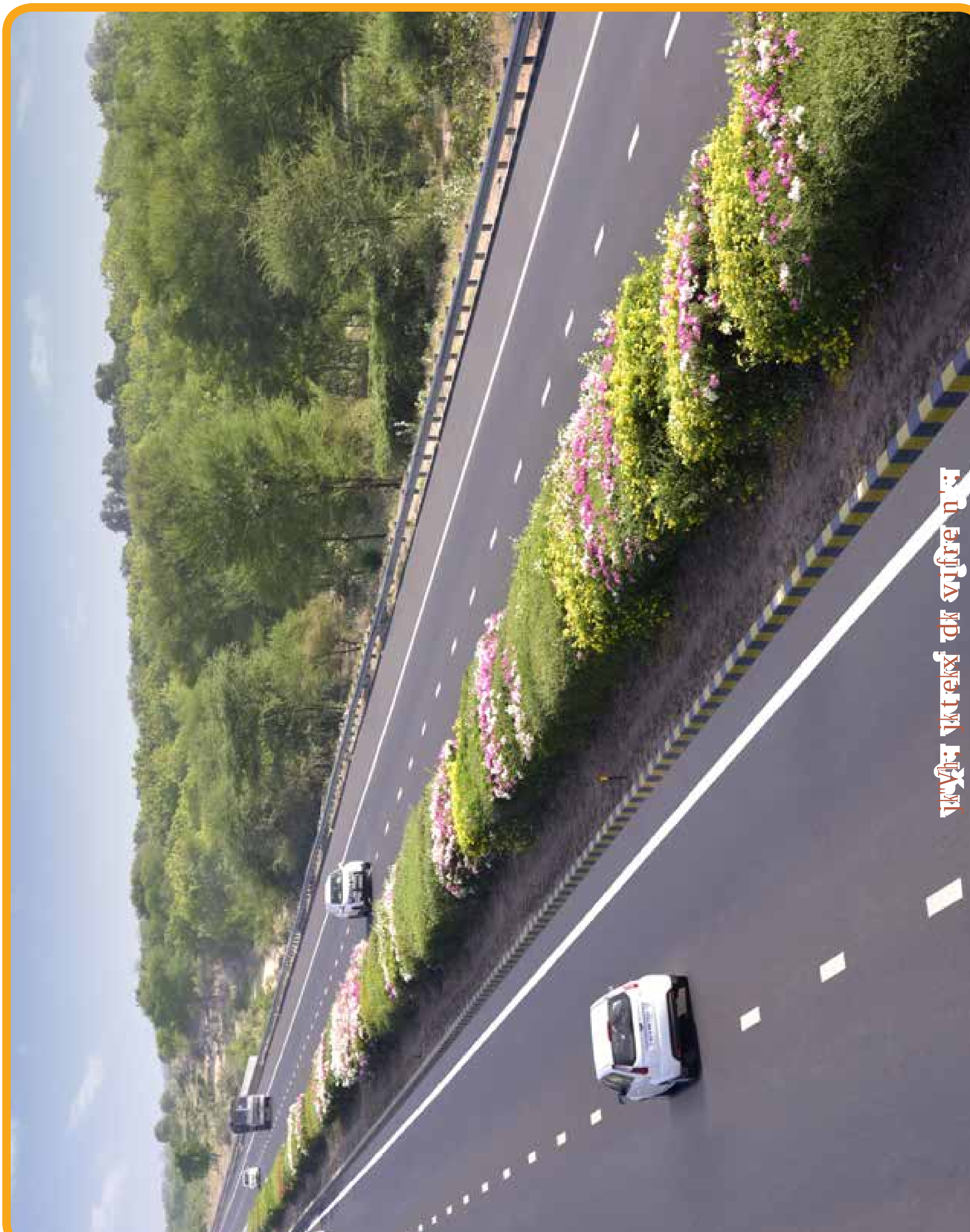

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

आगे अवरोध है
Barrier Ahead

v/;k;&V

iokÙkj {k= d fy, jk"Vh; jktekxk dk fodkl

5.1 मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु विशेष ध्यान दे रहा है और कुल आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 13,258 किमी है और इन्हें तीन एजेंसियों– राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएचएआइडीसीएल द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जा रहा है। कुल 13,258 किमी लम्बाई में से लगभग 12,476 किमी एनएचएआइडीसीएल और संबंधित राज्यीय लोक निर्माण विभाग के पास है। शेष 782 किमी लम्बाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है।

5.2 राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए विकास एवं अनुरक्षण कार्यों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(i) एनएचडीपी चरण–III के अंतर्गत लम्बाई	110 किमी
(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई, एसएआरडीपीएनइ के अंतर्गत राज्यीय सड़कें:	
चरण 'क'	4,099 किमी
चरण 'ख'	2,392 किमी
अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज:	2,319 किमी

5.3 मेघालय राज्य (जोवाई–मेघालय/असम सीमा (रताचेरा) खंड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 की 110 किमी लम्बाई एनएचडीपी चरण–।।। के अंतर्गत आती है।

5.4 अन्तराष्ट्रीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत 523.62 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

5.5 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1,257.86 करोड़ रुपए की राशि के 130 कार्य प्रगति पर हैं।

5.6 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत स्वीकृत 3,557.78 करोड़ रुपए के 124 कार्य प्रगति पर हैं।

5.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्य वार ब्योरे इस प्रकार हैं:–

v:.kkpy çns'k

5.8 सरकार ने 11,919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2,319 किमी सड़कों के निर्माण/सुधर कार्य शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज अनुमोदित किया है। 2,319 किमी लम्बाई में से 2,180 किमी लम्बाई अरूणाचल प्रदेश राज्य में पड़ती है।

5.9 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 178.07 करोड़ रुपए की लागत के 17 कार्य शुरू किए गए हैं।

कई बार सड़क पथ–कर वसूली केंद्र/जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

Many a times the road passes through toll collection point/check posts etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a barrier ahead on the road and vehicle has to stop there.

5.10 अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत 187.04 करोड़ रुपए की लागत के 10 कार्य प्रगति पर हैं।

v l e

5.11 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार 1,665 करोड़ रुपए की लागत के 40 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.12 असम में लुमडिंग–डबोका–नगांव–गुवाहाटी से होकर सिल्चर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 670 किमी की लम्बाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। के अंतर्गत पूर्व पश्चिम महामार्ग के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। असम में बालचेरा और हरंगजों के बीच 31 किमी को छोड़कर पूर्व–पश्चिम महामार्ग खंड का कार्य सौंप दिया गया है और 4 लेन बनाने का कार्य प्रगति के भिन्न–भिन्न चरणों में है। गुवाहाटी बाईपास के 18 किमी में कार्य पूरा कर लिया गया है।

5.13 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभी तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 307 करोड़ रुपए के 40 कार्य प्रगति पर हैं।

5.14 अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 2014–15 के दौरान स्वीकृत 60.00 करोड़ रुपए के दो आरंभ हो चुके कार्य प्रगति पर हैं।

5.15 सरकार ने 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' के चरण 'क' के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर नुमालीगढ और गोहपुर को जोड़ने वाले चार लेन के पुल के निर्माण सहित नुमालीगढ से डिब्रुगढ़ (201 किमी) तक राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। नुमालीगढ–डिब्रुगढ़ तक तीन पैकेज सौंपे जा चुके हैं और एनएचआइडीसीएल द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जहां तक नुमालीगढ़–गोहपुर पुल का संबंध है, डीपीआर तैयार किए जाने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है।

5.16 सरकार ने 11,919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2,319 किमी सड़कों को शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी है। 2,319 किमी लम्बाई में से 139 किमी असम राज्य में आती है।

ef.ki|j

5.17 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार, रारा (मूल) के अंतर्गत 53.32 करोड़ रुपए की लागत से 2 पुलों पर हो रहे कार्यों सहित 1,190.34 करोड़ रुपए की लागत के 16 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.18 सीआरएफ के अंतर्गत 166.31 करोड़ रुपए की राशि के 20 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

5.19 इआइ और आईएससी के अंतर्गत 116.18 करोड़ रुपए की राशि के 7 निर्माण कार्य प्रगति पर है।

e?kky ;

5.20 31 दिसम्बर 2016 तक की स्थिति के अनुसार रारा (मूल), के अंतर्गत 87.47 करोड़ रुपए के 16 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

फिसलन-भरी सड़क
Slippery Road

5.21 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 78.89 करोड़ रुपए के 9 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 60.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1 कार्य प्रगति पर है।

fetkje

5.22 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार, रारा (मूल), के अंतर्गत 425.26 करोड़ रुपए के 18 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.23 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 205.25 करोड़ रुपए की धनराशि के 16 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.24 इआइ और आइएससी के अंतर्गत 23.97 करोड़ रुपए मूल्य का 1 निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ukxkySaM

5.25 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार, रारा (मूल), के अंतर्गत 863.70 करोड़ रुपए की लागत से 18 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.26 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 284. 31 करोड़ रु. मूल्य के 13 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.27 इआइ और आइएससी के अंतर्गत 180.80 करोड़ रुपए मूल्य के 11 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

flfDde

5.28 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 38.03 करोड़ रुपए की राशि के 15 सुधार कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 180.80 करोड़ रु. की लागत के 11 कार्य प्रगति पर हैं।

f=iqjk

5.29 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार, रारा (मूल), के अंतर्गत 260.22 करोड़ रुपए की लागत वाले 9 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.30 राज्य सड़कों के सुधार के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 27.89 करोड़ रुपए की राशि के 4 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। आर्थिक महत्व की स्कीम (इआइ) के अंतर्गत 21.22 करोड़ रुपए की लागत का 1 कार्य प्रगति पर है।

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन–भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.

यह चिन्ह पैदलपथ अंडरपास/सबवे को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास/सबवे का प्रयोग करना चाहिए।

This sign indicates entry to a pedestrian underpass/subway. Pedestrians should invariably use these underpass/subway to cross the road.

v/;k;&VI

o"k 2016&17 d nkjku vu|l/kku vkj fodkl%

6.1 सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका, परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और गुणता नियंत्रण के लिए राजमार्ग आयोजन, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण में नई प्रकार की निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने तथा नई तकनीकें प्रस्तुत करने हेतु सड़क एवं पुल निर्माण कार्य से संबंधित विनिर्देशनों को अद्यतन करने की है। मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर, प्रयोक्ता एजेंसियों/विभागों द्वारा अपने–अपने कार्य–क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं। इनमें सड़क, पुल, यातायात और परिवहन इंजीनियरी आदि क्षेत्र आते हैं। अनुसंधान कार्य, विभिन्न ख्याति प्राप्त अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है। अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से ''भारतीय राजमार्ग में शोध'' डाइजेस्ट के प्रकाशन और इन निष्कर्षों को भारतीय सड़क कांग्रेस के अभ्यास/मैनुअलों के मार्गदर्शी निर्देशों/कोडों, मंत्रालय के विर्देशनों, अत्याधुनिक रिपोर्टों को तैयार करने और मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों/परिपत्रों में शामिल करके किया जाता है। मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा, संवेदनशील सड़क प्रयोक्ताओं और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा में सुधार किए जा रहे हैं। इस प्रकार, अनुसंधान कार्य की देश में सड़क अवसंरचना संबंधी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए 600.00 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

vu|l/kku vkj fodkl lc/kh çLrko

6.2 सड़क निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टीआइएफएसी) द्वारा विजन 2035 तथा मंत्रालय के एसआर और टी (सड़क) जोन द्वारा अभिनिर्धारित अन्य विषयों जैसे कि अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों को, मार्गनिर्देशनों अथवा कोडों/विनिर्देशनों/अंतरिम नीतिगत अनुदेशों से संबंधित स्टेट ऑफ आर्ट प्रतिवेदनों की तैयारी हेतु राजमार्ग अभियंताओं द्वारा अपनाए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

6.3 मंत्रालय ने सड़क और पुलों से जुड़े 76 क्षेत्रों के संबंध में स्टेट ऑफ आर्ट प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआइटी), केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। प्रत्युत्तर में विभिन्न संस्थानों से 65 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और इनकी जांच की जा रही है और ये अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा (इंटरसेक्शन) पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें।

This road sign indicates that there is a cycle path intersecting the major road or is frequented by cyclists. The driver should carefully cross this intersection so that cyclist could cross the major road safely.

ubl lkexh vkj rduhd%

6.4 मंत्रालय का प्रयास रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई/वैकल्पिक सामग्री/प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए मंत्रालय ने भारतीय सड़क कांग्रेस की सहायता से मान्यता देने की प्रक्रिया आरंभ की है। तथापि, सूचना है कि परियोजना इंजीनियर, डिजाइनर और परामर्शदाता भी नई/वैकल्पिक सामग्री/प्रौद्योगिकियों को निरंतर पसंद कर रहे हैं। इसलिए, मंत्रालय ने इनके अभिग्रहण के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों के प्रयोग का शीघ्र पता लगाने के लिए मंत्रालय की एक समन्वयन समिति का गठन किया गया है जिसमें अब तक 22 ऐसी नई सामग्रियों/तकनीकों का चयन किया है।

6.5 प्रक्रिया का सरलीकरण करने और राजमार्गों पर नई सामग्रियों और तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि भारत और विदेश में उपयोगी सिद्ध होने वाली नई सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों को अधिकृत किया जाएगा बशर्ते कि प्रवर्त्तक निष्पादन सिद्ध करें और भारत में स्थायी कारोबार स्थापित करें। इसके अलावा मंत्रालय ने निदेश दिया है कि नई/वैकल्पिक सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकियों को क्षेत्र परीक्षणों में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके कार्य निष्पादन का एक निर्धारित समय के लिए मूल्यांकन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भविष्य में उनके प्रयोग हेतु दिशा निर्देश और अभ्यास कोड बनाए जा सकें।

6.6 मंत्रालय ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि पांच लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के 50 किमी के भीतर समय–समय पर बिटुमिनस युक्त घोल वाला प्लास्टिक कचरा गर्म मिश्रणों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 किमी खंड को प्रायोगिक आधार पर प्लास्टिक कचरे के प्रयोग के लिए चुना जाएगा ताकि ठेकों में से इसे अनिवार्य कर दिया जाए।

6.7 'नई प्रौद्योगिकियों का विकास' श्रेणी के अंतर्गत एक विशेष परियोजना के रूप में सड़क निर्माण में नगर पालिका के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसका देश भर में प्रचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (इडीएमसी) और शहरी विकास मंत्रालय तथा इस मंत्रालय के बीच गाजीपुर में एकत्रित नगर पालिका के ठोस कचरे को हटाने और संसाधित करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के निर्माण में प्रयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

, l ,Mvkj i|y %

6.8 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें उन सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो निर्माण के दौरान जीएडी की अनुमोदन प्रक्रिया में आड़े आती थीं। यह समझौता ज्ञापन आरओबी के जीएडी अनुमोदन को सुचारू बनाएगा और आरओबी के निष्पादन के दौरान निर्णयों को सुगम बनाने में सहायता भी करेगा।

6.9 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरओबी/आरयूबी के द्वारा समयबद्ध रीति से सभी स्तर की क्रॉसिंग को हटाने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए आरओबी/आरयूबी हेतु परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। इससे पहले आरओबी/आरयूबी के निर्माण हेतु 208 लेवल क्रॉसिंगस का अभिनिर्धारण किया गया था। परामर्शदाता आरओबी/आरयूबी के लिए लागत निर्माण प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मार्च, 2016 में 'सेतुभारतम्' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मंत्रालय द्वारा किये गये व्यापक प्रचार के कारण राज्य सरकारों की संस्तुतियों के आधार पर 208 आरओबी की संख्या बढ़ाई जा सकती है जिन्हें मंत्रालय आरंभ करने के लिए तैयार है। संभावना है कि 208 आरओबी/आरयूबी में से मंत्रालय देश भर में 100 आरओबी/आरयूबी को मंजूरी देगा। मंत्रालय द्वारा इ–टेंडरिंग के माध्यम से इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

6.10 मंत्रालय, संशोधित लदान हेतु स्पॉन मानकीकरण, डिजाइन और ड्राइंग से संबंधित रेल मंत्रालय के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के संपर्क में है। आरडीएसओ ने आरओबी के निर्माण हेतु अपनाए जाने के लिए 18 मी., 24 मी., 30 मी. और 36 मी. के विभिन्न स्पॉनों की मानक ड्राइंग्स जारी की हैं। उच्च स्पॉन के विन्यास हेतु मंत्रालय ने पहले ही मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया है जिसके लिए शीघ्र ही अनुमोदन मिलने की संभावना है।

6.11 राज्यवार प्राधिकरण अभियंता की नियुक्ति की गई है जोकि इपीसी दस्तावेजों के अनुसार मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित सिविल कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह उल्लेखनीय है कि इपीसी दस्तावेजों के अनुसार, प्राधिकरण को इपीसी के अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले सिविल कार्यों को सौंपे जाने से 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण अभियंता की नियुक्ति करनी होती है। ये परामर्शदाता प्रत्येक राज्य में सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

6.12 मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के लिए इनवेंटराइजेशन और स्थिति सर्वेक्षण पूरा करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किये हैं। यह परामर्शदाता आईआरसीःएसपीः35 के अनुसार आवधिक रूप से स्थिति सर्वेक्षण पूरा कर रहे हैं। इन परामर्शदाताओं द्वारा संग्रहीत डेटा आईएएचई, नोएड़ा द्वारा स्थापित भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जाएगा जोकि मंत्रालय को उपलब्ध निधियों में से भावी योजना और पुल परिसम्पत्तियों में से इस प्रयोजन के लिए प्राथमिकताओं के संबंध में सुझाव देगा। आज की तारीख तक 1,32,000 पुलों को इनवेंटराइज किया गया है और डेटा एकत्रित किये गये हैं।

6.13 वर्ष 2016–17 के दौरान आज की तारीख तक 2,062.95 करोड़ रुपए की राशि के 14 मुख्य पुल प्राक्कलन अनुमोदित किये जा चुके हैं। इसमें 1,742.01 करोड़ रुपए का महात्मागांधी सेतु, पटना का प्राक्कलन भी शामिल है।

jk"Vªh; jktekxkZ ij fpfUgr ^Cysd LikV* ij LFkkfir uD'kk ,oa rRdky lrxZ mik;ksa dh rLohjsa

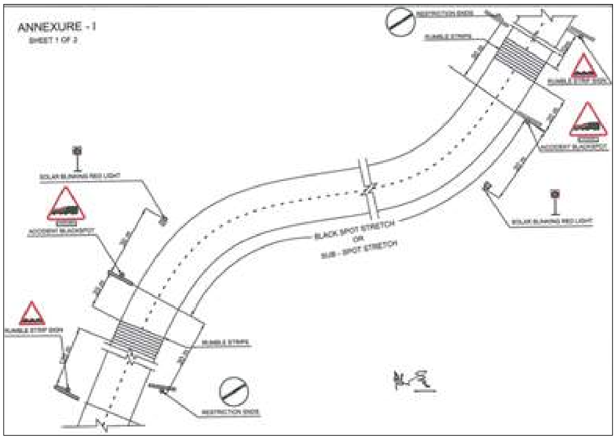

Immediate Cautionary measures at Road accident black spots

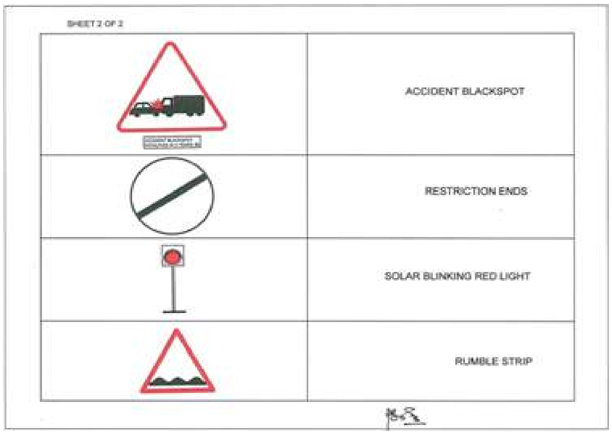

Road signs for alerting users at black spots

Accident black spot sign at Black spot No. MH-009

Rumble strip sign at Black spot No.MH-009

Solar blinker sign at Black spot No. MH-009

Restriction end sign at Black spot No. MH-009

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

okf"kd fjikV 2015&16 d fy, lMd lj{kk bthfu;jh

6.14 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनुकूल कार्यवाही करने का प्रयास कर रहा है। कलैंडर वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 में हुई मौतों के आधार पर 789 ब्लैकस्पॉटों की पहचान की गई है और प्रत्येक स्पॉट को अद्वितीय आइडी संख्या देकर अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा ब्लैकस्पॉटों की जांच और सुधार के लिए दिशा–निर्देश तैयार किये गए है और उन्हें अधिसूचित किया गया है। अब तक 96 ब्लैकस्पॉटों को पहले ही ठीक किया जा चुका है। 105 स्थानों पर सुधारात्मक उपाय करने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है जोकि कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। 137 स्पॉट राज्य सरकार की सड़कों पर हैं/अन्य एजेंसियों के साथ। 208 स्पॉट चल रही विकास परियोजनाओं में पड़ने वाले मार्गखंडों पर हैं और इन्हें परियोजनाओं के भाग के रूप में ही ठीक कर दिया जाएगा तथा शेष स्पॉटों का सर्वेक्षण/जांच पड़ताल चल रही है।

6.15 चूंकि ब्लैकस्पॉटों की जांच और सुधार उपाय करने की प्रक्रिया काफी समय लगता है, दीर्घकालिक स्थायी उपायों के माध्यम से ब्लैकस्पॉटों को ठीक किये जाने तक संकेतकों, सोलर–ब्लिंकर्स और गतिरोधक उपायों द्वारा सड़क दुर्घटना ब्लैकस्पॉटों के बारे में सड़क प्रयोक्ताओं को सावधान और सजग करने के लिए तत्काल सजगता उपकरण लगाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ठीक किये जाने वाले 556 स्थानों में से अब तक 309 स्थानों पर सजगता उपकरण लगाए जा चुके हैं और शेष में कार्य प्रगति पर है।

6.16 राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षाएं आरंभ करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किये गए हैं और उन्हें अधिसूचित किया गया है। इपीसी/बीओटी पद्धति पर आधारित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सड़क सुरक्षा संपरीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, 3,805 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को उन मार्गों की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने के लिए स्टैंडि–एलोन सड़क सुरक्षा संपरीक्षा कराने की स्वीकृति दी गई है।

6.17 सड़क सुरक्षा इंजीनियरी के संबंध में राष्ट्रीय स्तर की दो कार्यशालाओं का 26 फरवरी, 2016 और 25 अक्टूबर, 2016 को आयोजन किया गया जिसमें सड़क सुरक्षा फर्नीचर निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के अलावा लगभग 450 राजमार्ग अभियंताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। आइएएचइ द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठयक्रम आरंभ किया गया है और पहले बैच में 20 संपरीक्षकों का प्रमाणन किया गया।

6.18 मंत्रालय ने मुख्य पहाड़ी राज्यों के दुर्घटना संभावित अवस्थानों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटना अवरोधक लगवाने का काम आरंभ किया है। मार्गखंडों की पहचान करने और चयनित किस्म के दुर्घटना अवरोधकों के संस्थान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसे परिचालित किया गया है। प्रस्तावों के अनुमोदन और कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

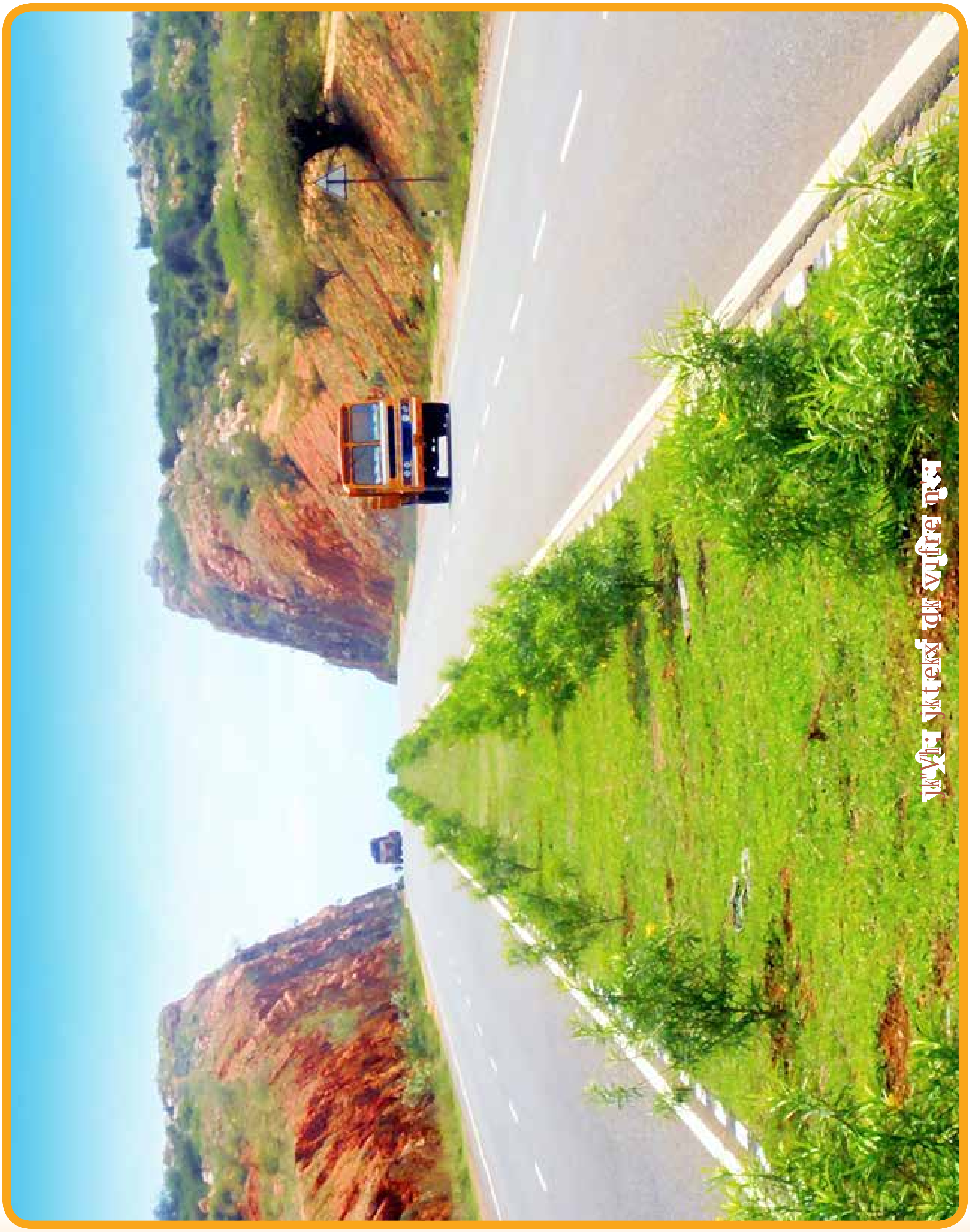

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

पशु
Cattle

v/;k;&VII

jk"Vªh; jktekxZ vkSj volajpuk fodkl fuxe fy- ¼,u,pvkbZMhlh,y½

7-1 çLrkouk %

- राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआइडीसीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसे जुलाई, 2014 में निगमित किया गया था और इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सांझा करते हुए देश के पूर्वोत्तर और रणनीतिक क्षेत्रों में त्वरित गति से राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 2014 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। इस समय प्रयास इन क्षेत्रों के प्रत्येक और हर वर्ग के स्थानीय लोगों को समग्र आर्थिक लाभ पहुंचाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ उन्हें अत्यधिक संतुलित तरीके से जोड़ने पर केंद्रित है।
- भारत सरकार द्वारा इस कम्पनी को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोरिडोर सहित 10,000 किमी लंबाई की सड़क सम्पर्कता को सुधारने और विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इससे दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएसीआइसी) के अन्य सदस्यों देशों के साथ दक्ष और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था स्थापित करने में सहायता मिलेगी। सड़क संपर्कता को इस प्रकार संवर्धित किया जाएगा कि इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने में सहायता प्राप्त होने के अलावा सीमा पर व्यापार और वाणिज्यिक को भी बढ़ावा मिलेगा।
- कम्पनी ने अपना निगमित कार्यालय पूर्णतः कार्यात्मक बनाया है और इसमें अंडमान व निकोबार, असम, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और नेपाल में बारह शाखा कार्यालय स्थापित किए हैं।
- कम्पनी ने राष्ट्र निर्माण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उच्चतम मानक की अवसंरचना के प्रबंधन एवं सृजन के लिए माध्यम बनने की एक संकल्पना तैयार की है। एक व्यावसायिक कम्पनी होते हुए इस कम्पनी का मिशन सभी स्टेकहोल्डरों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए समयबद्ध, अत्यंत दक्ष और पारदर्शी ढंग से अवसंरचना परियोजनाओं को डिजाइन करने, विकसित करने और वितरण करने का है।
- एनएचआइडीसीएल शीघ्रातिशीघ्र फॉर्चून 500 कम्पनी बनने की प्रमुख नीति को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस कम्पनी ने अपनी शुरूआत से ही दक्षता और पारदर्शिता के लिए इ–ऑफिस, इ–प्रापण और इ–निगरानी जैसी सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को अपनाया है।
- एनएचआइडीसीएल की दूसरी पहल नवीनतम परिवर्तनों के साथ गति बनाए रखने के लिए ठेकेदारों सहित कर्मचारियों और स्टेकहोल्डरों की सतत् क्षमता निर्माण में स्वयं को संबद्ध करने की है। पूर्वोत्तर और रणनीतिक क्षेत्र में इंजीनियरों और स्थानीय ठेकेदारों की क्षमता विकास से उन्हें राजमार्गों और अन्य अवसंरचना से संबंधित निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने में सहायता मिलेगी जिससे इन क्षेत्रों में समावेशी विकास होगा।

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicate that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

- तीसरी कार्यनीतिक पहल के रूप में कम्पनी का प्रयास गुणवत्ता, स्थायित्व, निष्पादन गति, लागत में कमी, सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय उपशमन प्रबंधन में वृद्धि करने के लिए सामग्री डिजाइन और कार्य प्रक्रियाओं के क्षेत्र में नई परंतु, उचित प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को सुकर बनाना है।
- एनएचआइडीसीएल की योजना विचारों का आदान–प्रदान करने और इस उद्योग में अग्रणी बनने के लिए विशेषज्ञों (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय) और अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके वैज्ञानिक और अभिनव प्रवृत्ति विकसित करने के लिए एक मंच सृजित करने की है। कम्पनी अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए त्वरित विवाद निपटान तंत्र प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित कर रही है और अंत में आदर्श युक्ति के रूप में ^,d fo'tu&,d fe'ku* की दृष्टि से एक संगठन सृजित करने के लिए स्टेकहोल्डेरों के साथ नियमित परामर्शन कर रही है।
- एनएचआइडीसीएल दो वर्षों के अल्प समय में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और सामरिक सीमा क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अन्य अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में तेजी लाने में सक्षम हो गई है। आज की तारीख तक कम्पनी लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 8,100 किमी लंबी 142 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पहले से ही विकसित करने की प्रक्रिया में है।

7.2 vle से प्रारंभ होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों के संदर्भ में 9,338 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से 336 किमी लंबी 13 परियोजनाएं पूरी की जानी है जिनका ठेका दे दिया गया है। एनजीटी व वन्यजीव मुद्दे की वजह से एक परियोजना रद्द कर दी गई है। एक परियोजना में कानूनी राय ली जा रही है। कम्पनी की 1]533 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निष्पादित होने वाली 37 किमी लंबी दो अन्य परियोजनाओं का ठेका देने की योजना है।

7.3 v:.kkpy çns'k में कम्पनी ने 4,464 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत पर 400 किमी लंबाई की 16 परियोजनाओं का ठेका दे दिया है। कम्पनी की योजना 4]949 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कार्यान्वित की जाने वाली 297 किमी लंबाई की 15 अन्य योजनाओं को ठेके पर दिये जाने की हैं।

7.4 fgekpy çns'k और पश्चिम बंगाल में एनएचआइडीसीएल डीपीआर कार्यों का निष्पादन कर रही है।

7.5 जम्मू और कश्मीर में 100 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से बनने वाली 274 किमी लंबाई की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अनुरक्षण हेतु ठेके दे दिये गए है।

7.6 ef.kiqj में 141 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाए जाने वाले 276 मी. लंबे पुल का निर्माण करने और 99 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से निर्मित होने वाली 179 किमी लंबाई की पांच पुनर्वास और मरम्मत परियोजनाओं का ठेका दे दिया गया है। कम्पनी की 138.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निष्पादित की जाने वाली 139 किमी लंबाई की पुनर्वास और मरम्मत परियोजनाओं का ठेका देने की योजना है।

7.7 e?kky; में कम्पनी की योजना 269.32 करोड़ रुपए की अनुमानित सिविल लागत से कार्यान्वित की जाने वाली 43 किमी लंबी एक परियोजना का ठेका दिये जाने की है।

7.8 fetkje में कम्पनी ने 351.16 किमी डिजाइन लंबाई की रारा–54 के आइजवाल से तुईपांग खंड के उन्नयन के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया है और इसकी योजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी (जेआइसीए) की सहायता से इसे क्रियान्वित करने की है।

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

7.9 ukxkyS.M में 1,560 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से 43 किमी लंबाई की तीन परियोजनाओं का ठेका दे दिया गया है। कम्पनी की योजना 1,533 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कार्यान्वित की जाने वाली 38 किमी लंबाई की एक अन्य परियोजना को ठेके पर दिये जाने की है।

7.10 flfDde में 56 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से निर्मित की जाने वाली 1 किमी लंबी रेंगपो वायाडक्ट परियोजना का ठेका दे दिया गया है। कंपनी की योजना 934 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से कार्यान्वित की जाने वाली 60 किमी लंबी दो अन्य परियोजनाओं का ठेका दिए जाने की है।

7.11 f=iqjk में 1,631 करोड़ रुपए की अनुमानित योजना लागत से बनाई जाने वाली 140 किमी लंबाई की तीन परियोजनाओं का ठेका दे दिया गया है। कंपनी की योजना 129 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से निष्पादित किये जाने वाली एक अन्य कुल परियोजना का ठेका दिए जाने की है।

7.12 mÙkjk[k.M में कंपनी की योजना 70 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से निष्पादित की जाने वाली 1.5 किमी लंबी दो योजनाओं का ठेका दिये जाने की है।

7.13 vaMeku vkSj fudksckj }hi में, कम्पनी की 446 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निष्पादित की जाने वाली 82 किमी लंबाई की दो परियोजनाओं के ठेके देने की योजना है।

7.14 मुख्य रूप से राजमार्गों, पुलों और सुरंगों के निर्माण में सक्षमता के अलावा, एनएचआइडीसीएल ने इनाम–प्रो (सीमेंट और अन्य कच्चे माल की खरीद और बिक्री के लिए बाजार), इ–पेस (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआइ और एनएचआइडीसीएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए) और इन्फ्रालकोन (डीपीआर तैयारी और प्राधिकरण के अभियंताओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के संबंध में कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाने हेतु राजमार्ग और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में लगी हुई परामर्शी फर्मों/प्रमुख कार्मिकों के पंजीकरण के लिए) इ–पोर्टल विकिस किए हैं। एनएचआइडीसीएल ने निम्नलिखित क्रियाकलाप भी किए हैं:–

- यह सुनिश्चित करने के उपाय किये जा रहे हैं कि सड़कों, पुलों और सुरंगों के डिजाइनों को अंतिम रूप देते समय सभी सुरक्षा मानकों (समुचित घुमाव, उतार–चढ़ाव और ब्लैक स्पॉट–रहित) का पालन किया जाए।
- ढलान संरक्षण, मृदा स्थिरीकरण इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकियां लाकर सिविल कार्यक्षेत्रों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बचाव हेतु उपाय किये जा रहे है।
- ठेकेदारों में विश्वास को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है और पूरे प्रमाणित बिलों की पावती के 72 घंटों के भीतर सभी भुगतान किये जा रहे हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय ठेकेदारों के क्षमता निर्माण और नई, परन्तु समुचित प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करने के लिए भी चर्चाएं की हैं।
- एनएचआइडीसीएल को ^vyx çdkj dh dEiuh* के रूप में स्थापित किया गया है जिसके पास कार्यक्षमता, पारदर्शिता और गुणवत्ता् का प्रमाणांक (हॉल मार्क) है।

7.15 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार कम्पनी 142 राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य अवसंरचना विकास परियोजनाएं चला रही हैं जिनकी लगभग 8,100 किमी की लंबाई का कार्य लगभग 100,000 करोड़ रुपए की लागत से निष्पादित होना है।

- वर्तमान में एनएचआइडीसीएल द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं:–

क्र. स.	राज्य	पैकेजों की संख्या / खंड	लम्बाई किमी में	लागत (करोड़ रुपए में)
1	अरूणाचल प्रदेश	16	400	4,464
2	असम	13	336	9,338
3	त्रिपुरा	3	140	1,631
4	नागालैंड	3	43	1,560
5	मणिपुर	6	179	240
जोड़		**41**	**1,098**	**17,233**

- वित्त वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित परियोजनाएं सौंपे जाने की सम्भावनाएं–

वित्ति वर्ष 2016–17 में सौंपी जाने वाली सम्भावित परियोजनाएं					अन्य
क्र. स.	राज्य	पैकेजों की संख्या / खंड	लम्बाई किमी में	लागत (करोड़ रुपए में)	
1	अंडमान और निकोबार	2	82	446	
2	अरूणाचल प्रदेश	15	297	4,949	
3	असम	2	37	1,533	
4	त्रिपुरा	1	2	129	
5	नागालैंड	1	38	1,533	
6	मणिपुर	4	139	138	बाहली और पुनर्वासन संबंधी कार्य
7	मेघालय	1	43	269	
8	जम्मू और कश्मीर	1	14	7,946	
9	सिक्किम	2	60	934	
10	उत्तराखंड	2	1.5	70	
t kM·		**31**	**713.5**	**17,947**	

7.16 एनएचआइडीसीएल को आज की तारीख तक सौंपी गई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, जनसुविधाओं के स्थानांतरण और सिविल कार्यों पर व्यय की गई राशि और 31 मार्च, 2017 तक प्रत्याशित व्यय की राशि दर्शाने वाला विवरण ifjf'k"V&6 पर दिया गया है।

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

उभार या ऊबड़-खाबड़ सड़क
Hump or Rough Road

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

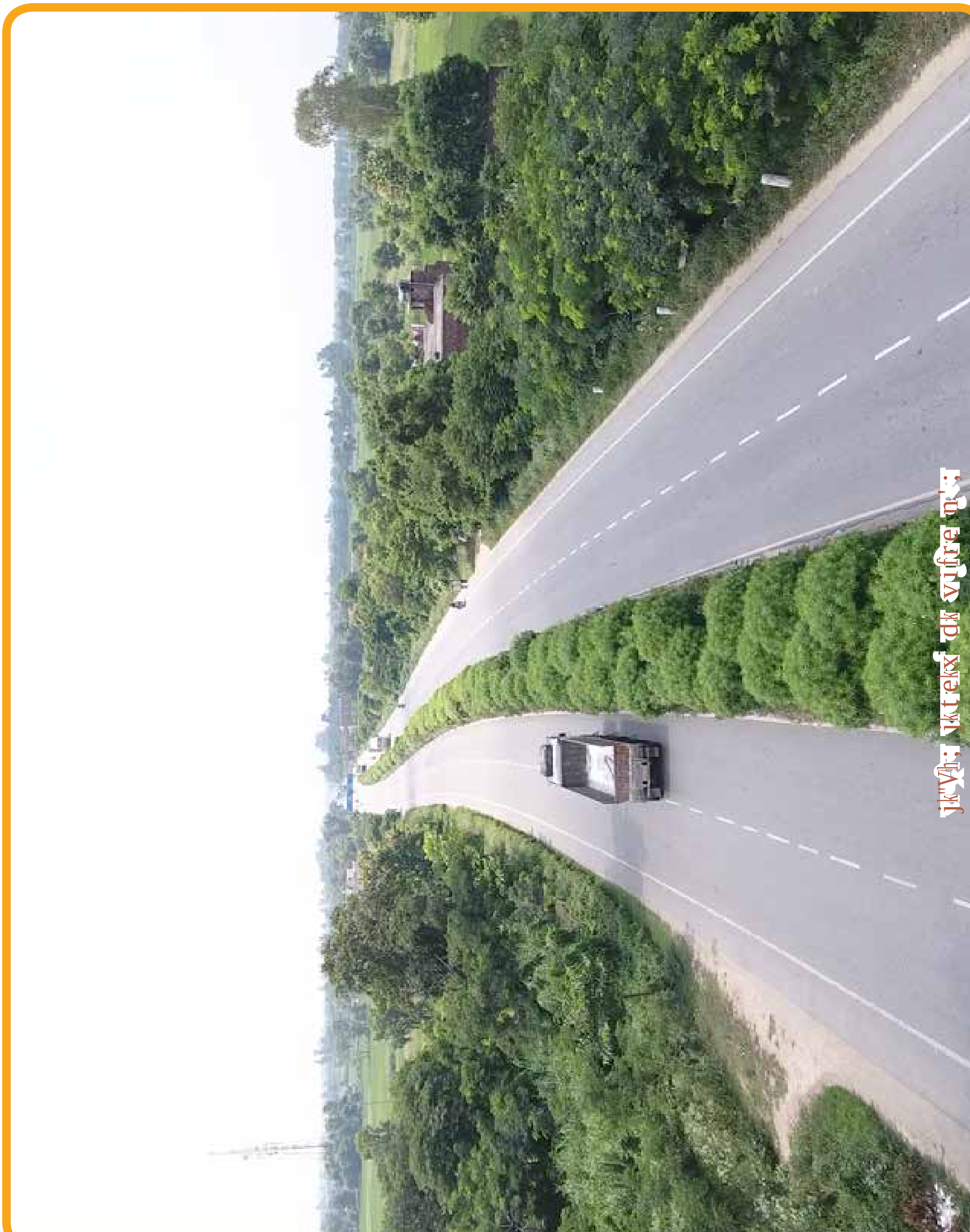

कई बार सड़क पथ–कर वसूली केंद्र / जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

Many a times the road passes through toll collection point/check posts etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a barrier ahead on the road and vehicle has to stop there.

v/;k;&VIII

ç'kklu vkSj foÙk&

¼d½ ç'kklu

8.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन विंग में स्थापना अनुभाग ओ एंड एम अनुभाग और रोकड़ अनुभाग शामिल हैं। प्रशासनिक विंग को इस मंत्रालय के 867 कर्मचारियों (ग्रुप ए,बी,सी और डी) के सेवा और प्रशासनिक मामलें, हाऊस–कीपिंग और वेतन आहरण और संवितरण एवं अन्य व्ययों का कार्य सौंपा गया है। विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जाता है।

8.2 मंत्रालय द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में इस मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं । तकनीकी और गैर–तकनीकी पक्ष (ग्रुपवार) के लिए पृथक–पृथक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इस मंत्रालय में अनु.जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना ifjf'k"V&7 में दी गई है ।

8.3 सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पेपर वेतन और लेखा अधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम कार्य दिवस को प्रदान किए जाते हैं ।

8.4 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में एक वेलफेयर सैल मौजूद है जो मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण उपाय संबंधी सभी कार्यकलाप करता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विदाई के लिए मंत्रालय का वेलफेयर सैल एक विदाई पार्टी आयोजित करता है और उन्हें एक स्मारक चिन्ह (मिमेंटो), और एक उपहार भी भेंट किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं।

8.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवस अर्थात आतंकवाद–रोधी दिवस, साम्प्रदायिक सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, रैडक्रॉस दिवस, रैडक्रास रेफल ड्रा, स्वच्छ भारत अभियान, सुशासन दिवस आदि मनाए गए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। 'झंडा दिवस' के संबंध में अंशदान भी एकत्रित और संग्रहीत किया गया। साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह/सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन अवसरों में भाग लेने वालों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

l|puk vk|j l|fo/kk dUæ dh LFkkiuk

8.6 मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ–साथ मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है। जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ और समाधान हेतु भेज दिया जाता है। मंत्रालय की गतिविधियों और सेवाओं से संबंधित नागरिक/ग्राहक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ukxfjd pkV|j dh l|jpuk

8.7 मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है ।

foHkkxh; fjdkM| :e

8.8 मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 31 दिसम्बर, 2016 तक 5,174 फाइलें रिकार्ड की गईं और अभिलेख धारण समय–तालिका के अनुसार 1,456 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें नष्ट किया गया।

f'kdk;r fuokj.k vk|j lh-ih-th-vkj-,-,e-,l-

8.9 मंत्रालय में, संयुक्त सचिव (टीएंडसी एंड जीएपी) की अध्यक्षता में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है जिन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्त लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है। एक वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है। 30 नवम्बर, 2016 तक कुल 9,697 लोक शिकायतें प्राप्तं हुईं और उन सबको त्वरित निपटान के लिए संबंधित पक्षों/प्रभागों को पहले ही भेज दिया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआइडीसीएल, आईएएचई, सड़क परिवहन विंग, और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। कुल 15,417 (जिसमें पिछले लंबित मामले भी शामिल है) शिकायतों में से 31 दिसम्बर, 2016 तक 13,882 का निपटान कर दिया गया है।

मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है। शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां प्राप्त करने के लिए निदेशक, संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रभारी, उप सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में शिकायतों की सुनवाई के लिए पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (टीएंडसी एंड जीएपी) भी लोक सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें।

This sign indicates that there is a crossing of roads ahead. This sign indicates that the vehicle should be slowed and intersection should be crossed cautiously by looking on both sides.

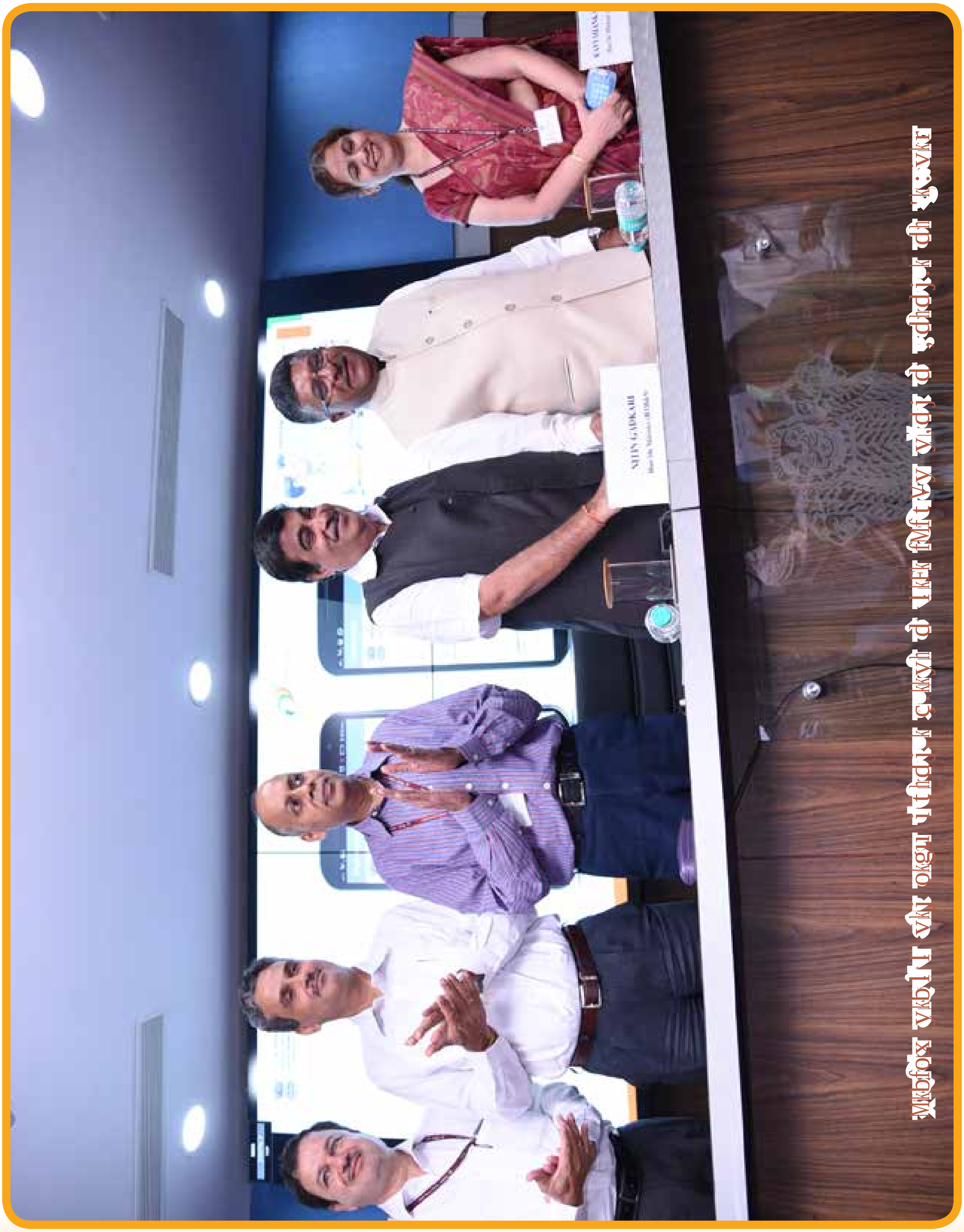

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

b&v,fQl ½

8.10 बड़े पैमाने पर किये जा रहे लिखित कागजी–काम को समाप्त करके परम्परागत सरकारी कार्यालयों को अधिक कार्यक्षम बनाने और परादर्शी इ–कार्यालयों में परिवर्तित करने की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जा रही थी। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) द्वारा संचालित इ–ऑफिस उत्पाद का लक्ष्य अंतः सरकारी और इंट्रा सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए गवर्नेंस में सहायता प्रदान करना है।

इ–समूह का अभिन्न अंग, इ–फाइल प्रणाली, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्व शासी निकायों के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे फाइल के सर्जन, नोटिंग, संदर्भ, पत्राचार, संलग्नक, अनुमोदनार्थ प्रारूप और अंत में फाइलों के संचलन एवं पावतियों के साथ ही स्कैनिंग, रजिस्ट्रिंग और रूटिंग द्वारा कागज रहित कार्यालयक्षम बन सकें।

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;@,u,pvkbZMhlh,y esa b&v,fQl dk dk;kZUo;u%&

- 15 दिनों की समय सीमा के भीतर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/एनएचआइडीसीएल के उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।
- 90 प्रतिशत स्टाफ के पास अपनी इ–ऑफिस आइडी है और कार्यभार ग्रहण करने वाले नये कर्मचारियों की इ–आफिस आइडी के सृजन की प्रक्रिया चल रही है।
- प्रशासन, मानव संसाधन, तकनीकी, प्रोजेक्ट और वित्त प्रभाग इ–ऑफिस के माध्यम से एक दूसरे के साथ बड़े सुचारु रूप से संवाद कार्य कर रहे हैं।
- वास्तविक फाइलों को इलेक्ट्रोनिक फाइलों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है।
- कागज रहित कार्यालय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं।
- अधिप्रमाणन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के क्रियान्वयन को भी कार्यान्वित किया गया है।

f'kdk;r ,oa ukxfjd pkVZj lsy

8.11 शिकायत मामलों के त्वरित और समुचित निपटान की निगरानी रखने के लिए ओएंडएम अनुभाग के रूप में शिकायत एवं नागरिक चार्टर सेल कार्य कर रहा है। मंत्रालय में शिकायत प्रकोष्ठि, प्रशासनिक और जन शिकायत सुधार विभाग, डीपीजी, राष्ट्रापति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्ति शिकायतों और अन्य, संबंधित प्रभागों/स्कंधों की स्थानीय शिकायतों को प्रारम्भिक रूप से प्राप्त करने और अग्रेषित करने का कार्य करता है।

¼[kkrk foÙk

8-12 ys[kk ,oa ctV

सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखांकन प्रधिकारी हैं और वह अपने कार्यों का निर्वहन, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एसएस एंड एफए) और प्रधान मुख्या लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on right. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

और बजट पक्ष, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं। प्रधान मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ–साथ, मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय को बजट, केन्द्रीय लेन–देन का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने और रोकड़ प्रबंधन करने, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक, दो उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं। बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं। इस कार्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी, प्रशासन एवं स्थापना के लिए एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता वाले आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्यारह भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी, भोपाल और हैदराबाद में स्थित हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार हैः

Hkqxrku

- अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना।
- अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों, एसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को भुगतान करना।
- मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना।

çkfIr;k

- मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना।
- राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त ऋण और उस पर ब्याज की वापसी की मॉनिटरिंग करना।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्तियां और भुगतान।

y[k vkj fjikVl çLrqr djuk

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन–देन का विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष–वार तथा चरण–वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना।
- कार्य निष्पादन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वैय करना ।
- आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मॉनीटरिंग करना और इसे सीएजी कार्यालय को प्रस्तुत करना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना।
- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना ।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना ।
- बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सचिव आदि को व्यय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुत करना ।
- मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के फ्लेश आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना ।
- पीएओ/आरपीओ से प्राप्त एमआईएस के आधार पर मासिक डीओ तैयार करना और सीजीए को भेजना।

8-13 ctV

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विर्नियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना ।
- वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना।
- सीएण्डएजी ऑफ इंडिया (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पीणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'/बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वीय करना तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा और एटीएन नोट भी तैयार करना ।
- समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तिंयों और लोक लेखों के वार्षिक प्राक्कंलन तैयार करना।

8-14 vkarfjd ys[kk ijh{kk

- मंत्रालय के सभी पक्षों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाईयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना ।
- लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों के अधिकार–क्षेत्र में आने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराओं और समुक्तियों की मॉनीटरिंग और निपटान ।
- मंत्रालय के सभी पक्षों में आंतरिक कार्य अध्ययन करना और वित्त मंत्रालय की 'स्टाफ निरीक्षण इकाई' के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में सुसंगत अशुद्धियों/चूकों की पहचान करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए प्रबंधन को सलाह देने के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्थापित की गई है। यह विंग दैनिक कार्यकलाप में विषयनिष्ठता और वित्तीय औचित्य और वित्तीय समझदारी में अति संवेदनशीलता लाने के लिए एक बड़े प्रबंधन यंत्र के रूप में सिद्ध हुआ है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के अधिकारियों तथा अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों को विगत में आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं । इस वर्ष जोखिम आधारित लेखा परीक्षा में तीन ए.ए.ओ. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

प्रधान सी.सी.ए. संगठन द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र के प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालयों में लेखा अनुरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रमुख अनियमितताओं/कमियों वाले लेखा परीक्षा के पैरा विभागाध्यक्ष के नोटिस में लाए जाते हैं और पैराओं के निपटान के लिए मामलों को उठाया जाता है तथा बकाया पैराओं के निपटान के लिए प्रधान सी.सी.ए. कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठकों की भी व्यवस्था की जाती है।

वर्ष के दौरान एन.एच. प्रभागों की 55 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई है।

ys[kk dk dEI;wVjhdj.k

8.15 इन कार्यों को करने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं जिनसे मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समग्र कारगरता और दक्षता में बहुत अधिक सहायता मिली है। लेखों के संकलन में होने वाले विलंब को दूर करने और व्यय लेखों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए इस समय कॉम्पेक्ट, कांटेक्ट, ई–लेखा आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेअर पैकेजों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

कंप्यूटरीकृत लेखाकरणः व्यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसमें प्री–चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन, संकलन और नई पेंशन योजना जैसे मुख्य लेखांकन कार्य सहित सभी मुख्य लेखांकन प्रकार्य शामिल हैं और इस सॅफ्टवेयर को सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सफलता

पूर्वक लागू किया गया । इससे न केवल अति कुशल भुगतान प्रणाली तैयार होने और लेखा तैयार करने में समय पालन की स्थिति बनी है अपितु सम्पूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता भी आई है।

dkaUVsDV% मासिक लेखों के संकलन के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रधान लेखा कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक महीने, विभिन्न अनुदानों की प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत समीक्षा तैयार की जाती है और सीजीए कार्यालय को भेजी जाती है और व्यय विवरण, मंत्रालय के अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और सचिव को भेजा जाता है। इसमें व्यय का मुख्य–शीर्षवार, प्रयोजन शीर्षवार और स्कीमवार पैटर्न, विभिन्न गैर कर राजस्व मदों का शीर्ष वार प्राक्कलन और प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति आदि शामिल होती है।

b&ys[kk % यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा व्यय लेखांकन सूचना का दैनिक/मासिक एमआईएस तैयार किया जाता है। सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को वेब आधारित लेखा पोर्टल, ई–लेखा से पूर्णतः एकीकृत कर दिया गया है। उनको अपना दैनिक लेन–देन इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है ताकि व्यय और प्राप्तियों की तारीख दैनिक आधार पर उपलब्ध रहे। इससे व्यय और प्राप्ति पर वास्तुविक समयधारित–डाटा उपलब्धि हो जाता है जो व्यय/प्राप्तियों की प्रभावी मॉनीटरिंग और बजटीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से सृजित रिपोर्टें, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय टूल हैं और इनका उपयोग, मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

¼x½ jk"Vªh; ijfeV 'kqYd ;kstuk

वर्ष 2010–11 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में वस्तुओं को लाने ले–जाने के लिए नयी राष्ट्रीय परमिट योजना को अपनाया और देश भर में लगभग 1,200 आरटीओ, राज्य परिवहन प्राधिकरण से राष्ट्रीय परमिट शुल्क संग्रहीत करने और स्वीकृत फार्मूले के आधार पर प्रति माह इसे सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों में आवंटित करने के लिए समन्वयन का उत्तरदायित्व लिया था।

मई, 2010 में शुरू की गई राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना के अनुसार ट्रान्सपोर्ट को प्रति वाहन 15,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से समेकित शुल्क देना होता है। यह शुल्क भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संग्रहीत किया जा रहा है और केंद्रीय मोटर यान नियमावली (संशोधित), 2010 में निर्धारित फार्मूले के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जा रहा है। इस योजना में केंद्रीय सरकार को कोई राशि उपाजित नहीं होगी।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के फलस्व रूप राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (समेकित राष्ट्रीय परमिट शुल्क के संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकर) की शाखाओं के माध्यम से समेकित राष्ट्रीय परमिट शुल्क् के ऑन लाईन संग्रहण की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को दी जाती है और वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा इसका लेखांकन सुचारू रूप से किया जा रहा है। समेकित राष्ट्रीय परमिट शुल्क का राज्य वार वितरण दर्शाने वाला विवरण ifjf'k"V&8 पर दिया गया है।

¼?k½ i'ku@ifjokj i'ku

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय पेंशन लेखा कर्यालय (सीपीएओ) के साथ परामर्श करके 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए भारत सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन को आन लाइन संशोधित करने की पहल की है। इसके पश्चात् सीपीएओ के दिशा निर्देश और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के अनुवीक्षण के अंतर्गत सभी सिविल मंत्रालय, एनआइसी के साथ परामर्श करके सीपीएओ द्वारा तैयार किए गए वेब पोर्टल पर पेंशन भोगियों की पेंशन ऑन लाइन संशोधित कर रहे हैं।

इस संशोधन कार्य के लिए प्रधान सीसीए कार्यालय इस मंत्रालय में नोडल कार्यालय है और देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी वेतन और लेखा कार्यालय इन पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित कर रहे हैं। 1990 और 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन के लिए अपेक्षित 1,073 मामलों में से अधिकतम मामलों को निपटा दिया गया है और संशोधित प्राधिकार जारी कर दिए गए हैं।

dæh; ;kstuk fuf/k vuoh{k.k i)fr

8.16 वर्ष 2008–09 में माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय योजना स्कीम प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न स्कीम प्रबंधकों को व्यापक निर्णय सहायत और प्रबंधन सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय योजना अनुवीक्षण पद्धति स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। तभी से चयनित योजना और गैर–योजना स्कीमों के अंतर्गत लाभ भोगियों को प्रत्यक्ष भुगतान शामिल करने के लिए सीपीएफएमएस के कार्यक्षेत्र को बड़ा किया गया है। सीपीएफएमएस योजना आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम हैं जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ मिलकर लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम ने भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए साझा लेन–देन आधारित–ऑन लाइन विधि प्रबंधन और भुगतान पद्धति तथा एमआईएस स्थापित किया है। राज्यीय कोषागारों में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योजना निधियों के प्रभावी भुगतानों के लिए यह मंच अब राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है।

सीपीएफएमएस के उद्देश्य

- सक्षम निधि प्रबंधन पद्धति स्थापित करना
- प्रभावी व्यय सूचना नेटवर्क स्थापित करना
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार
- सार्वजनिक प्रकटीकरण

कार्यान्वयन कार्यनीति

इस स्कीम का कार्यान्वयन लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा विकसित और लगाई गई वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है जिससे कम्पैक्ट और ई–लेखा तथा बैंकिंग प्रणाली द्वारा विकसित इंटरफेस जैसी सुस्थापित लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का लाभ प्राप्त हुआ है। सभी मंत्रालयों/

विभागों से यह अपेक्षित है कि वे बैंक लेखा ब्यौरे के साथ पीएफएमएस पर भारत सरकार से प्राप्त अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों/वैयक्तिक लाभभोगियों का ब्यौरा दर्ज करें। सेंक्शन आईडी पोर्टलैंड पर सृजित की जाती है, संस्वीकृति आदेश तैयार किए जाते हैं, आहरण और वितरण अधिकारी बिल संख्या डालते हैं और भुगतान एजेंसी सेंक्शन आईडी के संबंध में भुगतान ब्यौरा दर्ज करती है। भुगतान ब्यौरा एक वास्तविक सेंक्शन आईडी विधि केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों में पूरी तरह से सक्रिय है जिससे भारत सरकार की विभिन्नो स्कीमों के अंतर्गत निधि प्राप्त कर्ताओं सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और वैयक्तिक लाभभोगियों का व्यापक ब्यौरा सृजित हो जाता है। पीएफएमएस 90 बैंकों (26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 59 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 5 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के कोर बैंकिग समाधान (सीबीएस) के साथ सुरक्षित समाकलन के माध्यम से निधि प्रबंधन और ई–भुगतान में सहायता करता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में पहली बार पीएफएमएसलेन देन आधारित, सुदृढ, विश्वसनीय और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सूचना पद्धति (एफएमआईएस) के सृजन को प्रोत्साहित करता है। अन्य एमआईएस एप्लीकेशनों से भिन्न, जहां वित्तीय एमआईएस कार्योत्तर डाटा फीडिंग पर निर्भर करता है, पीएफएमएस में निधि उपयोग डाटा का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए बैंकिंग लेन देनों के साथ परस्पर सह संबंध है। अतः सिस्टम से उपलब्ध, एफएमआईएस, वास्तविक समय आधार पर वित्तीय लेन देनों संबंधी बैंक समाधित डाटा होता है।

miyfC/k;k

केंद्रीय सरकारी योजना निधियों की सभी प्रथम स्तर की प्राप्तकर्ता एजेंसिया, उनके बैंक लेखा ब्यौरे सहित सिस्टम में दर्ज हैं। फलस्वसरूप भू–भागीय वितरण के अनुरूप स्कीम–वार, एजेंसी–वार, क्षेत्रवार निधियों की रिपोर्टें वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होती हैं। लगभग 9,50,000 से अधिक कार्यान्वीयन एजेंसियॉं सीपीएसएमएस पोर्टल पर पहले ही दर्ज हैं। प्रतिदिन सिस्टम पर लगभग 3,000 एजेंसियां अपना पंजीकरण करवा रही हैं। ये एजेंसियां सीपीएसएमएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन लेन–देनों के लिए उन लाभभोगियों को निधि अंतरित और ई–भुगतान करने के लिए कर रही हैं जिनके बैंक–शाखाओं अथवा डाकघरों में खाते हैं। सीपीएसएमएस केंद्र सरकार स्तर पर पूरी तरह कार्यान्वित की गई है और सिविल मंत्रालयों/केंद्रीय सरकार के विभागों से जारी योजना स्कीम, एक अद्वितीय सैंक्शन आईडी के साथ सीपीएसएमएस के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाती है। सीपीएसएमएस के प्रधान प्रयोक्तांओं में शामिल हैं– वित्त मंत्रालय, सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, कार्यक्रम प्रबंधक, बैंक और गैर–सरकारी संगठन जो केंद्र सरकार से निधियां प्राप्त करते हैं।

बिहार में सीपीएसएमएस (सीधे लाभार्थियों के लेखाओं में अंतरण) के माध्यम से एमजीएनआरइएस के तहत 40,000 लाभार्थियों सहित सफलतापूर्वक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का इ–भुगतान किया गया है। ओड़िशा में एनआरएचएम, एसएसए और मिड–डे मील योजनाओं के तहत जल्द ही इ–भुगतान आरंभ होने की संभावना है। सीपीएसएमएस को एनपीसीआइ के साथ जोड़ा गया है और तमिलनाडु के पुद्दुच्चेरी जिले में जनामी सुरक्षा योजना (जेएसवाइ) के तहत 'आधार' पर आधारित प्रथम भुगतान को सफलतापूर्वक प्रभावी किया गया है।

"सड़क बंद है" संकेत दर्शाता है कि वहां आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है।
"NO THROUGH ROAD" sign indicates that there is no throughway. This sign informs drivers that there is no way ahead on the road.

राज्य के कोषागारों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किये गये निधियों के भुगतान से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र कोषागार के साथ पहले ही एक इंटरफेस का परिचालन किया जा चुका है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और ओड़िशा के साथ इंटरफेस परिचालित किये जाने की प्रक्रिया में हैं। समर्पित सार्वजनिक सूचना पोर्टल के माध्यम से प्रासंगिक डेटा को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

8.17 lh,M,th ds ih,lh iSjk@fjiksVZ vkSj ys[kk ijh{kk fjiksVZ ds lac/k esa dh xbZ dkjZokbZ dk uksV

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, स्थायी लेखा परीक्षा द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के संदर्भ में सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षण समिति (एसएजी), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुरूप लेखा परीक्षा रिपोर्टों/पैराओं और लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों/पैराओं (सिविल) के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है। स्थायी लेखा परीक्षण समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाली वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुसार लेखा परीक्षा पैराओं की समीक्षा और निगरानी भी करती है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार स्थायी लेखा समिति की बैठकें संयुक्त सचिव/पर सचिव स्तर पर भी आयोजित की जा सकती है और लेखा परीक्षण निरीक्षण पैराओं के उत्तर देने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए तदर्थ समिति की भी व्यवस्थाओ है।

1-4-2016 ls 31-12-2016 rd dh vof/k ds nkSjku% वर्ष 2014 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 25 के पैरा 15.1–'निष्फल व्यय के संबंध में अंतिम एटीएन लोक सभा सचिवालय को को भेजी गई थी।

fuEu fyf[kr ys[kk ijh{kk iSjkvksa ¼okf.kfT;d½ ij dh dkjZokbZ lac/kh vfre fVIif.k;ka Hkh ykd lHkk lfpoky; ¼lhvkih;w 'kk[kk½ dks Hkst nh xbZ Fkh%

- पैरा 14.1, वर्ष 2014 की रिपोर्ट सीए संख्या 13 – टोल संचालन को आरंभ करने में हुए असाधारण विलंब की वजह से हुई राजस्व की हानि।
- पैरा 14.2, वर्ष 2014 की रिपोर्ट सीए संख्या 13 – कमजोर अनुबंध प्रबंधन के कारण हर्जाने की कम वसूली।
- पैरा 14.3, वर्ष 2014 की रिपोर्ट सीए संख्या 13 – ठेकेदारों का अनुचित पक्ष लेना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मामलों पर लेखा परीक्षा के मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं और निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं के बारे में मंत्रालय की ओर से शीघ्र उत्तर भेजने और लेखा परीक्षा के साथ निरीक्षण पैरा/डीएपी के निपटान के लिए संयुक्त। सचिव की अध्यक्षता में स्थायी लेखापरीक्षा समिति (एसएसी) की समय–समय पर बैठकें भी आयोजित की गईं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मंत्रालय से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पीणियां और इन पर की गई कार्रवाई से संबंधित नोट ifjf'k"V 17 में दी गई है।

8-18 vuqnku la&74 lM+d ifjogu ,oa jktekxZ ea=ky;

वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक व्यय (31 दिसम्बर, 2016 तक) ifjf'k"V 9 में दर्शाया गया है। विगत तीन वर्षों के लिए केंद्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष–वार ब्यौरा ifjf'k"V 10 में दर्शाया गया है और तीन वर्षों के लिए व्यय की प्राप्तियों का ब्यौरा ifjf'k"V 11 में दर्शाया गया है। लेखाओं की प्रमुख विशिष्टताएं, ifjf'k"V 12 में दी गई हैं ।

¼M-½ lrdZrk

8.19 मंत्रालय का सर्तकता एकक, मंत्रालय के सतर्कता संबंधी कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। एक के प्रधान, मुख्यं सतर्कता अधिकारी हैं। संयुक्त सचिव (इआइसी) भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वातयतशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) में अपना पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं ।

वर्ष के दौरान, सतर्कता से संबंधित शिकायतों से निपटने के साथ–साथ (जहां कहीं आवश्यक हो केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्शन में) निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया गया। ऑटो ईंधनों की खुदरा दुकानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए अनुदेशों और प्रक्रियाओं को समुचित ढंग से लागू करने और ''पहले आओ पहले पाओ'' आधार पर निजी सम्पत्तियों का उपयोग करने, अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मामलों पर 30 दिन की समय सीमा में कार्यवाही करने और ''पहले आओ पहले पाओ'' आधार पर सीधे निपटान और भुगतान करने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा दुकानों, निजी संपत्तियों आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों की आनलाइन ट्रेकिंग आरंभ की गई है।

मंत्रालय में 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2016 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्रालय के स्टाफ को सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा संयुक्तर रूप से शपथ दिलाई गई।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया गया:

- मंत्रालय की वेबसाइट पर सीवीसी के लिंक के साथ इ–प्रतिज्ञा को अपलोड किया गया।
- स्वागत कक्ष (मुख्य द्वार) के समीप लगाए गए टीवी स्क्रीन पर भ्रष्टाचार के विषय से संबंधित चुनींदा उद्धरण दर्शाए गए।

- मंत्रालय के ट्विटर अकाऊंट पर भ्रष्टाचार के विषय से संबंधित उद्धरण अपलोड किए गए।
- 'भ्रष्टाचार से निपटने में कर्मचारियों की भूमिका' विषय पर अंग्रेजी में तथा 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत का सृजन करना' विषय पर हिंदी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उन कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे जिनके लेख हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किए गए हैं।
- मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता के संबंध में 4.11.2016 को संवेदीकरण (सेंसिटाइजेशन) कार्यक्रमों को आयोजन किया गया।

¼p½ lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&dk;kZUo;u

8.20 सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं–सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन प्रत्येक सरकारी अधिकारी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और नागरिकों तक सूचना की पहुंच बनाने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना। यह अस्पिष्टता से पारदर्शिता की ओर चलने का एक प्रयास है जिससे अंततः सुशासन आता है। सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्यीय सूचना आयोग (एसआईसी) की स्थापना के अनुसार इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी, आरटीआई अनुभाग, पीआईओ, अपीलीय अधिकारी पूर्णतया क्रियाशील हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 4(1) (ख) में ध्यान रखा गया है कि संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जनता को स्वतः संज्ञान सूचना दी जाए। इस मंत्रालय के विभिन्न मामलों से संबंधित सूचना विविध शीर्षकों के अंतर्गत इस मंत्रालय की वेबसाईट पर दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित फीस के साथ आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काऊंटर खोला गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों की ओर से सूचना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने तथा अपील करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वेब पोर्टल शुरू किया गया है और इस मंत्रालय में 03.06.2013 से पूर्णतया क्रियाशील है। ऑनलाइन प्रणाली में स्कैनिंग करने और आगे की कार्यवाही के लिए भिन्न–भिन्न जन सूचना अधिकारियों को भौतिक रूप में ऑनलाइन आवेदन भेजने और उत्तर प्रेषित करने की सुविधा भी शामिल है। समय–सीमा और छूट की शर्तों सहित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार विभिन्नि प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/जनता को सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। दो संगठनोंः संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक स्वायतशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सोसायटी भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) (जिसे पहले निथि कहा जाता था) ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम के निर्देशानुसार जनता/आवेदकों को सूचना देने के लिए अलग–अलग पीआईओ/एपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्तन किए हैं। मंत्रालय में मोटरयान

अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवरों, पुलों, टोल प्लाजा, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थापना, निविदाओं इत्यादि जैसे विभिन्नत विषयों से संबंधित आरटीआई आवेदन प्राप्त, हो रहे हैं। संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों को समय पर उचित उत्तर देने के लिए समस्त, प्रयास किए जाते हैं। 31 दिसम्बर, 2016 तक 7,728 आरटीआई आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनमें भौतिक रूप में तथा ऑनलाइन दोनों प्रकार के आवेदन शामिल हैं और इनमें से यदि कोई एक से अधिक जन सूचना अधिकारियों से जानकारी लेने की मंशा से हों तो उन्हें सिस्टईम के द्वारा सृजित अलग पंजीकरण संख्याओं के तहत अग्रेषित किया गया। इसी प्रकार 31 दिसम्बर, 2016 तक कुल 749 अपीलें प्राप्त हुईं जिन्हें संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारियों के अग्रेषित किया गया। इस प्रणाली में संबंधित जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को उनके ई–मेल के माध्यम से सिस्टंम द्वारा सृजित अनुस्मारक/चेतावनी देने की सुविधा भी है। ऑनलाइन सिस्टम में उपलब्ध सुविधा का प्रयोग करते हुए समय–समय पर आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान की मॉनीटरिंग भी की गई।

भोजन स्थान
Eating Place

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

This sign indicates that there is an eating place in the vicinity. This sign is common on highways and long stretches of road.

लंबाई सीमा
Length Limit

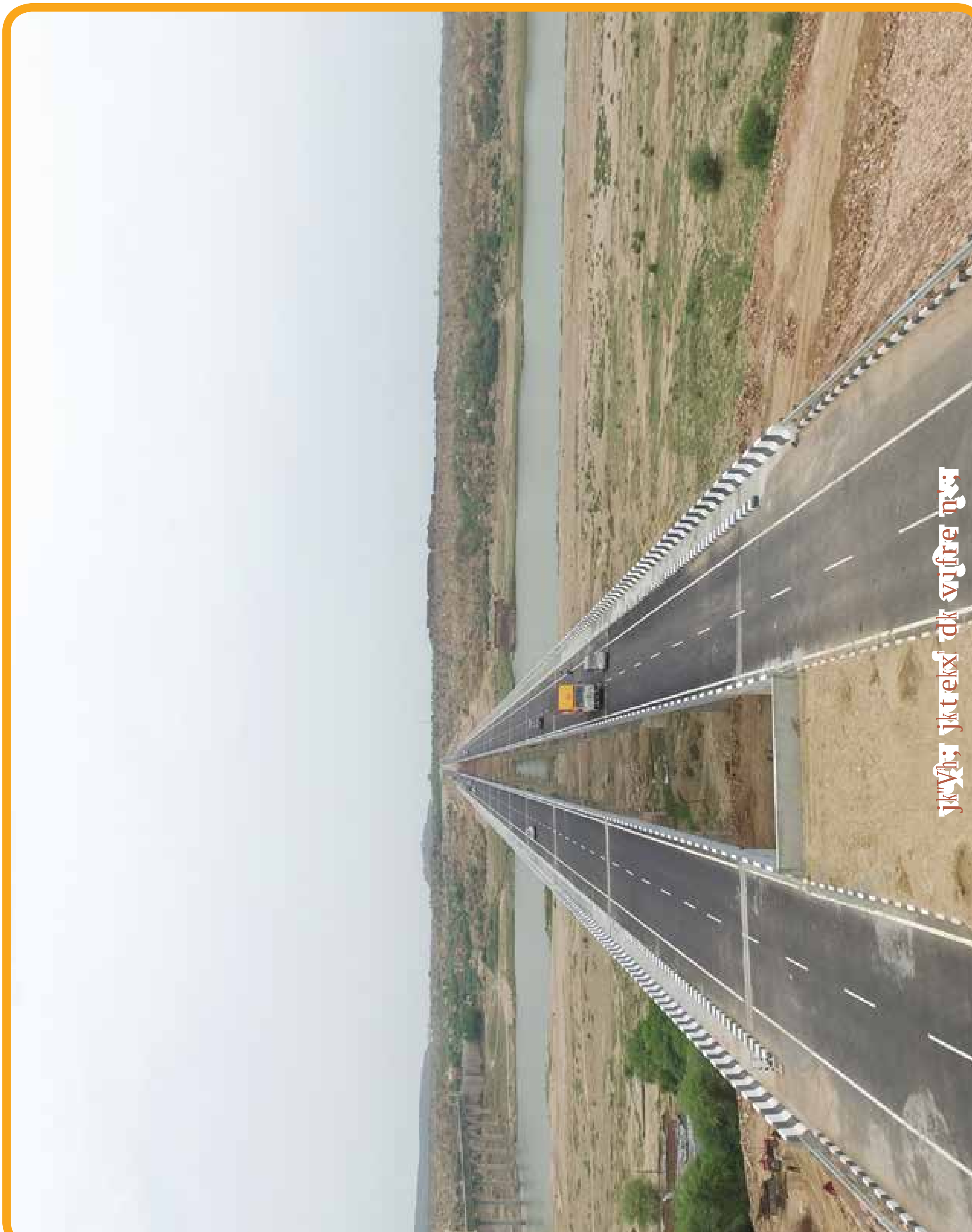

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

v/;k;&IX

jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u

dk;kUo;u 0;oLFkk

9.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में इस समय एक उप–निदेषक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं । राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है ।

jktHkk"kk dk;kUo;u lfefr

9.2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 23 मार्च, 2016, 30 जून, 2016, 30 सितम्बर, 2016 और दिसम्बर, 2016 को हुईं । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाए गए ।

jktHkk"kk vf/kfu;e] 1963 ¼;Fkk l'kksf/kr 1967½ dh /kkjk 3 ¼3½ dk vuikyu vkj fgUnh e i=kpkj

9.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संषोधित 1967) की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं ।

9.4 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिन्दी में लिखे अथवा हिन्दी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों ।

9.5 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रषासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

fgUnh dk ç;kx c<kus d fy, fd, x, fof'k"V mik;

fgUnh Hkk"kk@fgUnh Vd.k vkj fgUnh vk'kfyfi dk çf'k{k.k

9.6 कुल 5 टंककों (लिपिकों) में से 1 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रषिक्षित हैं और कुल 15 आषुलिपिकों में से 5 आषुलिपिक हिन्दी आषुलिपि में प्रषिक्षित हैं ।

udn iqjLdkj vkSj çksRlkgu ;kstuk

9.7 मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है । इस योजना में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।

fgUnh fnol vkSj fgUnh i[kokM+k dk vk;kstu

9.8 हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2016 को सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई अपील, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवलोकनार्थ परिचालित की गई । 01 सितंबर, 2016 से 15 सितंबर, 2016 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, विभागीय ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता, सामान्य पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता और हिंदी सुलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिन्दी द्विभाषी और हिन्दी इतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग–अलग आयोजित की गईं । मंत्रालय में दिनांक 14.09.2016 और 15.09.2016 को दो कार्यषालाएं क्रमषः ''सरकारी कामकाज हिंदी में कैसे करें' और 'कंप्यूटर पर हिन्दी में काम कैसे करें' भी आयोजित की गईं । संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 30 सितंबर, 2016 को मंत्रालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए । इस वर्ष हिन्दी पखवाड़े के दौरान कुल मिलाकर 163 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया ।

lwpuk çkS|ksfxdh dk c<+kok

9.9. मंत्रालय में संपूर्ण हिन्दी टंकण कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है । कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए कंप्यूटरों में हिन्दी के नवीनतम सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं । मंत्रालय में 12 जुलाई, 2016 को 'गूगल वॉयस टाइपिंग' विषय पर एक कार्यषाला का आयोजन किया गया जिसमें 33 अधिकारियों/कर्मचारियों को बोल कर हिंदी में टाइप करने का प्रषिक्षण दिया गया ।

fgUnh i[kokM+k ds nkSjku iqjLdkj forj.k

यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।

This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.

v/;k;&X

v'kDr 0;fDr vf/kfu;e 1995 dk dk;kZUo;u

10.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अषक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है । चुने गए/नामित अषक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देषों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है । अषक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों के संबंध में 31 दिसंबर, 2016 के अनुसार स्थिति ifjf'k"V&13 में दी गई है ।

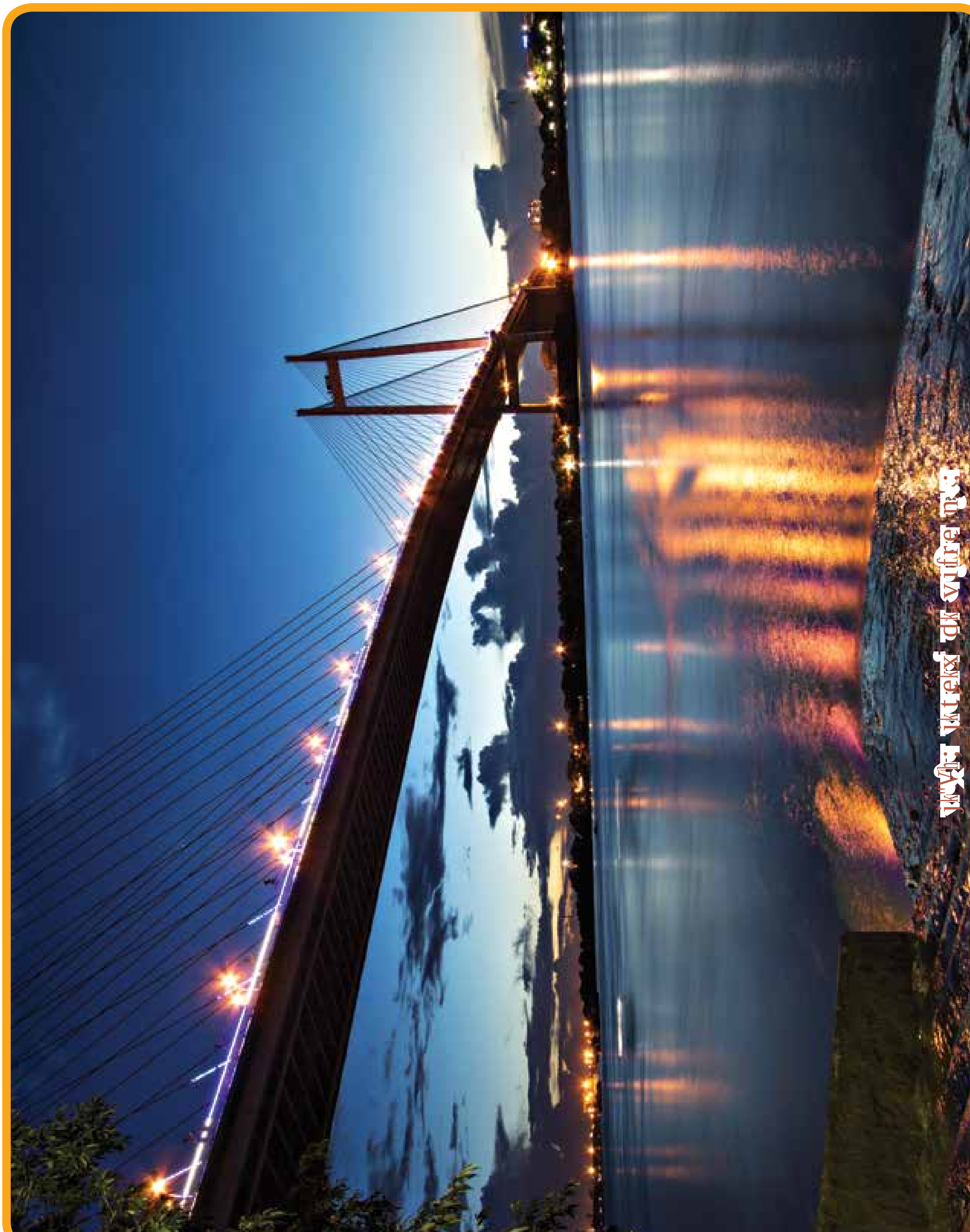

यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं।

This sign indicates the direction and distance to various destinations falling on that particular road. These signs are generally installed before intersections.

v/;k; &XI

ifjogu vuqla/kku

11.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़कों, सड़क परिवहन और सुरक्षा से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार करता है। इसके लिए अनिवार्यतः विभिन्न स्रोतों अर्थात् केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियों से डाटा एकत्रित किया जाता है। इन स्रोतों से प्राप्त् सूचना की जॉच की जाती है, संगतता और विश्वासनीयता की दृष्टि से उसे मान्याता दी जाती है और तब परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए वार्षिक प्रकाशनों में उसे समेकित और विश्लेषित किया जाता है।

11.2 परिवहन अनुसंधान पक्ष मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न प्रयागों को अनुसंधान सूचना, विश्लेषण तकनीकी टिप्पणियां तथा डाटा संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह सड़क परिवहन क्षेत्र के नीति नियोजन, समन्वंय और कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। सड़क अनुसंधान पक्ष अपने चार वार्षिक प्रकाशनों नामतः 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं', 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका', राज्यीय सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की पुनरीक्षा' और 'भारत की मूल सड़क सांख्यिकी' के माध्यम से डाटा के प्रसार में कमी और डाटा अंतरालों को पाटने के उपाय करके सड़कों, सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा के डाटा बेस को सुदृढ़ करने का सतत प्रयास कर रहा है। इन चारों प्रकाशनों में प्रकाशित सूचना, डाटा पोर्टल इंडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है।

11.3 परिवहन अनुसंधान पक्ष एशिया और पेसिफिक हेतु संयुक्त राष्ट्रो आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनइएससीएपी) द्वारा तैयार किए गए प्रारूपों में, एशिया पेसिफिक सड़क दुर्घटना डाटा (एपीआरएडी) परियोजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से कलैण्डर वर्ष के आधार पर सड़क दुर्घटना डाटा एकत्र करता है और मंत्रालय के 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' नामक वार्षिक प्रकाशन में उसे प्रकाशित करता है। 'भारत में सड़क दुघटनांए 2015' के नवीनतम अंक का विमोचन जून, 2016 में किया गया था।

11.4 सड़क परिवहन पक्ष राज्यों/संघ राज्यि क्षेत्रों के पुलिस विभागों से अभिनिर्धारित ब्लैक स्पॉटों पर हुई दुर्घटनाओं और घातकताओं दोनों के राज्य/संघ राज्यवार डाटा एकत्र करने और उसे समेकित एवं विश्लेषित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 में हुई मौतों के आधार पर पुलिस विभागों द्वारा विभिन्न राज्यों 1 में 789 ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थानों) की पहचान की गई थी। उनमें से लगभग दो तिहाई स्पॉट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र वाली विकास परियोजनाओं के लिए अभिनिर्धारित सड़क मार्गों पर हैं और अन्य राज्यीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र वाले राष्ट्रीय राजमार्गों अथवा राज्यीय मार्गों पर पड़ते हैं। परिवहन अनुसंधान विंग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय अधिकारी तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी संबंधितों को 789 अभिनिर्धारित ब्लैक स्पॉटों की राज्यवार सूची भी परिचालित की गई है।

11.5 सड़क दुर्घटना संबंधी ब्लैक स्पॉटों की पहचान करना और उन्हें ठीक करना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय के सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी सेल (आरएसइसी) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों को परिभाषित किया है, जिसमें कहा गया है कि 'सड़क दुर्घटना' ब्लैक स्पॉट राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 500मी.

लम्बाई का एक ऐसा खंड होता है जिस पर पिछले तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान 5 सड़क दुर्घटनाएं (तीन वर्षों के दौरान हुई मौतें/गंभीर चोटें) हुई हों अथवा 10 मौतें (तीनों वर्ष मिलाकर) हुई हों'। ब्लैक स्पॉटों की उपुर्यक्ति परिभाषा को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि राज्यों/संघ राज्ये क्षेत्रों द्वारा ब्लैक स्पॉटों से संबंधित डाटा/सूचना निर्धारित प्रपत्र के अनुसार परिवहन अनुसंधान विंग को वर्ष के आगामी कलैण्डर र्वष के 31 मार्च तक भेजी जाए। उपर्युक्तं परिभाषा और अभिनिर्धारित ब्लैक स्पॉ्टों से संबंधित डाटा/सूचना को सूचित करने हेतु प्रपत्र राज्यीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर भी लागू किया जा रहा है।

11.6 "सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका' प्रकाशन में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या, मोटर वाहन कराधान ढांचा, लाइसेंस व परमिट और देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यॉ क्षेत्रों तथा दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका', 2013–14 और 2014–15 पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है।

11.7 "बेसिक रोड़ स्टेटिस्टिक्स (बीआरएस) ऑफ इण्डिया" नामक प्रकाशन में राष्ट्रीय राजमार्गों, रज्यीय राजमार्गों, शहरी सड़कों, ग्रामीण सड़कों और परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क से संबंधित विस्तृत सूचना दी गई है। केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और स्थानीय निकायों में फैली लगभग 250 स्रोतों एजेंसियों से आंकड़े संग्रहीत किए गए हैं। 'बीआरएस 2013–14' और 2014–15 के नवीनतम संस्करण सितम्बर, 2016 में निकाले गए थे और इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

11.8 'रिव्यूअ ऑफ द् पर्फार्मेंस ऑफ स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स' नामक प्रकाशन में अभिनिर्धारित किए गए विभिन्न मानदंडों की दृष्टि से राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों के निजी रूप से वास्तविक और वित्तीमय कार्य निष्पादन का उल्लेख है। मौजूदा 54 राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों में से 46 सड़क परिवहन संस्थानों ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अपेक्षित प्रपत्र में अपने आंकड़े दिए हैं। 'राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा–यात्री सेवाएं (अप्रैल 2014–मार्च 2015)' का नवीनतम अंक फरवरी, 2016 में निकाला गया था। 'राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों के कार्य निष्पादन की समीक्षा' का अगला अंक, जिसमें 31 मार्च, 2016 तक की सूचना शामिल है, तैयार किया जा रहा है।

11.9 परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा संकलित और प्रकाशित डेटा से प्रमाण के तौर पर भारत में सड़क और परिवहन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शायी गई हैं:–

- 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में 2,100,23 लाख पंजीकृत मोटर वाहन थे। परिशिष्ट,–14
- वर्ष, 2014 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्यौ 4,89,400 बढ़कर 2015 में 5,01,423 हो गई। परिशिष्ट–15
- वर्ष 2015 के सड़क दुर्घटना डाटा का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि भारत में प्रत्येक घंटे में औसतन 57 दुर्घटनाएं होती हैं और 17 लोगों की जान चली जाती है।
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों का बहुत बड़ा प्रतिशत 15 से 34 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। वर्ष 2015 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले सभी लोगों में से 54.1 प्रतिशत लोग इसी आयु वर्ग के थे।

यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है।
This sign assures the driver that he is on right path and also tells the distance of the places written on it.

- 2015 में देश में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 22.1 प्रतिशत, सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए कुल व्यक्तियों में से 11.3 प्रतिशत और सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए कुल व्यक्तियों में से 16.4 प्रतिशत व्यक्ति 50 मिलियन प्लस शहरों के हैं। सड़क दुर्घटनाओं की सर्वाधिक संख्या (23,468) मुंबई में रिकॉर्ड की गई जबकि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की सर्वाधिक संख्या (1,622) रही।
- कलैंडर वर्ष 2015 के दौरान हिट एंड रन के सूचित किए गए मामलों की कुल सुख्या 57,083 थी। हिट एंड रन मामलों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या 20,709 बताई गई थी।
- वर्ष 2015 के दौरान अतिभारित वाहनों के कारण 77,116 दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाओं में 25,199 मौतें हुईं। यह देश में कुल सड़क दुर्घटनाओं और घातकताओं का क्रमशः 15.4% और 17.2% बैठता है।
- राज्यों/संघ राज्यः क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2015 के दौरान कुल सड़क दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी दो मुख्य कारकों में से एक टू–व्हीलर (28.8%) और दूसरे कार, जीप एवं टैक्सियां (23.6%) हैं।
- देश में 2015 के दौरान हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 28.4 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 47.6 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर हुई हैं।
- 2015 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सड़क दुर्घटनाओं का 53.8 प्रतिशत, कुल घातकताओं का 61 प्रतिशत रहा और 59.1 प्रतिशत चोटें आईं।
- ट्रैफिक जंक्शन दुर्घटना संभावित क्षेत्र होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित 2015 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों के अनुसार कुल दुर्घटनाओं में से 49 प्रतिशत दुर्घटनाएं जंक्शनों पर ही हुईं।
- 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में कुल सड़क लम्बाई 54.72 लाख किमी थी। वर्ष 1951 से 2015 के दौरान कुल सड़क लम्बाई का श्रेणीवार विघटन ifjf'k"V&16 पर दिया गया है।

यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप में यह चिन्ह लगाया जाता है।

This sign identifies the area. This sign tells that the limit of the particular area has started. This sign is illustrative on national highways.

ekuuh; ea=h dh Jh jkfuy foØefl'k] c/kkuea=h ykdrkaf=d lektoknh x.kjkT; Jhyadk; ls eqykdkr

Hkkjr&tkiku dk dk;Z lewg dh lMdk vkSj lMd ifjogu esa lg;ksx dk fo"k; esa rhljh lHkk cSBd

यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पम्प है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पम्प कितनी दूरी पर है।

This informatory sign indicates that there is a Petrol Pump ahead. Sometimes distance is also indicated on this sign which gives an idea about location of the Petrol Pump from the sign post.

v/;k;&-XII

vUrjk"Vªh; lg;ksx

12.1 वर्ष 2016–17 के दौरान इस मंत्रालय का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग पड़ौसी और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर की गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

12-2 le>kSrk Kkiu ¼,evks;w½@le>kSrk vkSj vU; nLrkosta ij gLrk{kj%&

परस्पर आदान–प्रदान, समानता और आपसी हितों के आधार पर अन्य् राष्ट्रों के साथ सहयोग करने के लिए दो सरकारों के बीच एक हस्ताक्षरित दस्तावेज निष्पादक एजेंसियों, व्यवसायिकों और निजी क्षेत्र को अभिनिर्धारित सेक्टरों/क्षेत्रों में सहभागिता और सहयोग के लिए सरकारी सहायता और विश्वसनीयता उपलब्ध कराता है। भारत और जापान के बीच सितम्बर, 2014 में हस्ताक्षरित सहयोग संबंधी रूपरेखा (एफओसी) के तहत कार्यदल (जेडब्यूत जी) की सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र की तीसरी बैठक दिनांक 20.10.2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में दोनों प्रतिनिधियों ने पहाड़ी क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण, पुल निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकियों, सड़क सुरक्षा के उपायों और राजमार्ग प्रबंधन प्रणालियों के विकास के संबंध में सहयोग हेतु विचार–विमर्श किया।

12-3 {ks=h; lg;ksx%

दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में स्थित देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उप–क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ मोटर यान समझौते करने के लिए बातचीत आरंभ की है। इस पहल के अंतर्गत 2016–17 में निम्नलिखित गतिविधियां रहीं–

(क) जून, 2015 में हस्ताक्षरित बीबीआइएन मोटर यान समझौते के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा के आर–पार निर्बाध आवाजाही के लिए 28 अगस्त , 2016 से 2 सितम्बर, 2016 के दौरान कार्गो वाहनों का ट्रायल रन हुआ था। इसी समय कोलकाता से खलना, बांग्लोदेश तक पश्चिम–बंगाल सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित एक यात्री बस का भी ट्रायल रन हुआ था। बांग्लादेशी कार्गो वाहन की यात्रा ढाका से आरंभ हुई और पेट्रोपोल सीमा से गुजरते हुए इसने भारत में प्रवेश किया। भारत में कस्टम डिपो, पटपड़गंज, नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए इसने पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक 1,850 किमी से अधिक की यात्रा की। पेट्रापोल में भारतीय सीमा पर ट्रक के ऊपर भारतीय कस्टम द्वारा जीपीएस ट्रैकिंग उपकरण लगाया गया ताकि सीमा के बजाय दिल्ली में वस्तुओं का कस्टम क्लीजयरेंस के लिए निरीक्षण किया जा सके। ट्रक में इलैक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया था जिससे इसकी यात्रा की वास्तविक अवधि की निगरानी करने में सुविधा हुई। ट्रायल रन सफल रहा और भारत व बांग्ल्देश में व्यापार, उद्योग तथा परिवहन क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। कार्गो ट्रायल रन यह सिद्ध हो गया कि यदि बीबीआइएन के अंतर्गत वास्तव में ही इस प्रकार वाहनों की आवाजाही होने लगे तो इससे पर्याप्त समय और धन की बचत की जा सकती है।

(ख) भारत–म्यांतमार–थाइलैंड (आइएमटी) के बीच मित्रता मोटर कार रैली, 2016 आयोजित की गई जिसे 13 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली से झंडी दिखाकर आरंभ किया गया और यह 3 दिसम्बर, 2016 को बैंकाक, थाइलैंड में समाप्त हुई। इस रैली का उद्देश्य इस उप–क्षेत्र में यात्री एवं कार्गो वाहनों की निर्बाध आवाजाही के संबंध में भारत–म्यांममार–थाइलैंड (आइएमटी) मोटरयान समझौते (एमवीए) के लाभों से तीनों देशों के स्टोकहोल्डरों को जागरूक कराना था।

12-4 ubl cl lsok%

भारत गणराज्य सरकार और नेपाल सरकार के बीच 25 नवम्बर, 2014 को हस्तारक्षरित यात्री यातायात विनियमन संबंधी द्विपक्षीय करार के अंतर्गत जुलाई, 2016 में दिल्ली–पोखरा (नेपाल) बस सेवा शुरू की गई।

ekuuh; ea=h dh teuh ds ea=h ¼ifjogu vkj cfu;knh <kpk½ ds lkFk fopkj foe'k

यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आम तौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं।

The sign shows that there is a First Aid facility nearby which is very useful in case of emergency or crashes. These signs are normally erected on highways and rural roads.

v/;k;&XIII

LoPN Hkkjr fe'ku d vrxr igy

13.1 स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), भारत सरकार का एक राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह मिशन 2019 तक चलेगा। इस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के समस्तं पहलुओं में 'स्वच्छता' को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एसबीएम के लिए नोडल मंत्रालय है।

13.2 मौजूदा वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एसबीएम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी 372 टोल प्लाजाओं पर शौचालय, होर्डिंग/बैनर और डस्टबिनों की व्यवस्था किया जाना शामिल है।

13.3 सड़क सुरक्षा कारणों से, और लोगों की सुविधा के लिए टोल प्लाजाओं पर राजमार्गों के ऊपरी एवं निचली दोनों ओर उपर्युक्त सुविधाएं दी गई हैं।

13.4 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए एसबीएम की मूल गतिविधि के अंतर्गत 109 टोल प्लाजाओं को लिया गया अर्थात् 31 दिसम्बर, 2016 तक महिलाओं के लिए 202 शौचालय और पुरुषों के लिए 208 शौचालयों का निर्माण किया गया ।

13.5 'स्वच्छता' का संदेश देने के लिए 346 टोल प्लाजाओं पर कुल 688 होर्डिंग/बैनर लगाए गये। इसी प्रकार 328 टोल प्लाजाओं पर 975 डस्ट बिन रखे गये हैं।

13.6 मंत्रालय ने 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2016 तक सफलतापूर्वक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दोरान टोल प्लाजाओं पर शौचालयों के निर्माण पर बल दिया गया। स्वच्छ ईंधनों के लिए प्रचार अभियान की भांति पखवाड़े के दौरान मंत्रालय की इलेक्ट्रिक बस अर्थात् गो–ग्रीन बस स्वच्छता संदेश लेकर दिल्ली के मुख्य पर्यटन और विरासत स्थलों से होते हुए दिल्ली के इर्द–गिर्द चक्कर लगाती रही।

श्री पेरंबुदूर टोल प्लाजा पर शौचालय ब्लॉक

ifjf'k"V&1

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;

I. fuEufyf[kr fo"k; tks Hkkjr ds lafo/kku dh lkroha vuqlwph dh lwph 1 ds Hkhrj vkrs gS%

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा ।
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का संचालन ।
3. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोशित किया गया है ।
4. विधायी विभाग की जांच और विधीक्षा किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड 'क', धारा 3क, 3घ, 7 और 8क के अंतर्गत अधिसूचनाओं को जारी करना ।

II. la?k jkT; {ks=ksa ds laca/k esa%

5. राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कें ।
6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का संचालन और मोटर वाहनों का कराधान ।
7. यांत्रिक रूप से सुसज्जित वाहनों से इतर वाहन ।

III. vU; fo"k; tks iwoZ Hkkxksa ds vrxZr lfEefyr ugha fd, x, gS%

8. केन्द्रीय सड़क निधि ।
9. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।
10. केन्द्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से अथवा आंषिक रूप से वित्त पोशित सड़क कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क कार्यों के अलावा ।
11. मोटर यान विधान

12. मोटर परिवहन और आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन ।

13. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति को तैयार करना ।

IV. ok;Rr fudk;%

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

V. lkslk;Vh@lk?k%

15. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रषिक्षण संस्थान

VI. lkoZtfud {ks= miØe%

16. भारतीय सड़क निर्माण निगम

17. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

VII. vf/kfu;e%

18. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) ।

19. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।

20. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ।

21. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) ।

ifjf'k"V–2

lMd ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky; dk laxBukRed pkVZ

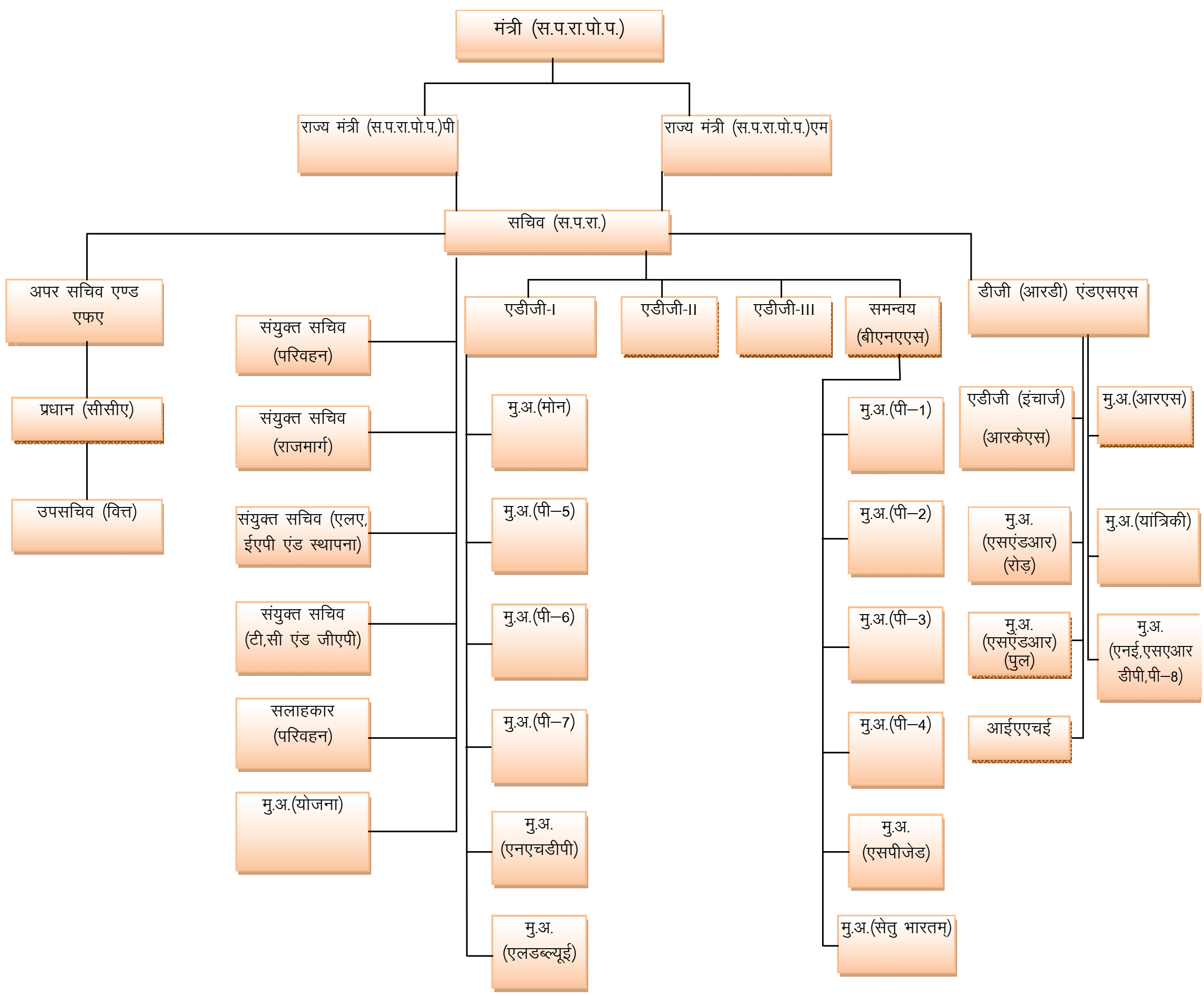

"सड़क बंद है" संकेत दर्शाता है कि वहां आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग नहीं है।

"NO THROUGH ROAD" sign indicates that there is no throughway. This sign informs drivers that there is no way ahead on the road.

ifjf'k"V–3

n'k e jkT;okj jk"Vh; jkt ekxk dh lph

Ø- l-	jkT; dk uke	jk"Vh; jkt ekxl l-	dy ycckbl ¼fd-eh e-½
1	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 42 नया, 43, 63, 67 वि. नया, 150 नया, 167 नया, 202, 205, 214, 214ए, 216, 219, 221, 222, 234, 326, 326ए, 67 नया, 71 नया, 161 नया, 340 नया, 340सी नया, 353 नया, 363 नया, 365 नया, 544 नया, 563 नया, 565 नया, 716 नया, 765 नया	**5,598.00**
2	अरुणाचल प्रदेश	52, 52डी, 153, 229, 52बी वि., 37 वि., 315ए, 713 नया, 513 नया, 313 नया, 113 नया और 713A नया	**2,513.05**
3	असम	6 नया, 31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 37ई, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 117ए नया, 127बी नया, 127ई नया, 151, 152, 153, 154, 315ए नया, 127सी नया और 127डी नया, 208ए नया, 329 नया, 427 नया, 627 नया, 702 नया, 702बी नया, 702सी नया 702डी, 715ए नया & 329ए नया	**3,844.67**
4	बिहार	2, 2सी, 19, 20 वि. नया 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 120 New, 122ए नया, 131ए नया, 133 नया, 133बी नया, 219 नया, 227ए नया, 327ए नया, 327 वि. नया, 333 नया, 333ए नया, 333बी नया, 527ए नया, 527सी नया, 727 ए नया, 766सी, और 120 नया	**4,838.79**
5	चंडीगढ़	21	**15.28**
6	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 45वि., 78, 111, 130ए नया, 130बी नया, 130सी नया, 130डी नया, 149बी नया, 163ए नया, 200, 202, 216, 217, 221, 343 नया, 930 नया	**3,168.40**
7	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	**80.00**
8	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	**262.00**
9	गुजरात	एनई-I, 6, 8, 8ए, 8बी, 8डी , 8ई , 14, 15, 56, 58 नया, 58 वि. नया, 59, 113 228, 251 नया, 753बी नया, 848 और 848ए नया, 848बी नया, 341 नया, 68 वि. नया, 147ए नया, 168 नया, 168 ए नया, 351 New, 927डी नया, 953 नया और 147 नया	**5,016.90**
10	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 11 नया, 21ए, 22, 54 नया, 64, 65, 71, 71A, 72, 73, 73ए , 71बी, 148बी नया, 236, 248 ए नया, 254 नया, 334बी नया, 352ए, 444ए नया, 703 नया, 709 वि. नया, 709ए नया और एनई-II	**2,622.48**

Ø- l-	jkT; dk uke	jk"Vh; jkt ekxZ l-	dqy yEckbZ ¼fd-eh- esa-½
11	हिमाचल प्रदेश	1ए, 3 नया, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88, 73ए , 154ए नया, 305 नया, 503 नया, 503ए नया, 503 वि. नया, 505 नया, 505ए नया 705 नया, 907 ए नया	**2,642.48**
12	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 3 नया, 144 नया, 144ए नया, 301 नया, 444 नया, 501 नया, 701 नया, 244 नया	**2,601.00**
13	झारखंड	2, 6, 20 वि. नया, 23, 31, 32, 33, 43 नया, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114ए नया, 133 नया, 133ए नया, 133बी, 143 नया, 143ए नया, 220 नया, 333 नया, 333ए नया, 343 नया और 419 नया	**2,653.64**
14	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 50 नया, 63, 67, 67 नया, 150, 150 वि. नया, 150ए नया, 167 नया, 169ए नया, 173 नया, 206, 207,209, 212, 218, 234, 275 नया, 367 नया, 766सी	**6,502.29**
15	केरल	17, 47, 47A, 47सी, 49, 183ए नया, 185 नया, 208, 212, 213, और 220	**1,811.52**
16	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 34 नया, 43 वि. नया, 45 वि. नया, 56 नया, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92, 135बी नया, 146बी नया, 339बी, 346 नया, 347बी नया, 347सी नया, 543 नया, 552 वि. नया, 752बी नया, 752सी नया, 927ए नया और 943 नया	**7,572.57**
17	महाराष्ट्र	3, 4, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 50 नया, 69, 150 वि. नया, 161 नया, 204, 211, 222, 348 नया, 848 नया, 160 नया, 166 नया, 166ए नया, 339बी नया, 347सी, 348 नया, 348ए नया, 353सी नया, 353डी नया, 353ई नया, 361 नया, 363 नया, 547ई नया, 548 नया, 753 नया, 753ए नया, 753बी नया, 848ए, 930 नया और 953 नया, 965 नया	**7,470.79**
18	मणिपुर	39, 53, 102 नया, 102A नया, 102बी नया, 102 सी नया, 129ए नया, 108ए नया, 129 नया, 137 नया, 137ए नया, 150, 155, 702ए नया	**1,745.74**
19	मेघालय	40, 44, 51, 62 और 127बी नया	**1,204.36**
20	मिजोरम	6 नया, 44ए, 54, 54ए, 54बी, 102बी नया, 150, 154, 302 नया, 306ए नया और 502ए नया	**1,381.00**
21	नगालैंड	36, 39, 61, 129 नया, 150, 155, 702 नया, 702ए नया और 702बी नया, 702डी, 329 ए नया और 229 नया	**1,172.79**
22	ओडिशा	5, 5ए, 6, 20 वि., 23, 42, 43, 55 वि. नया, 60, 75, 130सी नया, 153बी नया, 157 नया, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 220 नया, 224, 326 नया और 326 ए नया	**4,837.52**

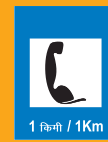

सार्वजनिक टेलीफोन
Public Telephone

Ø- l-	jkT; dk uke	jk"Vh; jkt ekxl l-	dqy yckbl ¼fd-eh es-½
23	पुदुच्चेरी	45ए और 66	**64.03**
24	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72, 95, 103 ए नया, 154ए, 205ए नया, 254 नया, 344ए नया, 344बी नया, 503 वि. नया, 503ए नया, 703 नया 703ए नया, 754 नया और 148बी नया	**2,769.15**
25	राजस्थान	3, 11 नया, 123 नया(3ए पुराना), 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 25 वि. नया, 54 New, 65, 458 नया और 65ए पुराना, 71बी, 76, 58 वि. नया और 76ए पुराना, 758 नया और 76बी पुराना, 79, 79ए नया, 89, 90, 113, 112, 114 , 116,148बी नया, 148डी नया और 116ए पुराना, 158 नया, 162ए नया, 162 वि. नया, 168 नया, 168ए नया, 248ए नया, 325 नया, 709 वि. नया, 927ए नया,	**7,906.20**
26	सिक्किम	31ए, 310, 310ए नया, 510 नया, 563 नया, 710 नया, 717ए नया, 717बी नया	**463.00**
27	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7A, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226वि., 227, 230, 234, 381 नया, और 532 नया	**5,006.14**
28	त्रिपुरा	44 , 44A, 108ए, 208 नया, 208ए नया, 108बी नया और 8 नया	**806.20**
29	तेलंगाना	7, 9, 16 202, 221, 216ए नया, 222, 326 नया, 167 नया, 150 नया, 363 नया, 365 नया, 565 नया, 161, 765 नया, 50 नया, 563 ए नया और 365ए नया, 365बी नया	**2,823**
30	उत्तराखंड	9 नया, 34 नया, 58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 107ए नया, 108, 109, 123, 119, 121, 125, 309ए नया, 309बी नया, 334ए और 707ए नया	**2,714.00**
31	उत्तर प्रदेश	2, 2A, 3, 123 नया (3ए पुराना), 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 34 नया, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91A, 92, 93 ,96, 97, 119, 219 नया, 227 ए नया, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330, 330 ए नया, 330 बी नया, 334 नया, 334बी नया, 334सी नया, 552 वि., 709 ए, 727ए नया, 730 नया, 730ए नया, 731ए नया, 931 नया, 931ए नया और एनई-II	**8,487.00**
32	पश्चिम बंगाल	2, 2B, 6, 10, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, 114ए नया, 116बी नया, 117, 131ए, 133ए नया, 317ए, 327बी, 419 नया, 512 नया और 717.	**2,955.80**
33	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	**330.70**
34	दादर नगर हवेली	848ए नया	**31.00**
35	दमन और दीव	848बी नया और 251 नया	**22.00**
		tksM	**1,03,933.00**

यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है।
This sign indicates the availability of Telephone near road.

ifjf'k"V&4

o"kl 2016&17 dl nkjku jkT;k@l?k jkT; {k=k dl fy, jk"Vh; jkt ekxk dl fodkl vkj vuj{k.k grq vkoVu

(राशि करोड़ रुपए में)

Ø-l-	jkT;@l?k jkT; {k=	fodkl*	vuj{k.k*
1.	आंध्र प्रदेश	2,100.31	100.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	25.69
3.	असम	297.44	117.91
4.	बिहार	1,014.43	96.84
5.	छत्तीसगढ़	1,403.68	51.90
6.	गोवा	1,400.00	41.16
7.	गुजरात	281.87	127.09
8.	हरियाणा	150.00	54.57
9.	हिमाचल प्रदेश	250.95	106.82
10.	जम्मू व कश्मीर	56.00	22.89
11.	झारखंड	220.00	81.27
12.	कर्नाटक	1,153.38	203.53
13.	केरल	262.64	127.46
14.	मध्य प्रदेश	1,010.00	25.25
15.	महाराष्ट्र	2,401.92	270.53
16.	मणिपुर	60.25	33.96
17.	मेघालय	61.27	52.18
18.	मिजोरम	30.00	54.92
19.	नगालैंड	50.00	52.04
20.	ओडिशा	1,033.27	79.89
21.	पंजाब	2,300.40	82.48
22.	राजस्थान	945.52	79.82

पैदलपथ सबवे
Pedestrian Subway

Ø-l-	jkT;@l?k jkT; {k=	fodkl*	vuj{k.k*
23.	सिक्किम	0.00	1.99
24.	तमिलनाडु	430.00	140.98
25.	तेलंगाना	400.00	94.70
26.	त्रिपुरा	65.00	50.17
27.	उत्तर प्रदेश	2,384.62	125.16
28.	उत्तराखंड	444.62	47.84
29.	पश्चिम बंगाल	1,330.71	82.74
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	4.63
31.	चंडीगढ़	2.00	1.64
32.	दादर और नागर हवेली	0.00	0.14
33.	दमन और दीव	0.00	0.09
34.	दिल्ली	2.00	1.40
35.	पुदुच्चेरी	20.00	2.16
tkM		**21,692.27**	**2,441.99**

*uocj] 2016 rd vkoVu

यह चिन्ह पैदलपथ अंडरपास/सबवे को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास/सबवे का प्रयोग करना चाहिए।

This sign indicates entry to a pedestrian underpass/subway. Pedestrians should invariably use these underpass/subway to cross the road.

ifjf'k"V&5

dæh; lMd fuf/k d vrxr vkoVu vkj fuf/k;, tkjh djuk

o"k	2000-01		2001-02		2002-03	
	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh
करोड़ रुपए	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	**2003-04**		**2004-05**		**2005-06**	
	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh
करोड़ रुपए	910.76	778.94	868.00	607.40	1,535.36	1,299.27
वर्ष	**2006-07**		**2007-08**		**2008-09**	
	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh
करोड़ रुपए	1,535.46	1,426.29	1,565.32	1,322.19	1,271.64	2,122.00
वर्ष	**2009-10**		**2010-11**		**2011-12**	
	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh
करोड़ रुपए	1,786.56	1,344.98	2,714.87	2,460.29	2,288.65	1,927.39
वर्ष	**2013-14**		**2014-15**		**2015-16**	
	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh	vkoVu	tkjh
करोड़ रुपए	2,359.91	2,226.60	2,642.63	2,094.78	2,852.64	2,369.47
वर्ष	**2016-17***					
	vkoVu	tkjh				
करोड़ रुपए	7,175.00	3,956.45				

* दिसंबर, 2016 तक

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

ifjf'k"V&6

foRrh; çxfr 2016 &17] ,u,pvkbZMhlh,y

(राशि करोड़ रुपए में)

Ø-l-	jkT; dk uke	Hkwfe vf/kxg.k		lfo/kk LFkkukarj.k				çkf/kdkjh vfHk;ark		flfoy dk;Z		tksM+
				पीएचई और इलेक्ट्रिक पावर		वन मंजूरी						
		व्यय की गई निधियां	वित्त वर्ष 16–17 की शेष अवधि के लिए शेष अवधि में होने वाला सम्भावित व्यय	व्यय की गई निधियां	वित्त वर्ष 16–17 की शेष अवधि के लिए शेष अवधि में होने वाला सम्भा. वित व्यय	व्यय की गई निधियां	वित्त वर्ष 16–17 की शेष अवधि के लिए शेष अवधि में होने वाला सम्भावित व्यय	व्यय की गई निधियां	वित्त वर्ष 16–17 की शेष अवधि के लिए शेष अवधि में होने वाला सम्भावित व्यय	व्यय की गई निधियां	वित्त वर्ष 16–17 की शेष अवधि के लिए शेष अवधि में होने वाला सम्भावित व्यय	
1	असम	489.90	90.00	9.75	120.00	9.87	16.00	1.85	2.50	92.57	150.00	982.44
2	त्रिपुरा	334.00	74.00	29.57	32.00	8.85	8.00	3.65	2.00	188.51	200.00	880.58
3	अरूणाचल प्रदेश	30.99	102.23	5.37	0.88	22.69	28.46	5.65	5.20	504.72	253.60	959.79
4	नागालैंड	186.41	9.37	9.85	8.82	-	-	-	-	-	-	214.45

ifjf'k"V&7

vu- tkfr@vu- tutkfr deZpkfj;ksa lfgr ljdkjh deZpkfj;ksa dh la[;k ¼rduhdh vkSj xSj&rduhdh½

xzqi	Loh—r dk;Z cy	rSukr deZpkfj;ksa dh dqy la[;k	v- tk-	v-t- tk-	rSukr dqy deZpkfj;ksa esa v- tk- dk %	rSukr dqy deZpk- fj;ksa esa v- t- tk- dk %
			rduhdh			
ए	227	215	33	14	15.34	6.51
बी	85	30	07	04	23.33	13.33
सी	07	03	01	00	33.33	0
जोड	319	248	41	18	16.53	7.25
			xSj&rduhdh			
ए	48	43	02	06	4.65	13.95
बी	220	174	26	12	14.94	6.89
सी	280	209	63	14	30.14	6.69
जोड	548	426	91	32	21.36	7.51

यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि कार्य चल रहा है व मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है और इसीलिए, सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

This sign shows that there is some repair/ cleaning etc. being undertaken on the road and workers are involved in it. People working on road need safety from the traffic and hence this sign is erected before the site of repair on road. The driver should drive slowly and carefully to ensure safety of the workers.

ifjf'k"V&8

jk"Vªh; ijfeV 'kqYd dk jkT;okj lforj.k n'kkZus okyk fooj.k

Ø-l-	jkT;@la?k jkT; {ks=	#i,] okLro esa
1	आंध्र प्रदेश	**562569408**
2	अरुणाचल प्रदेश	**976683**
3	असम	**217800309**
4	बिहार	**709071858**
5	चंडीगढ़	**198266649**
6	छत्तीसगढ	**278354655**
7	दादर और नागर हवेली	**73251225**
8	दमन और दीव	**70321176**
9	दिल्ली	**651447561**
10	गोवा	**99621666**
11	गुजरात	**983519781**
12	हरियाणा	**773532936**
13	हिमाचल प्रदेश	**289098168**
14	जम्मू व कश्मीर	**83018055**
15	झारखंड	**648517512**
16	कर्नाटक	**1256991021**
17	केरल	**390673200**
18	मध्य प्रदेश	**1533392310**
19	महाराष्ट्र	**1597853388**
20	मणिपुर	**1953366**
21	मेघालय	**17580294**

गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी।

Round About is a substitute of a road intersection. It allows smooth flow of traffic without the aid of traffic lights. This sign cautions about that there is a round about ahead and the driver has to take relevant lane well before maneuvering the round about.

Ø-l-	jkT;@la?k jkT; {ks=	#i,] okLro eas
22	मिजोरम	**2930049**
23	नगालैंड	**13673562**
24	ओडिशा	**465877791**
25	पंजाब	**541082382**
26	पुदुच्चेरी	**149432499**
27	राजस्थान	**1188623211**
28	सिक्किम	**976683**
29	तमिलनाडु	**548895846**
30	तेलंगाना	**202173381**
31	त्रिपुरा	**9766830**
32	उत्तराखंड	**390673200**
33	उत्तर प्रदेश	**1593946656**
34	पश्चिम बंगाल	**569406189**
	t kM+	**16115269500**

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicate that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

ifjf'k"V&9

lMd ifjogu vkj jktekxl e=ky; d lc/k e e[; 'kh"kokj 0;;

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

y[kk 'kh"k	c-v-	l-'kk-	12-2016 rd&0;;	c-v- dk %	c-v- dk %
योजना शीर्ष					
मु.शी. 3054 सड़क और पुल	38736.00	8980.50	17915.45	46.25	199.49
मु.शी. 3055–सड़क परिवहन	200.00	135.00	52.17	26.08	38.64
मु.शी.3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	10833.00	7070.70	3938.25	36.35	55.70
मु.शी.3602–संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	114.00	74.80	12.35	10.83	16.51
जोड़ राजस्व भाग	**49883.00**	**16261.00**	**21918.22**	**43.94**	134.79
मु.शी. 4552 पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0	0.00	0.00
मु.शी.5054 सड़क और पुल के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	54717.00	76799.20	58542.22	106.99	76.23
मु.शी. 5055– अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00
जोड़ पूंजीभाग	**54717.00**	**76799.20**	**58548.28**	**107.00**	76.24
जोड़ योजना भाग (सकल)	**104600.00**	**93068.70**	**80466.50**	**76.93**	86.46
घटाइये वसूलियां (योजना)	**-49600.00**	**-43767.60**	**-31371.51**	**63.25**	71.68
जोड़ योजना (निवल)	**55000.00**	**49301.10**	**49094.99**	**89.26**	**99.58**
गैर योजना शीर्ष					
मु.शी. – 3451– सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	94.36	103.03	79.83	84.60	77.48
मु.शी. 3054 सड़क और पुल	2881.64	5084.27	1579.92	54.83	31.07
मु.शी.3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (*)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ राजस्व भाग	**2976.00**	**5187.30**	**1659.75**	**55.77**	32.00

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन–भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.

y[kk 'kh"k	c-v-	l-'kk-	12-2016 rd&0;;	c-v- dk %	c-v- dk %
मु.शी.5054 सड़क और पुल के संबंध में पूंजीगत परिव्यय (*)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ पूंजीभाग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
जोड़ गैर योजना (सकल)	**2976.00**	**5187.30**	**1659.75**	**55.77**	32.00
घटाइये वसूलियां (गैर योजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ गैर योजना (निवल)	**2976.00**	**5187.30**	**1659.75**	**55.77**	**32.00**
जोड़ (योजना+गैर–योजना)	**107576.00**	**98256.00**	**82126.25**	**76.34**	83.58
घटाइये वसूलियां (योजना+गैर–योजना)	**-49600.00**	**-43767.60**	**-31371.51**	**63.25**	71.68
tkM ¼;kstuk+xSj&;kstuk½ fuoy	**57976.00**	**54488.40**	**50754.74**	**87.54**	**93.15**
*** 4552 से 4054 तक निधियों का पूर्ण नियोजन					

** नोटः 2041.40 करोड़ रू0 की राशि गैर योजना (स.शो.) में घटाइए वसूलियों के अन्तर्गत आवंटित कर दी गयी है। अवर सचिव (वजट) द्धारा स.शो.प्रा.वि. में घटाइए वसूलियां शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ifjf'k"V&10

jktLo vkj iwathxr çkfIr;ksa dk lac/k esa foxr rhu o"kksa dk nkSjku dsaæh; ysu&nsu dk vuq:i fuf/k;ksa dk lkj

jktLo çkfIr;k¡

(करोड़ रुपए में)

en@o"k	2013-14	2014-15	2015-16	fnlacj 2016 rd
कर राजस्व	146.15	159.98	277.10	234.44
गैर कर राजस्व	5384.40	6158.84	7017.74	5306.96
सकल राजस्व प्राप्तियॉं	5530.55	6318.82	7294.84	5541.40

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

ifjf'k"V&11

foxr rhu o"kksZ dh jktLo çkfIr;ksa dk 'kh"kZokj fooj.k

(करोड़ रुपए में)

	eq[; 'kh"kZ	2013-14	2014-15	2015-16	fnlacj 2016 rd
1	0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर	146.15	159.98	277.10	234.44
2	0049–ब्याज प्राप्तियां	82.69	30.15	127.74	84.06
3	0058–स्टेशनरी और प्रिंटिंग	0.01	0.01	-	-
4	0059–लोक निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.12	-
5	0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.51	0.02	0.00	0.00
6	0071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0.49	0.69	0.46	0.55
7	0075–विविध सामान्य सेवाएं	1.69	1.78	1.77	1.76
8	0210– चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	0.23	0.23	0.24	0.21
9	0216–आवास	0.14	0.15	0.16	1.25
10	1054 – सड़क और पुल	5297.63	6125.76	6887.24	5219.09
11	1475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.016	0.06	0.01	0.04
	tksM+	**5530.55**	6318.83	7294.84	5541.40

स्रोत : केंद्रीय लेन–देन का विवरण

ifjf'k"V&12

y[k çe[krk,

çkfIr;ka dh jkf'k ¼gtkj :i, eas½			lforj.k jkf'k ¼gtkj :i, eas½	
A.	राजस्व प्राप्तियां		राजस्व व्यय	
1	कर राजस्व	2770994	सामान्य सेवा	142501
2	गैर–कर राजस्व	70177402	सामाजिक सेवा	14824
	ब्याज प्राप्तियां	1277374	आर्थिक सेवा	191493369
	अन्य गैर–कर राजस्व	68900028	सहायता अनुदान और अंशदान	0
	कुल राजस्व प्राप्तियां	72948396	कुल राजस्व व्यय	191650694
B.	पूंजीगत प्राप्तियां		पूंजीगत व्यय	
	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण		आर्थिक सेवा	273070935
	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम		ऋण और अग्रिम	1417
	सरकारी सेवकों को ऋण	3246		
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां	3246	कुल पूंजीगत व्यय	273072352
भारत की कुल समेकित निधि		72951642	भारत की कुल समेकित निधि	464667584
	लोक लेखा		लोक लेखा	
	अल्प बचत भविष्य निधि लेखा	165968	अल्प बचत भविष्य निधि लेखा	118800
	भविष्य निधि	165968	भविष्य निधि	118800
	अन्य लेखा		अन्य लेखा	
	आरक्षित निधियां	395632900	आरक्षित निधियां	385801150
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	395632900	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	385801150
	निक्षेप और अग्रिम	23206864	निक्षेप और अग्रिम	20721612
	ब्याज सहित निक्षेप	0	ब्याज सहित निक्षेप	0
	ब्याज रहित निक्षेप	23206864	ब्याज रहित निक्षेप	20721612

यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बायीं/दायीं और दायीं/बायीं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध हैं, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा (इंटरसेक्शन) है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है।

These signs indicate that there is a left/right and right/left turn available on the straight road with small distance between them. It is an intersection which does not allow crossing of road.

	çkfIr;ka dh jkf'k ¼gtkj :i, esa½		lforj.k jkf'k ¼gtkj :i, esa½	
	अग्रिम	16	अग्रिम	8
	उचन्त और विविध	465798307	उचन्त और विविध	86321891
	उचन्त	-6931413	उचन्त	143502
	अन्य लेखा	472729720	अन्य लेखा	86178389
	कुल लोक लेखा	884804039	कुल लोक लेखा	492963453
	dqy çkfIr;k	957755681	dqy çkfIr;k	957755681

स्रोत : केंद्रीय लेन–देन का विवरण

ifjf'k"V&13

v'kDr dkfeZdksa dh la[;k ds lca/k esa rduhdh vkSj xSj&rduhdh inksa dh fLFkfr

xzqi	laLohÑr la[;k	fu;qDr fd;s x;s v'kDr 0;fDr;ksa dh la[;k
तकनीकी		
ए	227	2
बी	85	1
सी	07	0
जोड़	319	3
गैर– तकनीकी		
ए	48	0
बी	220	1
सी	280	0
जोड़	548	1

ifjf'k"V &14

Hkkjr esa iathÑr eksVj okguksa dh dqy la[;k&2003&2015

(हजार में)

o"k ¼31 ekp rd½	lHkh okgu	nqifg;k	dkj] thi vkj VSDlh	cl@	eky okgu	vU;*
2003	670.07	475.19	85.99	7.21	34.92	66.76
2004	727.18	519.22	94.51	7.68	37.49	68.28
2005	814.99	587.99	103.20	8.92	40.31	74.57
2006	896.18	647.43	115.26	9.92	44.36	79.21
2007	967.07	691.29	126.49	13.50	51.19	84.60
2008	1,053.53	753.36	139.50	14.27	56.01	90.39
2009	1,149.51	824.02	153.13	14.86	60.41	97.10
2010	1,277.46	915.98	171.09	15.27	64.32	110.80
2011	1,418.66	1,018.65	192.31	16.04	70.64	121.02
2012	1,594.91	1,154.19	215.68	16.77	76.58	131.69
2013	1,760.44	1,278.30	240.56	18.14	83.07	140.37
2014	1,907.04	1,394.10	259.98	18.87	86.98	147.12
2015	2,100.23	1,542.98	286.11	19.71	93.44	157.99

स्रोतः राज्य परिवहन आयुक्तों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालय

* अन्य में शामिल है ट्रेक्टर, ट्रेलर, ति–पहिया (यात्री वाहन)/एलएमवी और अन्य विविध वाहन जिन्हें पृथक से वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

@ इसमें ओमनी बसें शामिल हैं ।

यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के 'डिवाइडर' (विभाजक) में एक 'गैप' है और वहां यू–टर्न (वापस मुड़ने) की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए।

This sign indicates that there is a gap in the divider of a road and there is a provision of U-turn. The driver should slow and take relevant lane to avoid any crash.

ifjf'k"V &15

lMd n?kVukvk dh l[;k vkj mue 'kkfey 0;fDr % 2003 l 2015

o"k	n?kVukvk dh l[;k		0;fDr;k dh l[;k		n?kVuk dh xHkhjrk*
	tkM	?kkrd	er	?kk;y	
2003	4,06,726	73,589 (18.1)	85,998	4,35,122	21.1
2004	4,29,910	79,357 (18.5)	92,618	4,64,521	21.5
2005	4,39,255	83,491(19.0)	94,968	4,65,282	21.6
2006	4,60,920	93,917(20.4)	1,05,749	4,96,481	22.9
2007	4,79,216	1,01,161(21.1)	1,14,444	5,13,340	23.9
2008	4,84,704	1,06,591(22.0)	1,19,860	5,23,193	24.7
2009	4,86,384	1,10,993 (22.8)	1,25,660	5,15,458	25.8
2010	4,99,628	1,19,558 (23.9)	1,34,513	5,27,512	26.9
2011	4,97,686	1,21,618(24.4)	1,42,485	5,11,394	28.6
2012	4,90,383	1,23,093 (25.1)	1,38,258	5,09,667	28.2
2013	4,86,476	1,22,589 (25.2)	1,37,572	4,94,893	28.3
2014	4,89,400	1,25,828 (25.7)	1,39,671	4,93,474	28.5
2015	5,01,423	1,31,726 (26.3)	1,46,133	5,00,279	29.1

नोटः ब्रैकिट में दिए गए आंकडें कुल दुर्घटनाओं में घातक दुर्घटनाओं का भाग दर्शाते हैं.

* दुर्घटना की गंभीरताः प्रति 100 दुर्घटनाओं पर मारे गए व्यक्तियों की संख्या

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग

ifjf'k"V &16

J`.khokj lM+d uVodZ % 1951 ls 2015

(कि.मी. में)

सड़क श्रेणी	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2014	2015
राष्ट्रीय राजमार्ग	19,811 (4.95)	23,798 (4.54)	23,838 (2.61)	31,671 (2.13)	33,650 (1.45)	57,737 (1.71)	70,934 (1.52)	91,287 (1.69)	97,991 (1.79)
राज्य राजमार्ग	^	^	56,765 (6.20)	94,359 (6.35)	1,27,311 (5.47)	1,32,100 (3.92)	1,63,898 (3.50)	1,70,818 (3.16)	1,67,109 (3.05)
अन्य लोक निर्माण विभाग की सड़कें	1,73,723 (43.44)	257,125 (49.02)	2,76,833 (30.26)	4,21,895 (28.40)	5,09,435 (21.89)	7,36,001 (21.82)	9,98,895 (21.36)	10,82,267 (20.03)	11,01,178 (20.12)
ग्रामीण सड़कें	2,06,408 (51.61)	197,194 (37.60)	3,54,530 (38.75)	6,28,865 (42.34)	12,60,430 (54.15)	19,72,016 (58.46)	27,49,804 (58.80)	33,04,328 (61.16)	33,37,255 (61.00)
शहरी सड़कें	0 (0.00)	46,361 (8.84)	72,120 (7.88)	123,120 (8.29)	1,86,799 (8.03)	2,52,001 (7.47)	4,11,679 (8.80)	4,57,467 (8.47)	4,67,106 (8.54)
परियोजना सड़कें	0 (0.00)	0 (0.00)	1,30,893 (14.31)	1,85,511 (12.49)	2,09,737 (9.01)	2,23,665 (6.63)	2,81,628 (6.02)	2,96,319 (5.49)	3,01,505 (5.50)
जोड़	3,99,942	5,24,478	9,14,979	14,85,421	23,27,362	33,73,520	46,76,838	54,02,486	54,72,144

नोट: ब्रैकिट में दिए गए आंकड़े प्रत्येक सड़क श्रेणी में कुल सड़क लम्बाई का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

^अन्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों में शामिल

स्रोत: सड़क संबंधी कार्य करने वाली 280 स्रोत एजेसिंया

ifjf'k"V&17

2016 dh fjiksVZ l[;k 15 ds yfcr lh,M,th iSjk l- 2-1] 2-2 vkSj 2-3 dh LFkfr

iSjk l-	iSjk dk lkjka'k	dh xbZ dkjZokbZ lcaf/kh ukV dh LFkfr
2.1	Hkkjrh; jk"Vh; jktekxZ çkf/kdjj.k&¼ihvkb;w] cxqlj;k½ }kjk fj;k;rxkgh dk 51-03 djksM+ #i, dk vufpr foRrh; ykHk fn;k tkukA	fu;=d vkSj egkys[kk ijh{kd ds dk;ky; dk bu iSjkvksa ds lca/k es dh xbZ dkjZokbZ dh fjiksVZ fnukafdr 07-12-2016 ds i= ds vrxZr Hkst h tk pqdh gSA
2.2	Hkkjrh; jk"Vh; jktekxZ çkf/kdjj.k }kjk jk"Vh; jktekxZ &33 ds gtkjhckx&jkaph [kM ds chp pkj yu ifj;kstuk es fj;k;rxkgh dk 47-05 djksM+ #i, dk vufpr foRrh; ykHk fn;k tkukA	
2.3	Hkkjrh; jk"Vh; jktekxZ çkf/kdjj.k&¼ihvkb;w] njHkaxk½ }kjk fj;k;rxkgh dk 31-90 djksM+ #i, dk vufpr foRrh; ykHk fn;k tkukA	ys[kkijh{kk ls mRrj dh çfr{kk gSA

यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है।

This sign indicates the availability of Telephone near road.

NOTES

चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ

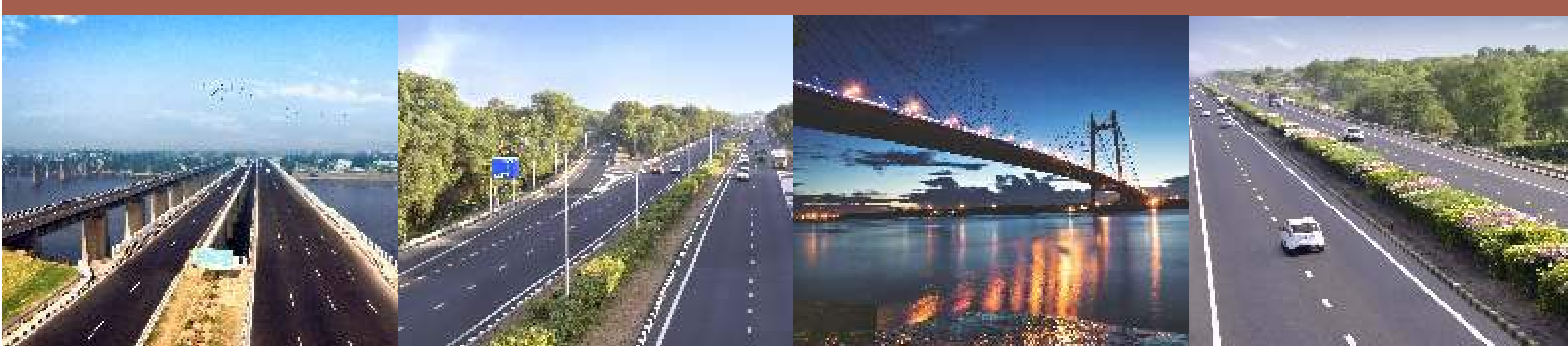

सत्यमेव जयते

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग,नई दिल्ली - 11001

www.morth.nic.in

Designed & Printed by Royal Press # 9310132888